

वार्षिक प्रतिवेदन 2017-18



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल-462016

वार्षिक प्रतिवेदन

2017-18



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016

विषय सूची

| क्र. | विवरण | पृष्ठ |
|------|--|-------|
| 1 | प्रस्तावना | 1 |
| | 1.1 राज्य बोर्ड के प्रमुख कार्य | 2 |
| | 1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व | 2 |
| | 1.3 विशिष्ट उपलब्धियां | 4 |
| 2 | राज्य बोर्ड का गठन | 17 |
| 3 | बोर्ड की बैठकें | 18 |
| 4 | जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र | 19 |
| | 4.1 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम | 19 |
| | 4.2 प्राकृतिक जल स्रोतों की निगरानी | 20 |
| | 4.3 विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स) | 20 |
| | 4.4 भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स) | 20 |
| | 4.5 नदियों के जल की गुणवत्ता | 29 |
| | 4.6 बेसिन के अनुसार प्रमुख नदियों की जल गुणवत्ता | 37 |
| | 4.7 मूर्ति विसर्जन | 62 |
| | 4.8 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम | 66 |
| | 4.9 प्रदेश के प्रमुख शहरों की परिवेशीय वायु स्थिति | 70 |
| | 4.10 वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण | 90 |
| | 4.11 ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण | 93 |
| 5 | पर्यावरणीय समस्याएँ और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति | 95 |
| | 5.1 उद्योगों, संस्थानों एवं खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति | 95 |
| | 5.2 उद्योगों, संस्थानों एवं खदानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थिति | 96 |
| | 5.3 उद्योगों / संस्थानों / खदानों की स्थापना सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मतियां | 97 |
| | 5.4 उद्योगों का सम्मति नवीनीकरण | 98 |
| | 5.5 पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट | 98 |
| | 5.6 वृक्षारोपण | 98 |
| | 5.7 पर्यावरण विवरण | 98 |
| | 5.8 जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन | 99 |
| | 5.9 वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन | 100 |
| | 5.10 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों का विवरण | 100 |

| | | |
|------|---|-----|
| 5.11 | परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन | 101 |
| 5.12 | जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन | 102 |
| 5.13 | नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन | 105 |
| 5.14 | बैटरी प्रबंधन एवं हथालन | 107 |
| 5.15 | ई-वेस्ट प्रबंधन | 107 |
| 5.16 | अपशिष्ट प्लास्टिक प्रबंधन | 109 |
| 5.17 | फ्लाई ऐश प्रबंधन | 111 |
| 5.18 | घरेलू दूषित जल-मल उपचार व्यवस्था | 114 |
| 5.19 | खदानों में पर्यावरण प्रबंधन | 114 |
| 6 | पर्यावरणीय अनुसंधान | 117 |
| 7 | पर्यावरणीय प्रशिक्षण | 125 |
| 8 | पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी | 132 |
| 9 | पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही | 151 |
| 10 | वित्त एवं लेखे | 182 |
| 11 | महत्वपूर्ण कार्य | 183 |
| | 11.1 जल उपकर | 183 |
| | 11.2 सूचना प्रौद्योगिकी : विकास एवं क्रियान्वयन | 183 |

| | | |
|-----------------|--|-----|
| परिशिष्ट | | |
| 1 | राज्य बोर्ड के सदस्य | 186 |
| 2 | बोर्ड की मुख्यालय स्तर पर संरचना एवं प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यालय | 187 |
| 3 | पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची | 188 |
| 4 | 50 हजार से अधिक वृक्षारोपण करने वाले उद्योगों की सूची | 191 |
| 5 | जल उपचार संयंत्र लगाने / उन्नयन करने वाले उद्योगों, संस्थानों एवं खदानों की सूची | 192 |
| 6 | वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने / उन्नयन करने वाले उद्योगों एवं संस्थानों की सूची | 204 |
| 7 | 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था | 217 |
| 8 | मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 मई 2017 | 227 |

1. प्रस्तावना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35(2) के परिपालन में राज्य शासन को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है। राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये सर्वप्रथम सितम्बर 1974 में बोर्ड गठित किया गया था। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम लागू किये जाने से बोर्ड का कार्यक्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया। वर्तमान में बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों तथा नियमों के दायित्व का निर्वहन कर रहा है :-

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 (जून 2017 तक)
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत,
 - 4.1 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016
 - 4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 2000
 - 4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016.
 - 4.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
 - 4.5 निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
 - 4.6 बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001
 - 4.7 ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
 - 4.8 फ्लाई ऐश नोटिफिकेशन 1999 यथा संशोधित 2003, 2009 एवं 2016
 - 4.9 केमिकल एक्सीडेंट (इमरजेन्सी प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एवं रिस्पांस) नियम, 1996
 - 4.10 ध्वनि प्रदूषण (रेग्यूलेशन एवं कन्ट्रोल) नियम, 2000
 - 4.11 अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016
5. मध्यप्रदेश जैव अनाश्रय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
 - 5.1 मध्यप्रदेश जैव अनाश्रय अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन-चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला है। इसके साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी प्रयोगशालाएँ पर्यावरणीय प्रदूषकों के विश्लेषण हेतु कार्यरत हैं।

1.1 राज्य बोर्ड के प्रमुख कार्य

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना।
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना।
- मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिए संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना।
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे अन्तरालों पर जैसा आवश्यक समझें, ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना।
- बहिःस्त्रावों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिए बहिःस्त्राव मानक अधिकथित करना, उनमें उपान्तरण करना या उन्हें बातिल करना।
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिए अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्रोत से, जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के निस्सारण के लिए मानक अधिकथित करना।
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया की मितव्ययी और विश्वसनीय पद्धतियाँ निकालना।
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के उपयोग की पद्धतियाँ विकसित करना।
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियाँ विकसित करना।
- सरिताओं या कुँओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपान्तरण करना या उसे वापस लेना।
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुँ का प्रदूषण संभाव्य है।
- सरिता या कुँ से जल के नमूनों का अथवा मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, एवं ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएँ या उसे समय-समय पर सौंपे जायें।

1.2 क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुख दायित्व

- उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण/प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के निस्त्राव एवं उत्सर्जन की मानिट्रिंग।

- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य ।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जाँच कार्य ।
- प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मॉनिटरिंग ।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग ।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना, सम्मति का नवीनीकरण करना ।
- वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति/सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना। प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही करना ।
- पर्यावरणीय नियमों के प्रति जन-जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- जिला प्रशासन के साथ पर्यावरणीय मसलों पर समन्वय।



दिनांक 05 जून 2017 को परमहंस आश्रम, लम्हेटा घाट, जबलपुर में आयोजित जनजागृति रैली

1.3 विशिष्ट उपलब्धियाँ

■ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्षेत्रीय सम्मेलन में सहभागिता

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल जोनल बेंच, भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सहयोग से 29-30 जुलाई, 2017 को प्रशासनिक अकादमी भोपाल में "रीजनल कॉन्फ्रेंस" आयोजित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में म.प्र. के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रिंसीपल बेंच नई दिल्ली के अध्यक्ष जस्टिस श्री स्वतंत्र कुमार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस एस.के. सीकरी, जस्टिस अरूण मिश्रा, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व पर्यावरण विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री बी.पी. सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रमुख सचिव अमन सिंह तथा अन्य प्रशासकीय अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किये।



29 जुलाई 2017 को एन.जी.टी. के सम्मेलन में प्रिंसीपल बेंच के अध्यक्ष जस्टिस श्री स्वतंत्र कुमार का उद्बोधन

कार्यक्रम के अंत में स्पीकर्स और एक्सपर्ट्स (विशेषज्ञों) ने सरकार के लिए 13 बिन्दुओं का "भोपाल डिक्लेरेशन" पेश किया, जिसमें प्रमुख रूप से :-

- नर्मदा सेवा यात्रा की तरह जनभागीदारी के जरिए प्राकृतिक जल निकायों का संरक्षण किया जायेगा।
- खनिज का परिवहन मुख्य रूप से राज्यमार्गों से होता है। परिवहन के दौरान होने वाले धूल प्रदूषण के लिए सड़क के दोनों ओर व माइनिंग एरिया में वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
- राज्य फ्लाईएश के उपयोग के लिए शतप्रतिशत प्रयास करेंगे।



29 जुलाई 2017 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस श्री अरूण मिश्रा का उद्बोधन

- पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योग/संस्थानों को प्रोत्साहन हेतु “पर्यावरण पुरस्कार” प्रदान करना

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों एवं संस्थानों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने के उद्देश्य से (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक एफ-5-117/बत्तीस/90 दिनांक 29 अप्रैल 1999 एवं संशोधित दिनांक 29 दिसम्बर 2010 के द्वारा) राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार योजना लागू की गयी है। राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार योजना में श्रेणियां एवं पुरस्कार राशि निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:-

| क्रमांक | इकाईयों का विवरण / श्रेणी | पुरस्कार की राशि रुपये |
|---------|----------------------------|------------------------|
| 1. | अत्यन्त प्रदूषणकारी उद्योग | 1,50,000.00 |
| 2. | सामान्य उद्योग | 1,00,000.00 |
| 3. | उत्खननरत खदानें | 1,00,000.00 |
| 4. | लघु उद्योग | 1,00,000.00 |
| 5. | नगर निगम | 1,50,000.00 |
| 6. | नगर पालिका एवं नगर परिषद | 1,00,000.00 |

राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार के चयन हेतु शासन द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जिसके द्वारा पुरस्कार हेतु अनुशंसायें की जाती हैं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष प्रदेश में कार्यरत उपरोक्त श्रेणियों के ऐसे उद्योगों/संस्थानों को, जिसके द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उस वर्ष सबसे प्रभावशील कदम उठाया गया हों, को राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार देने हेतु प्रतिवर्ष समाचार पत्र के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदनों का चयन समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त निरीक्षण कर पुरस्कार हेतु चयनित उद्योगों/संस्थानों की अनुशंसाये स्वीकृति हेतु शासन को भेजी जाती है। समिति की अनुशंसा के आधार पर शासन द्वारा पुरस्कार घोषित किये जाते हैं।

दिनांक 29-30 जुलाई को आयोजित नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के क्षेत्रीय सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रदेश के उद्योगों, खदानों व नगरीय निकायों को मा. मुख्यमंत्री द्वारा पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2014-2015 एवं 2015-2016 की अवधि हेतु प्रदान किए गये। पर्यावरण पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्थानों का विवरण निम्नानुसार है :-

पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2014-2015

1. मेसर्स टेवा, एपीआई लि.
औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर, जिला - भिण्ड
2. मेसर्स मान ट्रक इंडिया प्रा.लि.
औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला- धार
3. मेसर्स उदयपुर ब्रेवरीज लि.
औद्योगिक क्षेत्र रिछाई,
जिला- जबलपुर
4. मेसर्स तनसी अण्डर- ग्राउंड माईन,
डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, रामपुर,
जिला- छिन्दवाड़ा
5. मेसर्स सिम्बायोटेक फार्मालैब लि.
राऊ, इन्दौर
6. नगर परिषद् शाहगंज,
जिला- सीहोर

पर्यावरण पुरस्कार वर्ष 2015-2016

1. मेसर्स सन फार्मास्युटिकल इण्डस्ट्रीज लि.
औद्योगिक क्षेत्र देवास
2. मेसर्स मोनडेटेज इण्डिया फूड्स प्रा.लि.
मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला भिण्ड
3. मेसर्स एस.आर.एफ. लिमिटेड,
औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, जिला धार
4. मेसर्स झरना अण्डर ग्राउण्ड माईन,
डब्ल्यू.सी.एल. कन्हान एरिया,
जिला-छिन्दवाड़ा
5. मेसर्स अमादण्ड ओपन कास्ट प्रोजेक्ट,
एस.ई.सी.एल., जमुना कोतमा एरिया,
मलगा, जिला-अनुपपुर
6. नगर पालिका,
सिवनी-मालवा, जिला होशंगाबाद


नगर निगम इंदौर को वर्ष 2016-2017 में किये गये स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने बाबत विशेष पुरस्कार दिया गया।

■ सतत वायु एवं जल गुणवत्ता मापन के तहत मॉनिटरिंग स्टेशनों की स्थापना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जन साधारण को प्रदेश की वायु गुणवत्ता की नियमित रूप से जानकारी देने बावत् 05 स्थलों (उज्जैन, पीथमपुर, देवास, मण्डीदीप एवं सिंगरौली) में सतत् वायु गुणवत्ता मापन केन्द्र की स्थापना की गई है। इन वायु गुणवत्ता मापन केन्द्रों द्वारा 24 घंटे वायु गुणवत्ता की जानकारी डिस्पले बोर्ड व बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से जन साधारण को उपलब्ध कराई जाती है। बड़े तालाब की जल गुणवत्ता मापन हेतु रियल टाइम कन्टीन्युअस वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, डिस्पले बोर्ड सहित रेत घाट, व्हीआईपी रोड एवं बोट क्लब, लेकव्यु रोड पर स्थापित किये गये हैं, जिसके माध्यम से बड़े तालाब की जल गुणवत्ता आम जनमानस की जानकारी हेतु नियमित रूप से डिस्पले की जा रही है। इसी प्रकार प्रदेश की जीवनदायी नर्मदा नदी में ओंकारेश्वर के तट पर भी रियल टाइम बैकडै की स्थापना कर जल गुणवत्ता परिणाम जन-साधारण हेतु प्रदर्शित किये जा रहे हैं।



उज्जैन शहर में स्थापित रियल टाइम कन्टीन्युअस ऑनलाइन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन



अपर लेक भोपाल में स्थापित जल गुणवत्ता कन्टीन्यूअस ऑनलाइन मॉनिटरिंग स्टेशन

■ प्रदेश में स्थापित लघु श्रेणी के उद्योगों में प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना

प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित लघु श्रेणी के उद्योगों, जो कलस्टर में स्थापित हैं, द्वारा सक्षम वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना नहीं की गई थी तथा शहरी विकास के साथ-साथ इन औद्योगिक क्षेत्रों के पास रहवासी क्षेत्र विकसित हो जाने के कारण इन ऐसे उद्योगों में ऐसे सक्षम वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जो मितव्ययी (Cost Effective) हों, की आवश्यकता थी। मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सतत् प्रयासों के फलस्वरूप सांवेर औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर तथा औद्योगिक क्षेत्र, बुरहानपुर में मितव्ययी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना करवाई गई।

अ. सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इन्दौर में स्थापित लघु स्टील रि-रोलिंग मिल्स हेतु बैग फिल्टर आधारित तकनीक का विकास:

इन्दौर शहर के अंतर्गत प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड औद्योगिक क्षेत्र के नाम से स्थापित है। पूर्व में यह क्षेत्र इन्दौर शहर से दूर माना जाता था। परन्तु समय के साथ इन्दौर का विकास हुआ एवं अब यह क्षेत्र इन्दौर शहर के अंतर्गत आ गया है। सांवेर औद्योगिक क्षेत्र 6 सेक्टरों क्रमशः ए, बी, सी, डी, ई एवं एफ में विभाजित है। इन सभी सेक्टरों के अंतर्गत लगभग 34 लघु स्टील रि-रोलिंग मिल्स संचालित है। इन इकाईयों में स्टील बार्स (सरिया) का निर्माण किया जाता है। निर्माण के दौरान भट्टी में कोयले का उपयोग होता है तथा यह सभी उद्योग वायु प्रदूषणकारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। क्षमता के आधार पर इकाईयों की लागत 25 लाख से 1.5 करोड़ के बीच है। इस प्रकार के छोटे उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वाटर स्क्रबर आधारित व्यवस्था स्थापित की गई है। परन्तु समय-समय पर यह पाया गया कि उक्त व्यवस्था से वायु प्रदूषण का नियंत्रण उपयुक्त रूप से नहीं होता है। इन्दौर शहर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्रिटीकली पॉल्युटेड एरिया घोषित किया गया था अतः इन लघु उद्योगों में तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उन्नत तकनीक की वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था किया जाना आवश्यक पाया गया।

उद्योगों में उपयुक्त वायु प्रदूषण व्यवस्था की दृष्टि से बैग फिल्टर आधारित वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था पर विचार किया गया तथा क्षेत्र के एक उद्यमी मेसर्स मध्यांचल स्टील प्रा.लि. में यह व्यवस्था प्रायोगिक तौर पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले फ्ल्यू गैस का तापमान लगभग 600 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः बैग फिल्टर डैमेज ना हो इस हेतु फ्ल्यू गैस के तापमान को कम करने हेतु रिक्युपरेटर की स्थापना उपयुक्त पाई गई। इस यंत्र की स्थापना से फर्नेस में उपयोग होने वाली वायु को गर्म करने की व्यवस्था अर्थात् हीट रिकवरी की व्यवस्था की गई। हीट रिकवरी से भट्टी में कोयले की मात्रा में लगभग 20-25 किलोग्राम प्रतिटन स्टील की कमी आई। इस प्रकार 30 टन उत्पादन करने वाली इकाई में लगभग 600 किलोग्राम कम कोयले की खपत होना पाया गया। इससे प्रत्यक्ष रूप से एक ओर वायु प्रदूषण में कमी आई तो दूसरी ओर कोयले में प्रतिदिन रूपये 3600-4000 की बचत हुई। बैग फिल्टर आधारित उपरोक्त व्यवस्था से उद्योग से होने वाले वायु प्रदूषण का स्तर 50 मिलीग्राम प्रतिघन मीटर से कम पाया गया व इस प्रकार लघु सरिया मिलों में उपरोक्त वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्यरत है। उपरोक्त व्यवस्था क्षेत्र के सभी सरिया मिलों में लगाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है तथा इसके अतिरिक्त 02 अन्य सरिया मिलों में यह व्यवस्था स्थापित कर ली गई है।




लघु स्टील रि-रोलिंग मिल में बैग फिल्टर आधारित तकनीक का विकास

ब. उद्योग नगर, बुरहानपुर में स्थापित टैक्सटाईल इकाईयों में वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था की स्थापना :

उद्योग नगर, बुरहानपुर में लघु श्रेणी की लगभग 35 टैक्सटाईल इकाईयां स्थापित है। इन उद्योगों में 0.75 से 4 टन प्रतिघंटा क्षमता के लकड़ी/ब्रिकेट आधारित बॉयलर स्थापित है। उद्योगों द्वारा बड़े बॉयलर्स में साईक्लोन तथा छोटे बॉयलर में केवल चिमनी के माध्यम से वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी। परन्तु यह पाया गया कि उक्त प्रकार की वायु प्रदूषणरोधी व्यवस्था उपयुक्त नहीं है तथा समय के साथ औद्योगिक क्षेत्र शहर के अंतर्गत आने से बॉयलर से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम 50 मिलीग्राम प्रतिघन मीटर तक किया जाना आवश्यक है। अतः इस हेतु बैग फिल्टर आधारित प्रदूषणरोधी व्यवस्था लागू कराया जाना उपयुक्त पाया गया।

उक्त संबंध में क्षेत्र की उद्योग एसोशिएशन एवं जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई। शुरू में पदाधिकारियों द्वारा बैग फिल्टर आधारित व्यवस्था महंगी होने के कारण इसका विरोध किया गया। परन्तु उन्हें वायु प्रदूषण नियंत्रण के महत्व को समझाया गया तत्पश्चात सभी उद्यमी इस हेतु राजी हुए। क्षेत्र के 32 उद्योगों जिनमें बॉयलर स्थापित है, के द्वारा उक्त व्यवस्था स्थापित करने हेतु बैंक गारंटी बोर्ड में जमा कराई गई व बैग डस्ट कलेक्टर की स्थापना प्रारंभ की गई। वर्तमान स्थिति तक 25 उद्योगों में उक्त व्यवस्था स्थापित हो चुकी है तथा शेष 07 उद्योगों में स्थापना का कार्य प्रगति पर है। उपरोक्तानुसार व्यवस्था के फलस्वरूप बुरहानपुर नगर के अंतर्गत उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण नियंत्रण में सफलतापूर्वक कार्यवाही की गई है।

बुरहानपुर स्थित लघु टैक्सटाईल इकाईयों में वायु प्रदूषण रोधी व्यवस्था



■ पॉलिथिन की थैलियों / पन्नियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध

माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 26/01/2017 को यह घोषणा की गई थी कि मई, 2017 से प्रदेश में पॉलिथिन की थैलियाँ/पन्नियाँ पूर्णतः बन्द की जावेगी। मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग की अधिसूचना दिनांक 24 मई, 2017 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के लगने के पश्चात् मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पोलिथिन के विकल्पों हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा इस संबंध में अभियान चलाकर वृहद जन-जागृति कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं।

■ नर्मदा नदी प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये गये प्रयास

नर्मदा नदी को औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त रखने हेतु बोर्ड द्वारा सार्थक कार्यवाही की गई है। नर्मदा नदी के कैचमेंट में स्थापित 11 मुख्य जल प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा सक्षम दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है तथा इनमें से 10 उद्योगों में "शून्य निःस्त्राव" की स्थिति है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत होशंगाबाद में स्थापित मेसर्स सिक्क्यूरिटी पेपर मिल, जिसका पूर्व में 16 हजार कि.ली. प्रतिदिन उपचारित जल नर्मदा नदी में निस्सारित होता था, उसकी मात्रा लगभग 03 हजार कि.ली. प्रतिदिन हो गई है तथा साथ ही पानी की रिसायक्लिंग भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त नर्मदा नदी की सहायक नदी गौर व परियट के किनारे स्थापित 139 डेयरी उद्योगों के विरूद्ध बोर्ड द्वारा न्यायालयीन कार्यवाही की गई है।

अमरकंटक से अलीराजपुर के बीच नर्मदा नदी जल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग 31 बिन्दुओं पर की जाकर निगरानी रखी जा रही है। वर्ष 2017 में कराई गयी जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग के परिणामों के अनुसार नदी जल गुणवत्ता भारतीय मानक- 2296 के अनुसार 'ए' व 'बी' श्रेणी में है। बोर्ड द्वारा औंकारेश्वर में नर्मदा नदी की जलगुणवत्ता मापन हेतु ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना की गई है। नदी की जल गुणवत्ता के पैरामीटर्स को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है।

नर्मदा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले शहरों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया तथा ए.क्यू.आई. को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। इन शहरों में 642 ध्वनि प्रदूषण नमूने तथा 1465 वाहनों का प्रदूषण मापन कर समझाईश दी गई।



औंकारेश्वर में स्थापित ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम

मूर्ति विसर्जन के लिये केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के पालन हेतु नगरीय निकायों के माध्यम से नर्मदा नदी के तटों पर पृथक मूर्ति विसर्जन कुण्डों की स्थापना कराई गई है।



मूर्ति विसर्जन कुण्ड मण्डला

जन-जागरूकता कार्यक्रम

बोर्ड के 6 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से अमरकंटक, डिण्डौरी, मण्डला, जबलपुर, बरमानघाट, होशंगाबाद, नेमावर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मण्डलेश्वर, धरमपुरी, अलीराजपुर आदि प्रमुख स्थानों एवं स्नान घाटों पर जन-जागरूकता अभियान के अंतर्गत रैली, नुक्कड़ नाटक, वॉलपेंटिंग, पेम्पलेट वितरण, घाटों की सफाई, सेमीनार, वर्कशॉप, परिचर्चा का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। दिसम्बर 2017 तक बोर्ड द्वारा प्रदूषण के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से कुल 91 कार्यक्रम आयोजित किये गये, जिसमें 34 संगोष्ठियां व रैलियां शामिल हैं। स्कूलों/कॉलेजों के छात्रों, स्थानीय नागरिकों, सामाजिक-धार्मिक संस्थाओं, शासकीय-अशासकीय संस्थाओं, व्यवसायी वर्ग आदि सभी को नर्मदा नदी प्रदूषण शमन अभियान से जोड़ा गया।



अमरकंटक में उद्योगों के सहयोग से वृक्षारोपण



जन-जागरूकता के अन्तर्गत डिंडौरी में आयोजित नुक्कड़ नाटक

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय निकाय के अधिकारियों, होटल व्यवसायी तथा समीप के औद्योगिक संस्थानों के साथ बैठकें आयोजित कर जन-जागरूकता व्यापक स्तर पर की गयी तथा सभी स्तरों पर नर्मदा नदी में प्रदूषण रोकने की अपील की गयी।

■ आपात अनुक्रिया केन्द्र (इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेन्सी रिस्पांस सेन्टर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है, इसका संचालन प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इस केन्द्र को मध्यप्रदेश शासन ने रसायनों से संबंधित जानकारी एवं रासायनिक आपदाओं के समय मार्गदर्शन देने हेतु 'नोडल एजेन्सी' घोषित किया है। केन्द्र तथा राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय के अलावा भारत सरकार द्वारा बनाये गये "सेन्ट्रल क्राइसिस ग्रुप अलर्ट सिस्टम एवं नेशनल रजिस्टर ऑफ पोर्टेशियली टॉक्सिक केमिकल" से सतत् सम्पर्क रखने का दायित्व भी इस केन्द्र का है। इस केन्द्र द्वारा शासकीय, अर्ध-शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं सामान्य नागरिक जनों को भी रसायनों एवं रासायनिक दुर्घटनाओं से बचाव संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है।

■ पर्यावरण निगरानी केन्द्र (ESC)

प्रदूषणकारी उद्योगों की सतत् रूप से निगरानी हेतु जनवरी 2016 से पर्यावरण निगरानी केन्द्र की स्थापना की गई है। सतत् निगरानी से प्रदूषण की स्थिति निर्मित होने के पूर्व ही उसे नियंत्रण करने एवं उद्योगों को प्रदत्त निर्धारित प्रदूषण के मापदण्डों को पालन करने में सहायता प्राप्त होती है। स्थापित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के नियमित संचालन एवं आवश्यकतानुसार उन्नयन हेतु निगरानी केन्द्र की भूमिका महत्वपूर्ण है।

सतत् निगरानी हेतु प्रथम चरण में 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योगों को चिन्हित कर सतत् निगरानी कार्य जारी है। लाल एवं नारंगी श्रेणी में चिन्हित उद्योगों का भी सतत् निगरानी के दायरे में निगरानी कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत उद्योगों द्वारा सतत् स्रोत उत्सर्जन मापन उपकरण (CEMS), सतत् दूषित जल गुणवत्ता मापन उपकरण (CEQMS), सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन उपकरण (CAAQMS), आई.पी. आधारित पी.टी. जेड, कैमरा आदि व्यवस्थायें स्थापित हैं जिनके माध्यम से अविरल परिणाम पर्यावरण निगरानी केन्द्र को प्राप्त होते



पर्यावरण निगरानी केन्द्र, भोपाल



4 जुलाई 2017 को आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए सदस्य सचिव

है। फलस्वरूप उद्योगों की प्रदूषण की स्थिति की निगरानी लगातार संभव हो पाती है। उद्योगों के अतिरिक्त कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट, नगरीय अपशिष्ट, औद्योगिक खतरनाक अपशिष्ट, औद्योगिक निःस्त्राव आदि उपचारित करने वाली फेसिलिटीज से होने वाले प्रदूषण की भी सतत निगरानी इस केन्द्र द्वारा की जाती है।

प्रदेश में वर्तमान में 89 अति प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा सतत निगरानी उपकरण स्थापित किए गये हैं इनके अतिरिक्त 92 अन्य प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा भी सतत निगरानी उपकरण स्थापित किये गये हैं। कुल 221 स्रोत मॉनिटरिंग उपकरण, 81 सतत परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग उपकरण, 59 सतत दूषित निःस्त्राव मापक उपकरण एवं 101 आई.पी. कैमरे उद्योगों द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं।

प्रदेश में पाँच स्थानों, पीथमपुर, मंडीदीप, सिंगरौली, देवास एवं उज्जैन में परिवेशीय वायु की सतत निगरानी हेतु उपकरण स्थापित किये गये हैं। जिसके माध्यम से संबंधित क्षेत्र की वायु गुणवत्ता अविरल प्राप्त होती है। उक्त गुणवत्ता को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है जिससे प्रदेश के साथ ही URL के माध्यम से इसे व्यापक रूप से देखा जा सके। सतत परिवेशीय वायु मापन उपकरणों (CAAQMS) द्वारा सभी निर्धारित प्रदूषकों का मापन कार्य किया जाता है।

बोर्ड द्वारा आगामी योजनान्तर्गत अन्य शहरों में भी CAAQMS स्थापित किया जाना है, इसमें प्रदेश के बड़े शहरों में सतत ध्वनि प्रदूषक मापक एवं चिन्हित महत्वपूर्ण जल स्रोतों में भी सतत निगरानी उपकरण लगाने की योजना है। पर्यावरण निगरानी केन्द्र की समस्त गतिविधियां एवं जन सामान्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां वेबसाइट www.erc.mp.gov.in पर देखी जा सकती है।

औद्योगिक प्रदूषण की गुणवत्ता की सतत निगरानी के लिये आधुनिक तकनीकी के बारे में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला दिनांक 4 से 6 जुलाई 2017 को आयोजित की गई जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राज्य स्थित समस्त संबंधित अधिकारियों को विस्तृत तकनीकी जानकारी दी गई। उक्त प्रशिक्षण कार्य हेतु राष्ट्रीय संस्थानों से फेकल्टीज के अतिरिक्त विख्यात विषय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यशाला की कार्यवाही का लाईव वेबकास्ट किया गया था जिससे अधिक से अधिक जन इस आधुनिक तकनीकी का लाभ ले सकें। लाईव वेबकास्टिंग का यह कार्य बोर्ड के ही संसाधनों से प्रथम बार किया गया था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप आम-जन औद्योगिक प्रदूषण की सतत जानकारी प्राप्त कर सकें, इस हेतु पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा एक यूजर फ्रेंडली “एप” सर्विलेंस मैनेजमेंट सिस्टम (SMS) के नाम से तैयार किया है। जिसके माध्यम से समस्त संबंधित एवं आम-जन प्रदूषण मॉनिटरिंग परिणाम सतत रूप से क्षेत्रीय कार्यालय के आधार पर, उद्योग की श्रेणी के आधार पर अथवा अन्य प्रकार से देख सकते हैं। उक्त “एप” कार्यालय द्वारा स्वयं पहल कर डिजाईन/निर्मित किया गया है।

निगरानी केन्द्र द्वारा कार्यालय के मॉनिटरिंग एवं अन्य संबंधित दस्तावेजों के सुदृढ़ संधारण, ऑटोमेशन एवं मैनेजमेंट हेतु डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है, उक्त मैनेजमेंट सिस्टम वेब इनेबल्ड है। अतः इसे नेटवर्क पर किसी भी स्थान से एक्सेस किया जा सकता है। इस सिस्टम को भी कार्यालय में ही तैयार किया गया है।

बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रदेश में पाँच शहरों क्रमशः पीथमपुर, उज्जैन, देवास, मंडीदीप एवं सिंगरौली में (CAAQMS) स्थापित किये गये हैं जिनके द्वारा परिवेशीय वायु की गुणवत्ता सतत मापी जाती है। उक्त क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता की जानकारी सतत रूप में मुख्यालय पर देखी जा सके इस हेतु पर्यावरण निगरानी केन्द्र द्वारा कार्यालय स्तर पर “ए.क्यू.आई. सर्वर यू.आई. एप्लीकेशन” तैयार की है एवं इसे मुख्यालय तथा दूरस्थ स्टेशनों पर स्थापित किया है। जो कि दूरस्थ परिवेशीय स्टेशनों की सतत जानकारी प्रदान करता है।

प्रदेश में उद्योगों द्वारा स्थापित किये गये समस्त CAAQMS के प्राप्त सतत डाटा के आधार पर संबंधित क्षेत्र का ए.क्यू.आई. इन्डेक्स भी जन-सामान्य हेतु वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाता है। उद्योगों द्वारा स्थापित CAAQMS का ए.क्यू.आई. इन्डेक्स प्रदर्शित करने संबंधित कार्य देश में प्रथम बार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही प्रारंभ किया गया है।

उद्योगों से सतत रूप से प्राप्त उत्सर्जन परिणामों की गुणवत्ता एवं वैधता की जाँच करने हेतु “रिमोट केलीब्रेशन सिस्टम” तैयार किया गया है। इसके माध्यम से उद्योग में स्थापित उत्सर्जन मॉनिटरिंग उपकरण को कार्यालय के सर्वर कक्ष से ही दूरस्थ तकनीकी द्वारा जाँच लिया जाता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत उद्योग के मॉनिटरिंग उपकरण, सर्वर सिस्टम, डाटा हेन्डलिंग सिस्टम आदि सभी उपकरण दूरस्थ तकनीक के माध्यम से कार्यालय के नियंत्रण में लिये जाते हैं जिससे प्रत्येक स्तर पर डाटा की वैधता को जांचा एवं परखा जा सके। उक्त रिमोट केलीब्रेशन तकनीकी संबंधित कार्य देश में प्रथम बार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया है। इस कार्य को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भी अनेक बार सराहा गया है एवं इसे पूरे देश में लागू करने हेतु समस्त राज्यों के बोर्ड को निर्देशित भी किया गया है।



■ **बोर्ड की प्रयोगशालाओं की अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत मान्यताये :-**

केन्द्रीय प्रयोगशाला, भोपाल की स्थापना राजपत्र अधिसूचना जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 16 (3) के तहत दिनांक 08/02/2008 को की गई है। स्थापना के उपरांत प्रयोगशाला ने निम्नलिखित मान्यताओं को प्राप्त किया है :-

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 2007 से पर्यावरण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त।
- आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2005 (अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली) के अंतर्गत जल और अपशिष्ट जल के लिये 2011 से (एन.ए.बी.एल.) (क्यू.सी.आई., भारत सरकार) से मान्यता प्राप्त।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आंकलन श्रृंखला 18001:2007 के तहत 2013 से प्रमाणित।
- म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जबलपुर, इंदौर, उज्जैन एवं ग्वालियर स्थित प्रयोगशालाओं को भी आई.एस.ओ./आई.ई.सी. 17025:2005 (अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रणाली) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।



केन्द्रीय प्रयोगशाला भोपाल को प्राप्त प्रमाण-पत्र

2. राज्य बोर्ड का गठन

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा- 4 (2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किया जाता है। संचालक मंडल में 17 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर 17 सदस्यीय संचालक मंडल में अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा मनोनीत राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, स्थानीय निकायों के पांच प्रतिनिधि, कृषि, मछली पालन एवं उद्योग की श्रेणी से तीन अशासकीय सदस्य तथा राज्य शासन के स्वामित्व/नियंत्रण द्वारा संचालित किये जाने वाले निगमों या कम्पनियों के दो प्रतिनिधि शामिल किये जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 में तथा संगठनात्मक संरचना एवं कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।



3. बोर्ड की बैठकें

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा- 8 के अनुसार विचाराधीन वर्ष में बोर्ड की 03 बैठकें आयोजित की गईं :

| क्र. | बैठक संख्या | तिथि | स्थान | उपस्थित सदस्यों की संख्या |
|------|-------------|------------|-------|---------------------------|
| 1 | 144 | 27/07/2017 | भोपाल | 08 |
| 2 | 145 | 21/09/2017 | भोपाल | 08 |
| 3 | 146 | 22/12/2017 | भोपाल | 08 |

बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

1. प्रयोगशाला में विश्लेषित किये जाने वाले पैरामीटर की दरें निर्धारित की गईं।
2. "ईज ऑफ डूइंग" बिजनेस के अन्तर्गत लागू ऑटो रिन्यूअल सुविधा के क्रियान्वयन हेतु सम्मति नवीनीकरण एवं प्राधिकार संबंधी शक्तियों का पुनर्निर्धारण किया गया।
3. खतरनाक अपशिष्टों के परिवहन के दौरान दुर्घटनाओं के समय त्वरित नियंत्रण हेतु आकस्मिक प्राधिकार शक्तियां क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गईं।
4. आंचलिक कार्यालयों की स्थापना एवं आंचलिक अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं।
5. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (म.प्र.) नियम, 1975 के नियम 7(4), 9(6) व 12 के अन्तर्गत अध्यक्ष को प्रदत्त शक्तियां सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित की गईं।
6. वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 व 2016-17 में प्रावधानित राशि से उपकरणों के क्रय प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
7. कार्यालयीन एवं आवासीय भवनों से संबंधित सिविल कार्यों हेतु कार्यपालन यंत्री (संधारण) को वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गईं।
8. न्यायालय से संबंधित प्रकरणों में बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं हेतु फीस निर्धारण की गईं।
9. बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को सातवां वेतनमान स्वीकृत किया गया।
10. वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमान को अनुमोदित किया गया।
11. बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु उपादान (ग्रेच्युटी) की राशि सीमा रू. 20 लाख की गईं।
12. आंचलिक कार्यालयों की स्थापना :-
मध्यप्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए व उद्योगों पर सतत निगरानी किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में बोर्ड द्वारा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में नये आंचलिक कार्यालयों की स्थापना की गई है।



4. जल एवं वायु गुणवत्ता के लिए प्रबोधन तंत्र

4.1 जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

नदियां प्रदेश में सतही जल का प्रमुख स्रोत है तथा प्रदेश सिंचाई, पीने के पानी एवं औद्योगिक गतिविधियों के लिए नदियों के जल पर निर्भर है। भूमि के अतिरिक्त जल का निकास, घरेलू एवं औद्योगिक दूषित जल का प्राकृतिक प्रवाह नदियों की ओर होने के कारण जल प्रदूषण की संभावना होती है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की जल गुणवत्ता पर सतत् निगरानी रखना एवं उसकी गुणवत्ता को बनाये रखना है।

अतः बोर्ड द्वारा प्रदेश की प्रमुख नदियों, झीलों/तालाबों एवं भू-जल की मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। यह कार्य मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत् अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय, भोपाल में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय प्रयोगशालायें कार्यरत हैं। जल स्रोतों की निगरानी हेतु बोर्ड द्वारा वार्षिक मॉनिटरिंग पैकेज तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से मॉनिटरिंग व विश्लेषण कार्य सम्पन्न कराया जाता है।

मध्यप्रदेश में प्रमुख रूप से निम्नलिखित पाँच रिवर बेसिन आते हैं :-

| क्र. | बेसिन का नाम | प्रमुख नदियों का नाम |
|------|----------------|---|
| 1. | गंगा बेसिन - | टोन्स, सोन, चम्बल, सिन्ध, जामुनी, बेतवा, धसान तथा केन |
| 2. | नर्मदा बेसिन- | नर्मदा, बंजर, तवा, कोलार, हिरन, सुखता तथा गोई |
| 3. | गोदावरी बेसिन- | कन्हान, पेंच तथा बेनगंगा नदी |
| 4. | ताप्ती बेसिन - | ताप्ती नदी |
| 5. | माही बेसिन - | माही एवं अनास नदी |



प्रदेश की प्रमुख नदियों के प्रवाह क्षेत्र (रिवर बेसिन) तथा नदियों को नक्शा क्रमांक - 1 में दर्शाया गया है।

4.2 प्राकृतिक जल स्रोतों की निगरानी :-

प्राकृतिक जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच हेतु प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलों, बाँधों, तालाबों, नालों एवं भू-जल स्रोतों से जल नमूने एकत्रित किये जाते हैं।

वर्ष 2017-18 में जल गुणवत्ता मापन कार्यक्रम के अंतर्गत 85 प्रमुख नदियों/सहायक नदियों, 101 झीलों/बाँधों/तालाबों, 72 नालों एवं 444 भू-जल स्रोतों की जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग की है।

बोर्ड द्वारा जल गुणवत्ता सूचकांक (Water Quality Index) को बोर्ड की वेबसाइट (www.mppcb.nic.in) पर जन सामान्य हेतु प्रदर्शित किया जाता है तथा इसे प्रतिमाह अपडेट किया जाता है।



केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :- (वर्ष 2017-18)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत प्राकृतिक जल स्रोतों के जल गुणवत्ता आंकलन हेतु योजनायें प्रायोजित की जाती हैं। यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने, जल गुणवत्ता संबंधित आँकड़ों की विश्वसनीयता विस्तार तथा प्रदूषणकारी पदार्थों का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है। परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

4.3 विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)

विश्व पर्यावरण प्रबोधन पद्धति परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 सेम्पलिंग स्थलों से वर्ष 2017-18 में कुल 50 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑन लाइन प्रेषित किये गये।



4.4 भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से मीनार्स परियोजना प्रारम्भ की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय प्रबोधन पद्धति परियोजना के अंतर्गत राज्य के 183 सेम्पलिंग बिन्दुओं से जल नमूने एकत्रित कर वर्ष 2017-2018 के दौरान कुल 1649 नमूने विश्लेषित किये गये। परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऑन लाइन प्रेषित किये गये, साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सॉफ्टवेयर/केलक्यूलेटर का उपयोग करते हुए, यह सुनिश्चित किया जाता है, कि जल गुणवत्ता संतोषजनक है अथवा असंतोषजनक। सामान्य जनता को जल गुणवत्ता से अवगत कराने हेतु प्रतिमाह जल गुणवत्ता सूचकांक (WQI) की जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है तथा डाटा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाते हैं।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयवार प्राकृतिक जल स्रोतों के 188 सेम्पलिंग बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार है :-


MAIN RIVER BASINS OF MADHYA PRADESH

नक्सा क्रमांक 1





Legend

- National Highway
- State Highway
- Tapi_P
- Dams/Reservoir



Water Quality of River Narmada (2017-18)

नक्शा क्रमांक 2



Legend

- Sampling Points
- Stream Classification (as per designated best-use)
 - A
 - B
 - C

गंगा बेसिन :-


गंगा बेसिन के अंतर्गत प्रदेश में बेतवा, चंबल, सोन, टोन्स, इत्यादि नदियाँ आती हैं।

बेतवा नदी :- गंगा बेसिन के अंतर्गत यमुना सब बेसिन में आने वाली बेतवा नदी का उद्गम कुमरा (झिरी) गांव, जिला, रायसेन में है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकल कर लगभग 590 कि.मी. उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर में यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ बीना, घसान, केन एवं यामिनी तथा प्रमुख डेम - राजगढ़ है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बेतवा नदी की जल गुणवत्ता जांचने हेतु प्रदेश के रायसेन, विदिशा, बीना तथा टीकमगढ़ जिलों में निम्नलिखित कुल 14 स्थलों से नदी के जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया जाता है:-

| क्र. | जल नमूना एकत्रित करने का स्थल |
|------|---|
| 1 | बेतवा नदी, अपस्ट्रीम मण्डीदीप, रायसेन |
| 2 | बेतवा नदी, डाउन स्ट्रीम मण्डीदीप, नयापुरा, रायसेन |
| 3 | बेतवा नदी, सतलापुर ग्राथ सेन्टर के पास, रायसेन |
| 4 | बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास भोजपुर, रायसेन |
| 5 | बेतवा नदी, जल प्रदाय केन्द्र, रायसेन |
| 6 | बेतवा नदी रोड ब्रिज के पास पगनेश्वर, रायसेन |
| 7 | बेतवा नदी, अपस्ट्रीम रेल्वे रोड ब्रिज, विदिशा |
| 8 | बेतवा नदी, वाटर जल प्रदाय केन्द्र, विदिशा |
| 9 | बेतवा नदी, चरणतीर्थ घाट के पास, विदिशा |
| 10 | बेतवा नदी, बेस नदी मिलने के बाद, विदिशा |
| 11 | बेतवा नदी, मेहता घाट, आगासोद, बीना |
| 12 | बेतवा नदी, अपस्ट्रीम, जल प्रदाय केन्द्र, जे.पी धर्मल पावर, बीना |
| 13 | बेतवा नदी, राजगढ़ जल प्रदाय केन्द्र के पास |
| 14 | बेतवा नदी, रोड ब्रिज के पास ओरछा, टीकमगढ़ |

2017-18 बेतवा नदी की जल गुणवत्ता अधिकांश बिन्दुओं पर "ए" एवं "बी" श्रेणी की पाई गई है। एक स्थान मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र के डाउन स्ट्रीम नयापुरा के पास "सी" श्रेणी की पाई गई है जो नक्शा क्रमांक-3 पर दर्शित है।



चम्बल नदी :-

चम्बल नदी:- यह गंगा बेसिन के अंतर्गत एक मुख्य नदी है जो ग्राम जनापावा, मऊ शहर के उत्तर उद्गम हो कर प्रदेश के उज्जैन, रतलाम, मंदसौर शहरों से बहते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। पुनः मध्यप्रदेश के मुरैना एवं भिण्ड जिलों से बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिलती है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 346 कि.मी. है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ क्षिप्रा, कालीसिन्ध, छोटी कालीसिन्ध शिवना, सीप, पार्वती, अनास नदी, चामला एवं गंभीर है। इस नदी पर निर्मित प्रमुख डेम गांधीसागर है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता जांचने हेतु प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, मुरैना एवं भिण्ड जिलों से निम्नलिखित कुल 17 स्थलों से नदी के जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया जाता है।






| क्र. | जल नमूना एकत्रित करने का स्थल |
|------|--|
| 1 | चंबल नदी, जनापावा उद्गम स्थल, इंदौर. |
| 2 | चंबल नदी, घाटाबिल्लोद, धार. |
| 3 | चंबल नदी, तमालपुर, इंदौर. |
| 4 | चंबल नदी, धूरेरी ब्रिज के पास, उज्जैन |
| 5 | चंबल नदी, पिपलोदा डेम, उज्जैन |
| 6 | चंबल नदी, अपस्ट्रीम जल प्रदाय केन्द्र, इंसपेक्शन बंगला बिरलाग्राम, नागदा |
| 7 | चंबल नदी, 100 मीटर डाउनस्ट्रीम इण्डस्ट्रि नाला, जुना नागदा |
| 8 | चंबल नदी, 1 किलो मीटर डाउनस्ट्रीम, जुना नागदा . |
| 9 | चंबल नदी, 3 कि.मी. डाउन स्ट्रीम के पहले गौदडगढ़, उज्जैन |
| 10 | चंबल नदी, 9 कि.मी. डाउन स्ट्रीम इटालावादा नागदा |
| 11 | चंबल नदी, 16 कि.मी. डाउन स्ट्रीम राजगढ़ |
| 12 | चंबल नदी, ताल रोड ब्रिज के पास, ताल |
| 13 | चंबल नदी, गांधी सागर डेम, नीमच |
| 14 | चंबल नदी, 100 मी. डाउन स्ट्रीम गांधी सागर, नीमच |
| 15 | चंबल नदी, रोड ब्रिज, जननीगांव परसराम घाट, शिवपुर |
| 16 | चंबल नदी, रोड ब्रिज के पास, फूफ जिला-भिण्ड |
| 17 | चंबल नदी, अन्तराज्यीय सीमा, धौलपुर के पास, रोड ब्रिज के पास, मुरैना |

वर्ष 2017-18 में चम्बल नदी की जल गुणवत्ता अधिकांश बिन्दुओं पर "ए" "बी" "सी" एवं "डी" श्रेणी की पाई गई है। नागदा औद्योगिक क्षेत्र के पास जल की गुणवत्ता "डी" श्रेणी की पाई गई है चम्बल नदी के जल की गुणवत्ता को नक्शा क्रमांक-4 में दर्शाया गया है।



Water Quality of River Betwa (2017-18)

नक्शा क्रमांक 3



Legend

- Sampling Points

Stream Classification (as per designated best-use)





- A
- B
- C



Source: MPPCB

Water Quality of River Chambal (2017-18)

नक्शा क्रमांक 4



Legend

- Sampling Points

Stream Classification (as per designated best use)


- A
- B
- C
- D
- E

सोन नदी :- गंगा बेसिन के अंतर्गत सोन सब बेसिन का कुल क्षेत्रफल 28,880 किलोवर्ग मीटर है। सोन नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश के उत्तर- पश्चिम की ओर से प्रवाहित होती है। यह नदी शहडोल, चचाई, सिंगरौली तथा सीधी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए मध्यप्रदेश की अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थित कारीपुर गांव से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर बिहार राज्य के पटना शहर के पश्चिम में गंगा नदी में सीधे मिलती है। सोन नदी की कुल लम्बाई 784 कि.मी. है। मध्य प्रदेश में यह 470 कि.मी. बहती है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में जोहिला, गोपद, कन्हान, बनास एवं रेहन्द इत्यादि हैं तथा प्रमुख डेम बाणसागर हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनूपपुर, शहडोल, सिंगरौली एवं सीधी शहरों से वर्ष 2017-18 में सोन नदी के निम्नलिखित कुल 13 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है।

| क्र. | जल नमूना एकत्रित करने का स्थल |
|------|---|
| 1 | सोन नदी, उद्गम स्थल अमरकंटक, अनूपपुर |
| 2 | सोन नदी, डाउन स्ट्रीम, ओ.पी.एम अमलाई, अनूपपुर |
| 3 | सोन नदी, भट्टराघाट 200 मी. डाउन स्ट्रीम, नाले में मिलने के बाद, अमलाई, ओ.पी.एम. अनूपपुर |
| 4 | सोन नदी, जरवाही रोड ब्रिज के पास, शहडोल |
| 5 | सोन नदी, दिया पीपर रोड ब्रिज के पास, शहडोल |
| 6 | सोन नदी, देवल्लोड बाणसागर डेम के पास |
| 7 | सोन नदी, अप स्ट्रीम एम.पी.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन, चचाई |
| 8 | सोन नदी, चितवाल गांव के पास, रोड ब्रिज, सिंगरौली |
| 9 | सोन नदी, भंवर सेन रोड ब्रिज, सीधी |
| 10 | सोन नदी, गौघाट, जिला-सीधी |
| 11 | सोन नदी, बनसागर केनाल, टोल प्लाजा, सीधी |
| 12 | सोन नदी, चुरहट जिला- सीधी |
| 13 | सोन नदी, कारीपुर गांव, अंतर्राज्यीय सीमा |

सोन नदी की जल गुणवत्ता “ए” श्रेणी की पाई गई है तथा अन्तर्राज्यीय सीमा (उत्तर प्रदेश) पर भी जल गुणवत्ता “ए” श्रेणी की है जो नक्शा क्रमांक-5 अनुसार है।



टोन्स / तमस नदी:- गंगा बेसिन के अंतर्गत टोन्स नदी मध्यप्रदेश के सतना जिले के कैमोर में स्थित मैहर के समीप तमशाकुण्ड जलाशय से निकलकर उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह नदी इलाहाबाद के समीप उत्तर प्रदेश में सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है। यह नदी 246 किलोमीटर मध्यप्रदेश में तथा 67 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है। इस नदी पर मध्यप्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मध्य 07 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा स्थित है।

वर्ष 2017-18 में म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सतना तथा रीवा जिलो से टोन्स नदी के निम्नलिखित कुल 07 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया है :-



| क्र. | जल नमूना एकत्रित करने का स्थल |
|------|--|
| 1 | टोन्स नदी, पी.एच.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन के पास, माधवगढ़, |
| 2 | टोन्स नदी, बरधिया घाट के पास, माधवगढ़, सतना |
| 3 | टोन्स नदी, पटेरा रोड, रीवा |
| 4 | टोन्स नदी, चिला थन्डर, जिला रीवा |
| 5 | टोन्स नदी, बसावन मामा मंदिर, पुरवा फाल के पास, सिमरिया, रीवा |
| 6 | टोन्स नदी, चाकघाट पी.एच.ई.बी. पम्पिंग स्टेशन रीवा |
| 7 | टोन्स नदी, एम. पी.- यू. पी. सीमा पर अन्तर्राज्यीय सीमा |

टोन्स नदी की जल गुणवत्ता कुछ बिन्दुओं पर "ए" तथा कुछ बिन्दुओं पर "बी" श्रेणी की पाई गई है। मध्यप्रदेश एवं उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय सीमा पर नदी के जल की गुणवत्ता "ए" श्रेणी की है एवम जल के गुणवत्ता श्रेणी को नक्शा क्रमांक-6 में दर्शाया गया है।



Water Quality of River Sone (2017-18)

नक्शा क्रमांक 5




Legend

- Sampling Points


Stream Classification (as per designated best-use)

- A
- B
- C


Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paryavaran Patraon, ES, Area Colony Bhopal
Source: MPPCB

Water Quality of River Tons/Tumus (2017-18)

नक्शा क्रमांक 6



माही बेसिन :- माही बेसिन की प्रमुख नदी माही है। माही नदी पश्चिमी भारत की एक मुख्य नदी है। इसका उद्गम मध्यप्रदेश के धार जिले के समीप मिन्डा ग्राम की विंध्याचल पर्वत से हुआ है। यह धार, झाबुआ तथा रतलाम जिले के राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है। इसकी कुल लम्बाई 472 कि.मी. है। मध्य प्रदेश में इसकी मुख्य सहायक नदी अनास है। माही नदी पर बजाज सागर एवं कडाणा बांध राजस्थान राज्य में बनाये गये हैं। यह खम्बात को खाड़ी द्वारा अरब सागर में मिलती है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा धार एवं रतलाम शहरों से वर्ष 2017-18 में माही नदी के निम्नलिखित 03 स्थलों से जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण का कार्य किया गया है :-

| क्र. | जल नमूना एकत्रित करने का स्थल |
|------|--|
| 1 | माही नदी, बदनावर धार + |
| 2 | माही नदी, रानीसिंह गाँव, रतलाम |
| 3 | माही नदी, फारेस्ट गेस्ट हाउस राजापुर रतलाम |

वर्ष 2017-18 में माही नदी की जल गुणवत्ता "ए" तथा "बी" श्रेणी की पाई गई है। माही बेसिन नक्शा क्र. 10 में दर्शाया गया है

भारतीय मानक आई.एस. 2296-1992 के आधार पर सत्ही जल गुणवत्ता का विवरण

ए :- पेयजल स्रोत रोगाणुरहित गैर-पारम्परिक उपचार के बिना।

बी :- बाह्य स्नान योग्य (आउट डोर बाथिंग)।

सी :- पेयजल रोगाणुरहित पारम्परिक उपचार के साथ।

डी :- वन्य जीवन एवं मत्स्य पालन हेतु।

ई :- सिंचाई, औद्योगिक प्रशीतलन या नियंत्रित दूषित अपवहन।



4.7 मूर्ति विसर्जन

प्राकृतिक जल स्रोतों में धार्मिक कार्यक्रमों /उत्सव के समय प्लास्टर आफ पेरिस, प्लास्टिक, सीमेंट, रसायनयुक्त रंगों/आयल रंगों, क्ले इत्यादि से निर्मित प्रतिमाओं के विसर्जन करने से जलीय वनस्पतियाँ, जीव-जन्तुओं के अलावा मनुष्यों की सेहत पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। अतः मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष 2005 से निरन्तर मूर्ति विसर्जन के समय मॉनिटरिंग व जन-जागरूकता इत्यादि संबंधी कार्य निम्नानुसार संपादित किये जा रहे हैं :-

1. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थानीय निकायों/प्राधिकारियों के साथ बैठक कर मूर्ति विसर्जन के दिशा-निर्देशन के पालनार्थ एक समन्वय समिति गठित कर विसर्जन स्थल चिह्नित करने, पूजन सामग्री (पुष्प वस्त्र सजावट की सामग्री) को अलग कर अपवहन की व्यवस्था तथा मूर्ति विसर्जन के 48 घंटे के अन्दर बची हुई सामग्री के अपवहन आदि के कार्य सुनिश्चित किये।



गणेश उत्सव के दौरान बोर्ड के अधिकारियों द्वारा जन जागृती कार्यक्रम



2. प्रदेश स्तर पर कार्यशालायें आयोजित कर प्लास्टर आफ पेरिस के स्थान पर मिट्टी की छोटे आकार की प्रतिमाएँ बनाने का लोगों को प्रशिक्षण दिया गया।



गणेश उत्सव के दौरान कटनी में आयोजित कार्यशाला

Water Quality of River Mahi (2017-18)

नक्शा क्रमांक 10



Legend

- Sampling Points
- Stream Classification (as per designated best-use)
- A
- B
- C

Madhya Pradesh Pollution Control Board
Bhopal, M.P.

Source: MPPCB

3. जन-जागृति हेतु पम्पलेट एवं पोस्टर से प्रचार-प्रसार किया गया। प्रदेश व्यापी दैनिक समाचार पत्रों में अपील प्रकाशित कर आम जनता से मिट्टी/कागज/सुपारी आदि से बनी प्रतिमाओं का उपयोग करने तथा प्रतिमाओं में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल न करने की अपील की गई।
4. स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्राकृतिक जल स्रोत की मुख्य धारा के स्थान पर अस्थाई “प्रतिमा विसर्जन कुण्डों” का निर्माण कर कुण्डों में मूर्ति विसर्जन हेतु जनता को प्रेरित किया गया।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल निकाय के आकार को ध्यान में रखते हुए, पर्याप्त संख्या में सेम्पलिंग स्थल निर्धारित कर, विसर्जन स्थल का तीन चरणों में अर्थात विसर्जन पूर्व, विसर्जन के दौरान एवं विसर्जन के पश्चात् जल गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए भौतिक-रासायनिक पैरामीटरों जैसे पी.एच., घुलित आक्सीजन, जैव-आक्सीजन मांग, विशिष्ट चालकता, गंदलापन, कुल घुलित ठोस और धातु जैसे क्रोमियम, लैड, जिंक एवं कॉपर का विश्लेषण किया गया।



मूर्ति विसर्जन के दौरान जल नमूना एकत्रिकरण

वर्ष 2017 में गणेश उत्सव पश्चात् प्रतिमा विसर्जन के दौरान प्रदेश के विभिन्न विसर्जन स्थलों/ अस्थाई कुण्ड के जल नमूना एकत्रित कर जल गुणवत्ता का आंकलन किया गया। वर्ष 2017 में विश्लेषित धातुओं के स्तर में विसर्जन के दौरान तथा विसर्जन के एक सप्ताह पश्चात वृद्धि होना पाया गया।

औद्योगिक दूषित जल की निगरानी :-

उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रिया एवं घरेलू कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न जल दूषित होता है। दूषित जल के उपचार/शोधन हेतु बोर्ड द्वारा उद्योगों को निर्देश दिये जाते हैं। दूषित जल उपचार संयंत्रों में उपचारित जल की गुणवत्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। उद्योगों से निस्सारित दूषित जल के नमूने बोर्ड अपनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से एकत्रित कराकर उनकी गुणवत्ता का नियमित आंकलन करता है। वर्ष 2017-18 में विभिन्न उद्योगों से कुल 2868 दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।




4.8 वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम

केन्द्र प्रवर्तित योजनायें :- (वर्ष 2017-18)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शहरीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन हेतु प्रायोजित योजना का विवरण निम्नानुसार है :-

1. राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)

इस योजना के अंतर्गत राज्य के 15 प्रमुख शहरों में 39 स्थानों पर क्षेत्रवार आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सप्ताह में दो बार 24 घण्टे परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत शहरवार परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या निम्नानुसार है :-




मध्यप्रदेश के मुख्य शहरों की वायु गुणवत्ता का विवरण :-

वर्ष 2017-18 में परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग के विश्लेषित प्रचालक- सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (पी.एम.-10), पी.एम.-2.5, ओजोन, अमोनिया, लीड, निकल, आर्सेनिक एवं कार्बन मोनोऑक्साइड के वार्षिक औसत परिणामों के आधार पर शहरवार वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की गणना की गई।

राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मानक, अधिसूचना, 18 नवम्बर, 2009 में उल्लेखित पैरामीटर में से नाइट्रोजन के आक्साइड, सल्फर डाई आक्साइड, अमोनिया, ओजोन, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (पी.एम.-10), पी.एम.

2.5, लेड, निकल, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक एवं बैजीन पैरामीटर का परीक्षण किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित उपरोक्त पैरामीटर की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-



प्रतिदिन परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग परिणाम क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं से प्राप्त कर सामान्य जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) निम्न अनुसार कलर कोड के साथ बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)


| सूचकांक | श्रेणी | रंग |
|---------|--------------|------------|
| 401-500 | अति प्रदूषित | गहरा लाल |
| 301-400 | बहुत खराब | लाल |
| 201-300 | खराब | गुलाबी |
| 101-200 | मध्यम | पीला |
| 51-100 | संतोषजनक | हल्का पीला |
| 0-50 | अच्छा | हरा |

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों पर प्रदेश के नॉन अटेनमेन्ट शहर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास एवं सागर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर परिवेशीय वायु गुणवत्ता सामान्य करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

मध्यप्रदेश में स्थित समस्त 39 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु सूचकांक की स्थिति नक्शा क्रमांक-11 में दर्शायी है।

Ambient Air Quality of NAMP Stations of Madhya Pradesh

नक्शा क्रमांक - 11



Madhya Pradesh Pollution Control Board
 Paryavaran Parikes, 65, Arera Colony, Bhopal

Source-MPPCB

राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम के अंतर्गत शहरवार परिवेशीय वायु मॉनिटरिंग स्टेशन

| क्र. | शहर | स्थल क्र. | कोड | स्थल |
|------|-----------|-----------|------|--|
| 1 | उज्जैन | 1 | 526 | क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो. उज्जैन |
| | | 2 | 527 | जिला औद्योगिक कार्यालय, उज्जैन |
| | | 3 | 528 | महाकाल मंदिर, उज्जैन |
| | | 4 | 529 | नगर निगम कार्यालय, उज्जैन |
| 2 | नागदा | 5 | 0082 | केमिकल डिविजन, लेबर क्लब, नागदा |
| | | 6 | 0084 | ग्रेसिम गेस्ट हाऊस, नागदा |
| | | 7 | 0083 | ग्रेसिम कल्याण केन्द्र, नागदा |
| 3 | देवास | 8 | 523 | क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो. देवास |
| | | 9 | 524 | गजरा गेयर लि. देवास |
| | | 10 | 525 | ई.आई.डी. लि. देवास |
| 4 | भोपाल | 11 | 122 | मृगनयनी, हमीदिया रोड, भोपाल |
| | | 12 | 123 | गोविंदपुरा, औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल |
| | | 13 | 247 | पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल |
| | | 14 | 796 | कोलार धाना, कोलार रोड, भोपाल |
| | | 15 | 877 | सिविल हॉस्पिटल, बैरागढ़ |
| | | 16 | 876 | यूनिवर्सिटी, होशंगाबाद रोड, भोपाल |
| 5 | मंडीदीप | 17 | 797 | ए.के.बी.एन. मंडीदीप, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप |
| 6 | इन्दौर | 18 | 127 | सांवेर रोड, इन्दौर |
| | | 19 | 128 | कोठारी मार्केट, एम. जी. रोड, इन्दौर |
| | | 20 | 131 | विजय नगर, इन्दौर |
| 7 | पीथमपुर | 21 | 803 | विकास भवन, सेक्टर-2 पीथमपुर |
| | | 22 | 804 | आर.सी.सी. सेक्टर-3 पीथमपुर |
| 8 | ग्वालियर | 23 | 479 | महाराज वाड़ा, ग्वालियर |
| | | 24 | 478 | दीनदयाल नगर, ग्वालियर |
| 9 | जबलपुर | 25 | 248 | विजय नगर, जबलपुर |
| | | 26 | 798 | उदयपुर ब्रेवरीज, रीछाई औद्योगिक क्षेत्र |
| 10 | छिंदवाड़ा | 27 | 799 | मुल्लाजी पेट्रोल पम्प के सामने, परासिया रोड, छिंदवाड़ा |
| | | 28 | 800 | जबलपुर दुग्ध संघ, छिंदवाड़ा |
| 11 | सागर | 29 | 532 | दीनदयाल नगर, हाउसिंग बोर्ड, सागर |
| | | 30 | 533 | न्यू कालोनी तिली रोड, सागर |
| 12 | सतना | 31 | 342 | क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो. मैहर बाईपास सतना |
| | | 32 | 343 | वैष्णो फ्लोर मिल, सतना |
| 13 | सिंगरौली | 33 | 514 | एन.टी.पी.सी. विध्यनगर |
| | | 34 | 515 | जयंत टाउन शीप, सिंगरौली |
| | | 35 | 516 | बैदन औद्योगिक क्षेत्र |
| 14 | शहडोल | 36 | 802 | न्यू बिल्डिंग क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्र.नि.बो. शहडोल |
| | | 37 | 801 | ट्रेफिक पुलिस ऑफिस, शहडोल |
| 15 | कटनी | 38 | 875 | केलडरी वर्क इण्डिया रिफेक्ट्रीज, कटनी |
| | | 39 | 874 | एच.आई.जी. - 4 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कटनी |

वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु प्रयास एवं सुझाव :-

परिवेशीय वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जन-जागृति कार्यक्रम आयोजित कर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए निम्नानुसार सुझाव दिए जाते हैं :-

1. डीजल चलित वाहनों की संख्या में कमी लायी जाये।
2. पुराने वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जाये।
3. घरेलू कचरे को जलाये जाने पर रोक लगाने की आवश्यकता है।
4. भवन निर्माण स्थानों पर स्क्रीन (टीन/प्लास्टिक के पर्दे) की व्यवस्था हो।
5. किसानों को नरवाई नहीं जलाने की समझाइश दी जाये।
6. सड़को के किनारे लॉन (घास) एवं पेड़ पौधों या पेवमेंट ब्लॉक लगाने जैसी व्यवस्था से भी धूल कणों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

उद्योगों के चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु निगरानी :-

उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक मात्रा में हानिकारक गैसों एवं धूल के कण का उत्सर्जन सम्भावित होता है, जो चिमनियों से या सीधे ही वायु मण्डल में निस्सारित होते हैं। इस प्रकार उद्योग के आस-पास के वातावरण में वायु प्रदूषण की सम्भावना रहती है। वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों द्वारा ई.एस.पी. एवं बैग फिल्टर आदि वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना की जाती है। उद्योगों से उत्पादन गतिविधियों के फलस्वरूप सम्भावित वायु प्रदूषण पर सतत निगरानी रखने हेतु म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से उद्योगों की चिमनियों से होने वाले उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु की निगरानी हेतु वायु मॉनिटरिंग करता है। वर्ष 2017-18 में चिमनियों के कुल 494 नमूने एवं औद्योगिक/नगरीय टोस अपशिष्ट अपवहन स्थलों/शहरीय क्षेत्रवार परिवेशीय वायु के कुल 3271 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।

4.9 प्रदेश के प्रमुख शहरों की परिवेशीय वायु की स्थिति

भोपाल शहर :- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सहप्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत भोपाल शहर के 06 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु मापन कार्य नियमित रूप से किया जाता है। औसत रेस्पायरेबल सर्स्पेंडेड पार्टिकुलेट मेटर (पी.एम.-10) के परिणाम अनुसार सर्वाधिक परिणाम वाणिज्यिक क्षेत्र, हमीदिया रोड तथा न्यूनतम परिणाम पर्यावरण परिसर, रहवासी क्षेत्र के परिलक्षित हुए हैं। सामान्यतः सभी प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।


वर्ष 2017-18 का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार भोपाल शहर के 01 परिवेशीय वायु मापन केन्द्र का सूचकांक अच्छा एवं 05 केन्द्र संतोषजनक श्रेणी में है। जिसे नक्शा क्र. 12 में दर्शाया गया है।

इंदौर शहर :-

इंदौर शहर में कुल 03 स्थानों (कोठारी मार्केट, वाणिज्यिक क्षेत्र, सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र तथा विजयनगर, रहवासी क्षेत्र) पर नियमित रूप से पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों को संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 के विश्लेषित प्रचालकों के परिणाम सामान्यतः निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं।

AIR QUALITY OF BHOPAL CITY

नक्शा क्रमांक -13



| AQI | |
|---------|--------------|
| Index | Category |
| 401-500 | SEVERE |
| 301-400 | VERY POOR |
| 201-300 | POOR |
| 101-200 | MODERATE |
| 51-100 | SATISFACTORY |
| 0-50 | GOOD |

Legend
 Road
 Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
 Paryawari Panar, C.L. Area Colony Bhopal

Source: MPPCB

वर्ष 2017-18 का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार इंदौर शहर के समस्त 03 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक की श्रेणी में है। जिसे नक्शा क्र. 13 में दर्शाया गया है।

उज्जैन शहर :-

उज्जैन शहर के 04 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर परिवेशीय वायु मापन कार्य किया जाता है। वर्ष 2016-17 में विश्लेषित प्रचालकों के परिणाम सामान्यतः निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं। वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार उज्जैन शहर के सभी 04 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 14 में दर्शाया गया है।

नागदा शहर :-

वर्ष 2017-18 में उज्जैन जिले के नागदा औद्योगिक क्षेत्र में 03 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। परिवेशीय वायु मापन के समस्त विश्लेषित प्रचालकों का औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार नागदा औद्योगिक क्षेत्र के समस्त 03 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 15 में दर्शाया गया है।

देवास शहर :-

देवास शहर के 03 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का आंकलन किया किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप पाये गये हैं। वर्ष 2017-18 का परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार देवास शहर के सभी 03 परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 16 में दर्शाया गया है।

ग्वालियर शहर :-

ग्वालियर शहर के 02 स्थानों महाराजवाड़ा तथा दीनदयाल नगर में राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र स्थापित है। 05 अतिरिक्त स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त की गई। शीघ्र ही इन स्थानों पर वायु मापन का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार ग्वालियर शहर के दोनों परिवेशीय वायु मापन केन्द्र, दीनदयाल नगर तथा महाराजवाड़ा का सूचकांक मध्यम श्रेणी है। जिसे नक्शा क्र. 17 में दर्शाया गया है।


सतना शहर :-

वर्ष 2017-18 में सतना शहर में संचालित 02 स्थानों (क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवासीय क्षेत्र तथा वैश्व फ्लोर मिल, औद्योगिक क्षेत्र) पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र पर वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक अनुसार सतना शहर के दोनों परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 18 में दर्शाया गया है।

AIR QUALITY OF INDORE CITY

MADHYA PRADESH



| AQI | |
|---------|-----------|
| Index | Category |
| 400-500 | Very Poor |
| 300-400 | Poor |
| 200-300 | Moderate |
| 100-200 | Good |
| 0-100 | Very Good |

Legend

- Road
- Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
 Panchsheel Park, 25, Green Colony, Bhopal

Source-MPPCB

AIR QUALITY OF UJJAIN CITY

पर्यावरण विभाग - 14

MADHYA PRADESH



| AQI | |
|---------|--------------|
| Index | Category |
| 401-500 | VERY POOR |
| 301-400 | VERY POOR |
| 201-300 | POOR |
| 101-200 | MODERATE |
| 51-100 | SATISFACTORY |
| 0-50 | GOOD |

Legend

- Road
- Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
 The Government of Madhya Pradesh, Bhopal

Source-MPPCB

AIR QUALITY OF NAGDA CITY

पर्यावरण संरक्षण - 18



| AQI | |
|---------|-----------|
| Index | Category |
| 401-500 | Very Poor |
| 301-400 | Poor |
| 201-300 | Moderate |
| 151-200 | Good |
| 0-150 | Very Good |


- Legend**
- Road
 - Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
 Panchajanya Palace, T.T. Area, Indore (M.P.)

AIR QUALITY OF DEWAS CITY

नवरा क्रमांक - 16



| AQI | |
|---------|--------------|
| Index | Category |
| 401-500 | Very Poor |
| 301-400 | Very Poor |
| 201-300 | Poor |
| 151-200 | Moderate |
| 101-150 | Satisfactory |
| 51-100 | Good |



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paragana, Patna, CL, Area, City, Rural

AIR QUALITY OF GWALIOR CITY

नवरात्रि जन्मदिन - 11



| AQI | |
|---------|----------------|
| Index | Category |
| 401-500 | VERY POOR |
| 301-400 | POOR |
| 201-300 | MODERATE |
| 151-200 | SAFELY FACTORY |
| 51-150 | GOOD |

- Legend**
- Road
 - Drain




Madhya Pradesh Pollution Control Board
Responsible Persons, U.L. Sarda Colony, Bhopal

Source: MPPCB

AIR QUALITY OF SATNA CITY

संस्कृत संस्कृत - 18

MADHYA PRADESH



| AQI | |
|---------|--------------|
| Index | Category |
| 401-500 | SEVERE |
| 301-400 | VERY POOR |
| 200-300 | POOR |
| 101-200 | MODERATE |
| 51-100 | SATISFACTORY |
| 0-50 | GOOD |

Legend
 Road
 Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
 Government of Madhya Pradesh, U.S. Area, Calcutta Road

Source-MPPCB

जबलपुर शहर :-

जबलपुर शहर के 02 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र स्थापित है। वर्ष 2017-18 में विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये है।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार जबलपुर शहर का एक राष्ट्रीय परिवेशीय मापन केन्द्र, विजयनगर, आवासीय क्षेत्र का सूचकांक संतोषजनक है। जबकि दूसरा केन्द्र, उदयपुरा रिछाई, औद्योगिक क्षेत्र का वायु सूचकांक मध्यम श्रेणी है। जिसे नक्शा क्र. 19 में दर्शाया गया है।

छिंदवाड़ा शहर :-

छिंदवाड़ा शहर के 02 स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन किया जाता है। वर्ष 2017-18 में विश्लेषित प्रचालकों का वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाया गया है।

जबलपुर दुग्ध संघ तथा मुल्लाजी पेट्रोल पम्प स्थित वायु मॉनिटरिंग स्टेशनों के परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार वर्ष 2017-18 में दोनों स्थानों पर सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 20 में दर्शाया गया है।

कटनी शहर :-

वर्ष 2017-18 में कटनी शहर के 02 स्थानों ए.सी.ई. रिफेक्ट्रीज तथा हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कटनी में संचालित राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये है।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार कटनी शहर के दोनों राष्ट्रीय परिवेशीय मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 21 में दर्शाया गया है।

सागर शहर :-

सागर शहर में 02 स्थानों पर राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्र संचालित है। वर्ष 2017-18 में विश्लेषित प्रचालकों के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये है।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार सागर शहर के दोनों राष्ट्रीय परिवेशीय मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 22 में दर्शाया गया है।

सिंगरौली शहर :-

वर्ष 2017-18 में क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंगरौली में 03 स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालकों के वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये है।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार एक स्टेशन, एन.टी.पी.सी. विन्ध्यनगर का वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी तथा शेष दो स्टेशन जयन्त तथा बैडन का सूचकांक संतोषजनक श्रेणी में है। जिसे नक्शा क्र. 23 में दर्शाया गया है।

AIR QUALITY OF JABALPUR CITY

नक्शा क्रमांक -19



| AQI | |
|---------|-----------|
| Index | Category |
| 401-500 | Very Poor |
| 301-400 | Poor |
| 201-300 | Moderate |
| 151-200 | Good |
| 101-150 | Very Good |
| 0-100 | Excellent |

Legend

- Road
- Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Bhopal, India

Source: MP PCB

AIR QUALITY OF CHHINDWADA CITY

नक्शा क्रमांक - 20

MADHYA PRADESH



| AQI | |
|---------|-----------|
| Index | Category |
| 411-500 | Very Poor |
| 301-400 | Poor |
| 201-300 | Moderate |
| 151-200 | Good |
| 51-150 | Very Good |
| 0-50 | Excellent |


Legend
 Road
 Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
 Paryavaran Patra, 11, 2000 / Chandigarh

AIR QUALITY OF KATNI CITY

परागणिका - 21



| AQI | |
|---------|--------------|
| Index | Category |
| 401-500 | Very Poor |
| 301-400 | Very Good |
| 201-300 | Good |
| 101-200 | Moderate |
| 51-100 | Satisfactory |
| 0-50 | Good |

Legend
 Road




Madhya Pradesh Pollution Control Board
 Prayagraj, Katni, Jabalpur, Bilaspur, Raipur, Bhopal

Source: MPPCB

AIR QUALITY OF SAGAR CITY

नवरात्रि अर्पण - २२

Source: MPPCB





| AQI | |
|---------|--------------|
| Index | Category |
| 471-500 | Very Poor |
| 401-470 | Poor |
| 301-400 | Moderate |
| 201-300 | Good |
| 151-200 | Satisfactory |
| 0-150 | Good |

Legend
 Road



Madhya Pradesh Pollution Control Board
 Bhopal, India



| AQI | |
|---------|--------------|
| Index | Category |
| 401-500 | SEVERE |
| 301-400 | VERY POOR |
| 201-300 | POOR |
| 101-200 | MODERATE |
| 51-100 | SATISFACTORY |
| 0-50 | GOOD |

- Legend**
- Road
 - Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Parvati Nagar, U.S. Arora Colony Bhopal

शहडोल क्षेत्र :-

वर्ष 2017-18 में शहडोल क्षेत्र में स्थित 02 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का आंकलन किया गया। वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार न्यू एम.पी.पी.सी.बी. ऑफिस क्षेत्र के परिवेशीय मापन केन्द्र का सूचकांक संतोषजनक है। जबकि ट्रेफिक ऑफिस शहडोल का सूचकांक मध्यम श्रेणी है। जिसे नक्शा क्र. 24 में दर्शाया गया है।

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र :-

वर्ष 2017-18 में धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 02 राष्ट्रीय परिवेशीय वायु मापन केन्द्रों पर वायु गुणवत्ता का आंकलन किया गया। वार्षिक औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना अनुसार पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के दोनों परिवेशीय मापन केन्द्रों का सूचकांक संतोषजनक है। जिसे नक्शा क्र. 25 में दर्शाया गया है।

मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र :-

वर्ष 2017-18 में रायसेन जिले के मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र के 01 स्थान पर परिवेशीय वायु मापन किया गया। विश्लेषित प्रचालको के औसत परिणाम निर्धारित मानक सीमा में पाये गये हैं।

वर्ष 2017-18 का औसत वायु गुणवत्ता की गणना अनुसार मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र परिवेशीय मापन केन्द्र का सूचकांक मध्यम श्रेणी का है। जिसे नक्शा क्र. 26 में दर्शाया गया है।

जिलेवार परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन कार्यक्रम :-



वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 51 जिलों में 24 घण्टे परिवेशीय वायु मापन कार्य किया गया। प्रचालक-सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साईड, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मीटर (पी.एम.-10) का मापन कर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की गणना की गई। प्रतिमाह जिलेवार परिवेशीय वायु गुणवत्ता सूचकांक की जानकारी बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

मध्यप्रदेश के 51 जिलों पर माह मार्च 2018 में की गई परिवेशीय वायु मापन का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) नक्शा क्रमांक-27 में दर्शाया गया है।



| AQI | |
|---------|-----------|
| Index | Category |
| 401-500 | Very Poor |
| 301-400 | Poor |
| 201-300 | Moderate |
| 101-200 | Good |
| 51-100 | Very Good |
| 0-50 | Excellent |

Legend


-  Road
-  Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paragmech Park, E.I. Area, Colony Street

AIR QUALITY OF PITHAMPUR (DHAR)

पृष्ठ संख्या - 25



| AQI | |
|---------|--------------|
| Index | Category |
| 401-500 | VERY POOR |
| 301-400 | VERY POOR |
| 201-300 | POOR |
| 101-200 | MODERATE |
| 51-100 | SATISFACTORY |
| 0-50 | GOOD |

- Legend**
- Road
 - Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
 Physical Pollution: II, Area Category: III

Source: MPPCB



| AQI | |
|---------|-----------|
| Index | Category |
| 401-500 | VERY POOR |
| 301-400 | POOR |
| 201-300 | MODERATE |
| 151-200 | SAFELY |
| 51-150 | GOOD |

- Legend**
- Road
 - Drain



Madhya Pradesh Pollution Control Board
 Regional Office, E-1, Anand Colony, Bhopal

District wise Air Quality Index March 2018



Legend

| Index | Category |
|---------|-------------|
| 401-500 | SEVERE |
| 301-400 | VERY POOR |
| 201-300 | POOR |
| 101-200 | MODERATE |
| 51-100 | SATISFACTOR |
| 0-50 | GOOD |


 Madhya Pradesh Pollution Control Board
 Paryavaran Park, S.E. Area Colony Bhopal
 Source-MPPCB

4.10 वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण



जबलपुर पर आयोजित निःशुल्क वाहन उत्सर्जन मापन शिविर

वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जा रहे कार्यों का विवरण :-

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को प्रति वर्ष वाहनों के उत्सर्जन की जाँच हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2017-18 में वाहनों के उत्सर्जन की जाँच हेतु निर्धारित लक्ष्य 15600 वाहनों का था। जिसके विरूद्ध भोपाल, उज्जैन, इन्दौर, देवास, ग्वालियर, सागर, गुना, जबलपुर, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, सतना, शहडोल, रीवा एवं कटनी क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2017-18 में कुल - 20534 पेट्रोल वाहनों तथा डीजल वाहनों के उत्सर्जन की जाँच की गई।





वाहनों में से कुल 805 वाहन अर्थात 3.91 प्रतिशत निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये। निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करने वाले वाहनों की जानकारी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, परिवहन विभाग को प्रेषित की गई।

शहरवार मानक से अधिक उत्सर्जन करते वाहनों का प्रतिशत



सर्वेक्षण के निष्कर्ष एवं की गई सिफारिशें :-

उपरोक्त नगरों में चलने वाले अधिकांश डीजल चलित टैम्पो, मिनी बसों के उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार परिवहन विभाग को है। बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग को समय-समय पर सुझाव दिये जाते हैं एवं जन मानस में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में जन-जागरूकता लाने के प्रयास किये जाते हैं। सम्बन्धित विभाग को दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैं :-

1. मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत डीजल तथा पेट्रोल वाहनों की नियमित जाँच।
2. ईंधन में मिलावट को रोकने हेतु पेट्रोल पम्पों तथा वाहनों द्वारा उपयोग किये जा रहे, ईंधन की नियमित जाँच।
3. अत्यधिक व्यस्त मार्गों को एकांकी घोषित किया जाना।
4. शासकीय वाहनों के उत्सर्जन की जाँच किया जाना।
5. वाहनों की जाँच के समय, वाहनों से होने वाले प्रदूषण एवं उनमें सुधार कैसे सम्भव हो, समझाईश दी जानी चाहिए।
6. पेट्रोल तथा डीजल चलित वाहनों में सी.एन.जी. (कम्प्रेस्ड नेच्यूरल गैस) का उपयोग किया जाना।

पेट्रोल एवं डीजल चलित-कुल वाहन उत्सर्जन मापन (वर्ष 2017-18)

| क्र | शहर | वार्षिक लक्ष्य (वाहनों संख्या) | उत्सर्जन जाँच किये गये वाहनों की संख्या | | |
|-----|------------|--------------------------------------|--|---|--|
| | | | उत्सर्जन जाँच किये गये वाहनों की संख्या | मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या | मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या का प्रतिशत |
| 1 | भोपाल | 1200 | 1200 | 36 | 3 |
| 2 | उज्जैन | 1200 | 1200 | 2 | 0.16 |
| 3 | गुना | 600 | 1080 | 11 | 0.01 |
| 4 | इंदौर | 1200 | 1505 | 94 | 6.24 |
| 5 | धार | 600 | 750 | 0 | 0 |
| 6 | सागर | 1200 | 1218 | 70 | 5.74 |
| 7 | ग्वालियर | 1200 | 1784 | 264 | 14.79 |
| 8 | जबलपुर | 1200 | 1811 | 32 | 1.70 |
| 9 | छिन्दवाड़ा | 600 | 900 | 0 | 0 |
| 10 | रीवा | 1200 | 2105 | 79 | 3.75 |
| 11 | सतना | 1200 | 1230 | 58 | 4.71 |
| 12 | शहडोल | 1200 | 1619 | 99 | 6.11 |
| 13 | सिन्धूरौली | 1200 | 900 | 40 | 4.44 |
| 14 | कटनी | 600 | 907 | 9 | 0.99 |
| 15 | देवास | 600 | 1500 | 10 | 0.66 |
| 16 | पीथमपुर | 600 | 825 | 0 | 0 |
| | कुल योग | 15600 | 20534 | 804 | 3.91% |

4.11 ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण


बोर्ड द्वारा ध्वनि स्तर का सर्वेक्षण व मापन संबंधी कार्य वाणिज्यिक, आवासीय, शांत एवं औद्योगिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। वर्ष 2017-18 में कुल 8928 काउन्ट्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध कुल 17082 काउन्ट्स का ध्वनि स्तर मापन किया गया, जिसमें से 3553 काउन्ट्स अर्थात् 20.79 प्रतिशत काउन्ट्स निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। जिसका प्रमुख कारण वाहनों का अत्याधिक आवागमन एवं प्रेशर हार्न का उपयोग, वाणिज्य गतिविधियाँ, वैवाहिक तथा धार्मिक आयोजनों के दौरान लाउड स्पीकर/ अत्यधिक तेज ध्वनि वाले संगीत प्रणाली का उपयोग करना, जनरेटर सेट का उपयोग एवं दीपावली और अन्य त्यौहारों के दौरान अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग करना है। ध्वनि स्तर मापन रिपोर्ट की जानकारी संबंधित जिला प्रशासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

क्षेत्रीय कार्यालयवार ध्वनि उत्सर्जन मापन (वर्ष 2017-18)

| क्र | शहर | वार्षिक लक्ष्य (काउन्ट्स) | ध्वनि स्तर मापन | | |
|-----|------------|------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | कुल ध्वनि स्तर मापन की संख्या | मानक से अधिक पाये गये ध्वनि स्तर मापन की संख्या | मानक स्तर से अधिक पाये गये ध्वनि स्तर मापन का प्रतिशत |
| 1 | भोपाल | 576 | 1325 | 0 | 0 |
| 2 | उज्जैन | 576 | 612 | 292 | 41.71 |
| 3 | गुना | 576 | 1728 | 58 | 3.35 |
| 4 | इंदौर | 576 | 325 | 179 | 55.07 |
| 5 | घार | 576 | 390 | 63 | 16.15 |
| 6 | सागर | 576 | 1272 | 127 | 9.98 |
| 7 | ग्वालियर | 576 | 1728 | 680 | 39.35 |
| 8 | जबलपुर | 576 | 576 | 304 | 52.77 |
| 9 | छिन्दवाड़ा | 576 | 192 | 0 | 0 |
| 10 | रीवा | 576 | 1728 | 450 | 26.04 |
| 11 | सतना | 576 | 1745 | 398 | 22.80 |
| 12 | शहडोल | 576 | 1911 | 120 | 6.27 |
| 13 | सिंगरौली | 576 | 288 | 12 | 12 |
| 14 | कटनी | 576 | 1216 | 11 | 0.90 |
| 15 | देवास | 576 | 1758 | 723 | 41.02 |
| 16 | पीथमपुर | 288 | 288 | 136 | 47.22 |
| | कुल योग | 8928 | 17082 | 3553 | 20.79% |

क्षेत्रीय कार्यालयों में किये गये शोर प्रदूषण सर्वेक्षण का विवरण :-

क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा प्रतिमाह ध्वनि स्तर मापन कार्य निर्धारित पैकेज अनुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त धार्मिक कार्यक्रमों जैसे गणेश/दुर्गा उत्सव एवं दीपावली पर्व के समय ध्वनि प्रदूषण की संभावना होती है। अतः उपरोक्त धार्मिक कार्यक्रमों पर भी ध्वनि स्तर मापन कार्य किया जाता है। वर्ष 2017-18 में बोर्ड द्वारा किये गये ध्वनि स्तर मापन का विवरण इस प्रकार है :-



माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पारित आदेश में दिये गये निर्देशों के परिपालन हेतु जन- जागरूकता कार्यक्रम के तहत समाचार पत्र, दूरदर्शन व आकाशवाणी पर परिचर्चा आयोजित की जाती है। वर्ष 2017-18 में कुल 05 परिचर्चाएँ की गईं।



5. पर्यावरणीय समस्याएँ और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति

बोर्ड द्वारा राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर विश्लेषण कार्य किया जाता है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों तथा ध्वनि प्रदूषण की भी जाँच की जाती है। प्रदेश में स्थापित सभी उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्स्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के लिये निर्देश दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाया जाना आवश्यक है।

5.1 राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण -

| क्र. | विवरण | बृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदानों |
|------|--|---|
| 1 | कुल जल प्रदूषणकारी उद्योग | 15,244 |
| 2(अ) | उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किये गये हैं। | 15,244 |
| (ब) | उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वर्ष के दौरान, स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्रों में उन्नयन/सुधार/निर्माण कार्य किया गया है। | 387 |



मेसर्स मॉन्ड्लेज इंडिया फूड्स प्रा.लि., मालनपुर में शून्य निःस्त्राव पर आधारित दूषित जल उपचार संयंत्र

5.2 राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण -

| क्र. | विवरण | वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग/संस्थान/खदानें |
|------|---|---|
| 1 | कुल वायु प्रदूषणकारी उद्योग | 15,511 |
| 2(अ) | उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किये गये हैं। | 15,511 |
| (ब) | उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वर्ष के दौरान, स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में उन्नयन/सुधार/निर्माण कार्य किया गया है। | 450 |

प्रदेश में स्थापित उद्योगों की कुल संख्या 16,637 है, जिसमें वृहद श्रेणी के 596, मध्यम श्रेणी के 1,403 तथा लघु श्रेणी के 14,638 उद्योग शामिल हैं। उद्योगों की श्रेणी वर्गीकरण के अनुसार संख्या लाल श्रेणी में - 10,415, नारंगी श्रेणी में - 3,254 एवं हरी श्रेणी में - 2,968 है।



मेसर्स नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड, नरसिंगपुर द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित ई.एस.पी.

5.3 उद्योगों की स्थापना सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मतियाँ

बोर्ड द्वारा उद्योगों के संचालन के पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषणकारी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सम्मति को दो चरणों में विभक्त किया गया है। नये उद्योगों एवं पूर्व से कार्यरत ऐसे उद्योग जिनके द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि अथवा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है को उनकी स्थापना के पूर्व स्थापना सम्मति जारी की जाती है जिसमें उद्योगों को उत्पन्न होने वाले निस्त्राव एवं उत्सर्जन हेतु मानक का निर्धारण कर उक्त मानकों तक उपचार व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

वर्ष 2017-18 में कुल 2,965 वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को ऑनलाईन स्थापना सम्मतियाँ जारी की गई हैं। जिन उद्योगों द्वारा उद्योग स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनको सशर्त उत्पादन सम्मति प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 में कुल 5,696 वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को ऑन लाईन उत्पादन सम्मतियाँ तथा सम्मति नवीनीकरण जारी किये गये हैं।

वर्ष 2017-18 में मुख्यालय द्वारा वृहद/मध्यम एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लघु श्रेणी के उद्योगों को जारी स्थापना सम्मति, उत्पादन सम्मति तथा सम्मति नवीनीकरण का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रमांक | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | स्थापना सम्मति की संख्या | उत्पादन सम्मति एवं सम्मति नवीनीकरण की संख्या | योग |
|---------|---------------------------|--------------------------|--|-------|
| 1 | भोपाल | 510 | 776 | 1,286 |
| 2 | इन्दौर | 284 | 197 | 481 |
| 3 | घार | 174 | 363 | 537 |
| 4 | उज्जैन | 157 | 358 | 515 |
| 5 | गुना | 176 | 259 | 435 |
| 6 | ग्वालियर | 209 | 510 | 719 |
| 7 | सागर | 280 | 704 | 984 |
| 8 | सतना | 56 | 162 | 218 |
| 9 | रीवा | 139 | 202 | 341 |
| 10 | कटनी | 101 | 218 | 319 |
| 11 | शहडोल | 238 | 424 | 662 |
| 12 | सिंगरौली | 52 | 149 | 201 |
| 13 | जबलपुर | 366 | 753 | 1,119 |
| 14 | छिंदवाड़ा | 83 | 252 | 335 |
| 15 | देवास | 87 | 142 | 229 |
| 16 | पीथमपुर | 40 | 223 | 263 |
| 17 | एसईजेड पीथमपुर | 13 | 04 | 17 |
| | महायोग | 2,965 | 5,696 | 8,661 |

5.4 उद्योगों का सम्मति नवीनीकरण

बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी जल एवं वायु सम्मति शर्तों के पालनार्थ उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं के संचालन एवं की जा रही कार्यवाही के आंकलन हेतु उक्त सम्मतियों का नवीनीकरण किया जाता है। सामान्यतः हरी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 15 वर्ष तक, नारंगी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 10 वर्ष तक एवं लाल श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 05 वर्ष तक एक साथ किये जाने का भी प्रावधान है।

5.5 पर्यावरण प्रभाव आंकलन रिपोर्ट

उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के आंकलन हेतु ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं, जिनकी प्रति बोर्ड में जमा कराई जाती है। विचाराधीन वर्ष में जिन उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन बोर्ड में प्रस्तुत किये गये हैं, उनकी कुल संख्या 73 है विवरण परिशिष्ट "3" अनुसार है।

5.6 वृक्षारोपण

पर्यावरण उन्नयन की दृष्टि से उद्योग परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने संबंधी शर्त का समावेश किया जाता है। वर्ष 2017-18 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले 20 उद्योगों की सूची परिशिष्ट "4" अनुसार है।

5.7 पर्यावरण विवरण

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत उद्योग संचालन में गतवर्ष में उपयोग किये गये संसाधनों जैसे - कच्चे पदार्थों की खपत, जल खपत, प्रति यूनिट उत्पादन विवरण, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होता है। जिसके आधार पर उद्योग स्वयं अपने संचालन का पुनरावलोकन कर सकता है कि, गतवर्ष प्रति यूनिट उत्पादन के लिये विभिन्न संसाधनों की कितनी खपत हुई है। इस आधार पर उद्योग स्वप्रेरणा से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सुरक्षात्मक कदम उठा सकता है। उक्त हेतु विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण विवरण निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाते हैं।

5.8 जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन

जल प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किये जा रहे अनुसंधानों से प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकी में सतत उन्नयन होता रहता है। उपरोक्त दृष्टिकोण से वर्ष 2017-18 में जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले उद्योगों/संस्थानों की संख्या 387 है, सूची परिशिष्ट "5" अनुसार है। उन्नयन के तहत प्रमुख जल प्रदूषणकारी उद्योगों में दूषित जल उपचार हेतु आधुनिक उन्नत तकनीक पर आधारित दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित कर शून्य निस्त्राव कर उपचारित निस्त्राव का पुनः उपयोग का कार्य किया गया है। वर्ष 2017-18 में औद्योगिक क्षेत्र सांवेर, इंदौर में 1 एमएलडी क्षमता का संयुक्त दूषित जल उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है। जिससे लगभग 94 लघु श्रेणी के उद्योग लाभांकित होंगे।



सांवेर रोड इंदौर स्थित संयुक्त दूषित जल उपचार संयंत्र

5.9 वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में उन्नयन

वायु प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किये जा रहे अनुसंधानों से प्रदूषण नियंत्रण की तकनीकी में सतत उन्नयन होता रहता है। उपरोक्त दृष्टिकोण से वर्ष 2017-18 में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्थापित उपकरणों के उन्नयन संबंधी की गई कार्यवाही की संख्या 450 है। सूची परिशिष्ट "6" अनुसार है। उन्नयन के तहत प्रमुख वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ईएसपी, बैग फिल्टर आदि की स्थापना कर वायु प्रदूषण उत्सर्जन में कमी लाई गई।



एचईजी, मण्डीदीप द्वारा बैग फिल्टर की स्थापना मेकसन न्यूट्रिशन, मण्डीदीप द्वारा बैग फिल्टर की स्थापना

5.10. 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था :

राज्य में 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों जैसे कि सीमेंट, डिस्टलरी, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, एल्यूमिनियम स्मेल्टर, बल्क ड्रग, क्लोर एल्कली, थर्मल पावर प्लांट आदि उद्योग आते हैं। प्रदेश में वृहद एवं मध्यम श्रेणी के 17 प्रकार के उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी परिशिष्ट '7' अनुसार है।

प्रदेश में स्थित आसवानी /बल्क ड्रग उद्योगों द्वारा उपचारित दूषित जल के निस्त्राव को शून्य करने की दृष्टि से आधुनिकतम तकनीक के अंतर्गत रिवर्स ओसमोसिस प्लांट, एमईई, ड्रायर आदि की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार उक्त श्रेणी में वर्गीकृत अन्य उद्योगों द्वारा भी जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं।

5.11 परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट प्रबंधन

परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 अप्रैल 2016 से लागू है। प्रदेश में अभी तक 1837 उद्योगों को प्राधिकार दिये गये हैं। इन नियमों के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले सभी उद्योगों को उनके द्वारा जनित अपशिष्टों के सुरक्षित अपवहन की व्यवस्था करनी होती है। प्रदेश के कुछ एक उद्योगों ने स्वयं के परिसर में भस्मक तथा केप्टिव एस.एल.एफ. लगाकर अपशिष्टों के अपवहन की व्यवस्था की है।

मध्यप्रदेश में स्थापित विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले परिसंकटमय अपशिष्टों के अपवहन हेतु कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज व डिस्पोजल फेसिलिटी (सीटीएसडीएफ) का विकास मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम द्वारा मेसर्स एम.पी. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, पीथमपुर के माफत किया गया है। यह फेसिलिटी पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के प्लॉट क्रमांक 104, सेक्टर-2, पीथमपुर, जिला-घार में स्थापित है। इस डिस्पोजल साईट पर निम्न सुविधाओं का विकास किया गया है:-

- अपशिष्टों के भण्डारण हेतु व्यवस्था।
- अपशिष्टों के सॉलिडीफिकेशन/स्टेबलाइजेशन हेतु व्यवस्था।
- सिक्योर्ड लेण्डफिल सेल।
- लेण्डफिल से उत्पन्न होने वाले लीचेट के उपचार हेतु सोलर एवापोरेशन पौड।
- अपशिष्टों के विश्लेषण कार्यों हेतु प्रयोगशाला।
- अन्य सुविधा जैसे वे ब्रिज, वॉशिंग प्लेटफार्म इत्यादि।
- इंसिनरेटर।

इस सुविधा ने नवम्बर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया तथा मार्च 2018 तक लगभग निम्नानुसार खतरनाक अपशिष्ट का अपवहन किया जा चुका है:-

| क्र. | विवरण | मात्रा |
|------|--------------------------|------------------------|
| 1 | डायरेक्ट लेण्डफिल | 63,760.06 मैट्रिक टन |
| 2 | इंसीनरेबल | 22,318.49 मैट्रिक टन |
| 3 | लेण्डफिल आफ्टर ट्रीटमेंट | 1,35,299.11 मैट्रिक टन |

उक्त फेसिलिटी का समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है तथा नियमों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित किया जाता है।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन के तहत प्राधिकार प्राप्त उद्योगों की क्षेत्रवार संख्या :

| क्रमांक | क्षेत्रीय कार्यालय का नाम | कुल उद्योगों की संख्या |
|---------|---------------------------|------------------------|
| 1 | भोपाल | 362 |
| 2 | इन्दौर | 542 |
| 3 | घार | 60 |
| 4 | उज्जैन | 91 |
| 5 | गुना | 48 |
| 6 | ग्वालियर | 324 |
| 7 | सागर | 49 |
| 8 | सतना | 67 |
| 9 | रीवा | 90 |
| 10 | कटनी | 30 |
| 11 | शहडोल | 102 |
| 12 | सिंगरौली | 38 |
| 13 | जबलपुर | 298 |
| 14 | छिंदवाड़ा | 34 |
| 15 | देवास | 153 |
| 16 | पीथमपुर | 251 |
| 17 | एसईजेड पीथमपुर | 25 |
| | महायोग | 2564 |

5.12 जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998, दिनांक 20 जुलाई 1998 से प्रभावशील है एवं 28 मार्च 2016 को भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसमें संशोधन कर जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 नोटिफाईड किए गए एवं पुनः 16 मार्च 2018 को संशोधित नियम अधिसूचित किये गये हैं। इन नियमों में चिकित्सा संस्थानों से उत्पन्न होने वाले चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन, उपचार एवं निपटान संबंधी प्रावधान है। वर्ष 2017-2018 तक राज्य में कुल 6396 चिकित्सा संस्थान चिन्हित किये गये, जिसमें से 3073 शैव्यायुक्त चिकित्सा संस्थान तथा 3323 शैव्यारहित अन्य चिकित्सा संस्थान, ब्लड बैंक, पैथालॉजी इत्यादि चिन्हित किये गये हैं। नियमों के प्रावधान अनुसार सभी क्लीनिक, ब्लड बैंक, कैम्प एवं अन्य चिकित्सीय संस्थानों, जहाँ जैव चिकित्सा अपशिष्ट, उपचार के दौरान उत्पन्न होते हैं, उन्हें भी नियम की परिधि में सम्मिलित किया गया है तथा उन्हें भी बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है। तदनुसार मध्यप्रदेश में वर्ष 2017-18 में 3202 चिकित्सा संस्थानों को प्राधिकार के दायरे में लाया जा चुका है।

शैय्यायुक्त चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध कुल बिस्तरों की संख्या 90,880 चिन्हित की गई है। केन्द्र शासन द्वारा प्रवर्तित उपरोक्त नियमों के परिपालनार्थ तथा साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा बाबत प्रसारित मार्गदर्शिका अनुसार प्रदेश में अस्पतालों द्वारा पृथक-पृथक उपचार व्यवस्था निर्मित किये जाने के स्थान पर साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में 13 स्थानों पर संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा की व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

| क्रं. | स्थान | संख्या | संचालक संस्था का नाम |
|-------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | ग्वालियर | 1 (इंसीनरेटर) | मेसर्स जयारोग्य अस्पताल द्वारा स्थापित एवं मेसर्स डेविस सर्जिको द्वारा संचालित। |
| 2. | जबलपुर | 1 (इंसीनरेटर) | मेसर्स एलाईट इंजीनियर्स द्वारा स्थापित एवं संचालित। |
| 3. | इन्दौर | 1 (इंसीनरेटर) | मेसर्स होस्विन इंसीनरेटर प्रा.लि. द्वारा स्थापित एवं संचालित। |
| 4. | भोपाल | 1 (इंसीनरेटर) | मेसर्स भोपाल इंसीनरेटर लि. द्वारा स्थापित एवं संचालित। |
| 5. | सागर | 1 (डीपबेरियल) | मेसर्स बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर द्वारा स्थापित एवं मेसर्स डेविस सर्जिको द्वारा संचालित। |
| 6. | सतना | 1 (इंसीनरेटर) | मेसर्स इण्डो वाटर मैनेजमेंट एवं पाल्यूशन कन्ट्रोल कार्पोरेशन, सतना, द्वारा स्थापित एवं संचालित। |
| 7. | शक्तिनगर, उत्तर प्रदेश | 1 (इंसीनरेटर) (राज्य के बाहर से) | मेसर्स लेबको इन्स्ट्रुमेंट लखनऊ द्वारा संचालित। (बीएमडब्ल्यू परिवहन हेतु) |
| 8. | सिवनी | 1 (इंसीनरेटर) | मेसर्स कृपा वेस्टेज सिवनी द्वारा स्थापित एवं संचालित। |
| 9. | रतलाम | 1 (इंसीनरेटर) | मेसर्स बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, रतलाम द्वारा स्थापित एवं संचालित। |
| 10. | सीहोर | 1 (इंसीनरेटर) | मेसर्स इन्वायरमेण्टल प्रोटेक्शन कार्पोरेशन, सीहोर द्वारा स्थापित एवं संचालित। |
| 11. | उमरिया | 1 (इंसीनरेटर) | मेसर्स एम.पी. बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ग्राम इटौर जिला उमरिया द्वारा स्थापित एवं संचालित। |
| 12. | चंदेरी, जिला अशोक नगर | 1 (इंसीनरेटर) | मेसर्स जे.के. मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा स्थापित एवं संचालित। |
| 13. | आगरा, उत्तर प्रदेश | 1 (इंसीनरेटर) (राज्य के बाहर से) | मेसर्स जे.आर.आर. वेस्ट मैनेजमेंट, प्रा.लि. आगरा (बीएमडब्ल्यू परिवहन हेतु) |

प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों द्वारा लगभग पाँच हजार टन प्रति वर्ष जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्न हो रहा है, जिसमें से लगभग चार हजार टन प्रति वर्ष जैव चिकित्सा अपशिष्टों का डिस्पोजल उपरोक्त संयुक्त जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधा के द्वारा किया जा रहा है। अन्य संस्थानों मेसर्स पीपुल्स मेडीकल कॉलेज, भोपाल एवं मेसर्स संजय गांधी मेडीकल कॉलेज, रीवा द्वारा अपनी निजी सुविधाओं के माध्यम से जैव चिकित्सा अपशिष्ट का उपचार व निपटान किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार चिकित्सा संस्थानों में बिस्तरों की संख्या-

| क्र. | क्षेत्रीय कार्यालय | बिस्तरों की संख्या |
|------|--------------------|--------------------|
| 1 | भोपाल | 20408 |
| 2 | इन्दौर | 15978 |
| 3 | धार | 3397 |
| 4 | उज्जैन | 8503 |
| 5 | ग्वालियर | 8036 |
| 6 | गुना | 3059 |
| 7 | रीवा | 3743 |
| 8 | छिन्दवाड़ा | 1901 |
| 9 | सतना | 2526 |
| 10 | सागर | 6167 |
| 11 | शहडोल | 2720 |
| 12 | जबलपुर | 9479 |
| 13 | सिंगरौली | 959 |
| 14 | कटनी | 1377 |
| 15 | देवास | 2627 |
| | कुल | 90,880 |

प्रशिक्षण एवं सेमिनार

चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में भोपाल, इन्दौर, धार, उज्जैन, रीवा, छिन्दवाड़ा, सतना, सागर, शहडोल, जबलपुर, देवास, सिंगरौली, कटनी शहरों में सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन बाबत शासन स्तर पर राज्य स्तरीय कमेटी एवं जिलों में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है।



27 मार्च 2018 को कटनी में आयोजित कार्यशाला

5.13 नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 बनाये गये थे। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 को अधिकांत करते हुये भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 बनाये गये हैं, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होकर क्रमशः दिनांक 29 मार्च 2016 तथा 8 अप्रैल 2016 से प्रभावशील हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016

ये नियम प्रत्येक शहरीय स्थानीय निकाय, जनगणना आयुक्त द्वारा घोषित जनगणना नगरों, भारतीय रेल के अधीन क्षेत्रों, विमानपत्तनों, वायुयान बेस, बन्दरगाह और हारबर, रक्षा स्थापनाओं, विशेष आर्थिक जोन, राज्य और केन्द्रीय सरकारों के संगठनों, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तीर्थ, धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और प्रत्येक घरेलू, सांस्थानिक, वाणिज्यिक और किसी भी अन्य गैर-आवासीय ठोस अपशिष्ट जनित्रों पर लागू होंगे। अधिनियम के अंतर्गत घरेलू, कचरा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन, प्रोसेसिंग एवं डिस्पोजल आदि का निपटान कराना संबंधित नगरीय निकाय का उत्तरदायित्व है। अपशिष्ट उपचार तथा निपटान सुविधा हेतु भूमि के आवंटन के लिये जिला कलेक्टर का उत्तरदायित्व निहित है।

उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी विकास के प्रभारी सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर उपायुक्त, राज्य और संघ क्षेत्र में ग्राम पंचायत या ग्रामीण विभाग के प्रभारी सचिव, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड, स्थानीय निकायों और जनगणना नगरों की ग्राम पंचायत तथा शहरी समूहों के पृथक-पृथक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016

ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या संगठन या प्राधिकरण के अपशिष्ट पर लागू है, जो किसी सिविल ढांचे के निर्माण, पुनः प्रतिरूपण, मरम्मत और विध्वंस के फलस्वरूप बिल्डिंग मटेरियल, मलबा और रोड़ी वाले अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। इनके पालन की जिम्मेदारी संबंधित नगरीय निकाय की होगी तथा राज्य सरकार का संबंधित विभाग भूमि से संबंधित विभाग संनिर्माण तथा विध्वंस अपशिष्टों के प्रबंधन बाबत नीति दस्तावेज तैयार करेगा।

उक्त नियमों के क्रियान्वयन हेतु अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता, सेवा प्रदाता और उनके संचालकों, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण समिति/बोर्ड, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन, भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय रोड कांग्रेस, केन्द्रीय सरकार के पृथक-पृथक कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निहित किये गये हैं।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से निरन्तर समन्वय रखा जा रहा है तथा इन अपशिष्टों के प्रबंधन की प्रभावी कार्यवाही हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।



इन नियमों में अलग-अलग संस्थानों के निम्नलिखित दायित्व निर्धारित है :

अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता :- प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता स्थानीय निकाय द्वारा यथा निर्देशित अपशिष्टों के संग्रहण, भण्डारण के लिये उत्तरदायी होगा। 20 टन प्रतिदिन से अधिक अथवा 300 टन प्रतिमाह से अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्थान/सेवा प्रदाता अपशिष्टों के उचित प्रबंधन की एक कार्ययोजना तैयार कर स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करेगा तथा अपशिष्टों के निपटान के लिये अधिसूचित सुसंगत संदाय का भुगतान करेगा। संदाय की दर का निर्धारण स्थानीय प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

सेवा प्रदाता और उनके संविदाकारों के कर्तव्य :- ऐसे संस्थान जो नगर में जल, सीवेज प्रबंधन, बिजली, टेलीफोन, सड़कें, जल निकास आदि सेवायें प्रदान करते हैं और अपने कार्यकलापों के दौरान विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं उन्हें छः माह के भीतर ऐसे अपशिष्टों के उचित प्रबंधन/चर्काकरण/पुनर्उपयोग हेतु एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करना है। सेवा प्रदाता ऐसे सभी अपशिष्टों को हटायेगें एवं कार्यस्थल आवश्यकतानुसार प्रत्येक दिन साफ करेंगे।

स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य :- संनिर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करना, अपशिष्टों के प्रबंधन के पश्चात् अंतिम सफाई की रूपरेखा तैयार करना, परिसंकटमय, विप्लवे या नाभिकीय अपशिष्ट से संदूषित अपशिष्टों का सुरक्षित निस्सारण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण हेतु प्रोत्साहन, अपशिष्ट प्रबंधन योजना का परीक्षण एवं मंजूरी, अपशिष्टों के उत्पादन संबंधी डाटाबेस तैयार करना, विशेषज्ञों से परामर्श कर प्रसंस्करण सुविधा और सर्वोत्तम संभावित रीति से पुनर्चक्रण हेतु योजना बनाना, अपशिष्टों के भण्डारण, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण, पुनर्उपयोग इत्यादि गतिविधियाँ प्रोत्साहित करना, विशेषज्ञ संस्थानों और सिविल सोसाईटीज के माध्यम से शिक्षा एवं संचार की दीर्घकालिक प्रणाली तैयार कर प्रचार-प्रसार करना सम्मिलित है ताकि विध्वंस अपशिष्टों से बनी सामग्री के प्रयोग हेतु पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिल सके।

राज्य बोर्ड के कर्तव्य :- नियमों के पालन की स्थानीय निकायों के साथ मॉनिटरिंग, अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा हेतु प्राधिकार देना एवं 31 जुलाई तक वार्षिक प्रतिवेदन/आंकड़े एकत्र कर राज्य सरकार द्वारा नियत नोडल अधिकरण तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करना है। उक्त अधिनियमों के तहत नगरीय निकायों को बोर्ड से प्राधिकार लेना है तथा संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वयन कराने की मॉनिटरिंग करना तथा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर भेजना है।

प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की वर्तमान स्थिति :-

प्रदेश में 16 नगर पालिक निगम, 362 नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद् एवं 05 छावनी परिषद् कुल 383 नगरीय निकाय संस्थान हैं। 378 नगर पालिक निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर परिषद् की कुल जनसंख्या 2,03,90,746 है, जिससे 7212 मैट्रिक टन ठोस अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होता है जिसमें से 6537 मैट्रिक टन प्रतिदिन का संग्रहण हो रहा है, 1270.5 मैट्रिक टन प्रतिदिन अपशिष्ट का उपयोग कम्पोस्ट बनाने में, 15 मैट्रिक टन प्रतिदिन बायोगैस उत्पादन में, 525 मैट्रिक टन प्रतिदिन आरडीएफ/एमआरएफ में तथा 462 मैट्रिक टन प्रतिदिन अपशिष्ट, वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन में उपयोग किया जा रहा है। जबलपुर में 11.5 मेगावाट क्षमता का वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित है तथा इंदौर स्थित ए टू जेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा देवगुराडिया में संचालित ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा केन्द्र में प्रतिदिन 1100-1200 मैट्रिक टन अपशिष्ट प्राप्त होता है, जिसमें से 600 मैट्रिक टन कम्पोस्ट बनाने में तथा 500 मैट्रिक टन मटेरियल रिकवरी हेतु उपयोग होता है एवं 100 मैट्रिक टन को विकेंद्रीकृत सुविधा के माध्यम से कम्पोस्ट एवं बायोगैस बनाने में उपयोग किया जाता है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों को 26 क्लस्टर में विभाजित किया जाकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की क्लस्टर आधारित योजना बनाई गई है, जिसमें 6 स्थानों पर कचरे से ऊर्जा (वेस्ट टू एनर्जी) तथा 20 स्थानों पर कम्पोस्ट प्लांट स्थापित किये जाने की योजना है। भोपाल, सागर, कटनी व रीवा में प्लांट स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलन में है।

बोर्ड द्वारा नियमों के पालन हेतु प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यवाही की गयी -

प्रदेश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के क्रियान्वयन हेतु व्यापक जनजागरूकता तथा प्रचार प्रसार हेतु बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से वर्कशॉप/इन्टरैक्शन मीट आयोजित की गयी है, जिसमें प्रदेश के सभी 52 जिले सम्मिलित हुये हैं। इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगरीय निकायों में जाकर नियमों के पालन के परिपेक्ष्य में संबंधित नगर पालिका अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई अधिकारी से चर्चा कर समझाईश दी गयी।

नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन कराने हेतु समय-समय पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आदेश/मार्गदर्शन संबंधित निकायों को भेजे गये तथा नियमों के पालन बाबत पत्र/निर्देश समझाईश जारी की गयी है।

5. 14 बैटरी प्रबंधन एवं हथालन

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6, 8 एवं 25 के तहत बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2001, 16 मई 2001 से प्रभावशील है। इनमें 04 मई 2010 को यथासंशोधन किया गया है। यह नियम बैटरी व्यवसाय के सभी मेन्यूफैक्चर, प्रोसेसिंग, सेल्स, पर्वेस एवं बैटरी या उसके कंपोनेन्ट के उपयोग में सम्मिलित समस्त मेन्यूफैक्चरर, इंपोर्टर, री-कंडीशनर, असेम्बलर, डीलर, रीसाईक्लर्स, आक्सनर, कन्ज्यूमर एवं बल्क कन्ज्यूमर पर लागू होता है। नियम-4 में मेन्यूफैक्चरर, इंपोर्टर, असेम्बलर एवं री-कंडीशनर के उत्तरदायित्व, नियम-7 में डीलर के उत्तरदायित्व, नियम-8 में रीसाईक्लर के उत्तरदायित्व, नियम-10 में कन्ज्यूमर/बल्क कन्ज्यूमर के उत्तरदायित्व एवं नियम-11 में आक्सनर के उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। बैटरी डीलर्स को नियम 7 [VII(a)] के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीयन कराना एवं अर्धवार्षिकी रिटर्न जमा करना अनिवार्य है। लेड एसिड बैटरी के इंपोर्टर को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराना एवं अर्धवार्षिकी रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा करना अनिवार्य है। नियमानुसार समस्त मेन्यूफैक्चरर, इंपोर्टर, असेम्बलर, री-कंडीशनर, डीलर, रीसाइक्लर, कन्ज्यूमर/बल्क कन्ज्यूमर, आक्सनर को निर्धारित प्रपत्रों में रिटर्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराना अनिवार्य है।

वर्ष 2017-18 की स्थिति में मध्यप्रदेश में मेन्यूफैक्चरर-09, असेम्बलर-09 इंपोर्टर-02, बल्क कन्ज्यूमर-63, आक्सनर-05, रीसाइक्लर-47 कार्यरत हैं।

5.15 ई-अपशिष्ट प्रबंधन

ई-अपशिष्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कम्प्यूटर्स, लेपटॉप टेलीविजन, डीवीडी प्लेयर्स, मोबाइल फोन, एम.पी.3 प्लेयर्स, सी.एफ.एल. आदि शामिल हैं। यह सभी उत्पाद ऐसे कम्पोनेंट्स से मिलकर बने हैं जिनमें विपैले पदार्थ शामिल होते हैं। इन्हें उपयुक्त पद्धति से हैंडल नहीं किया गया तो यह पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य के लिये खतरा बनते हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत प्रकाशित ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से प्रभावी है जिसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट का पर्यावरण प्रिय तकनीक से अपवहन किया जाना है। प्रत्येक ई-वेस्ट जनरेटर द्वारा ई-वेस्ट केवल केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत रिसाईक्लर्स के माध्यम से ही निष्पादित करना चाहिये।

नियम के शेड्यूल-1 में विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के पार्ट्स, स्पेयर्स एवं कन्ज्यूमेबल के साथ ही सी.एफ.एल./बल्ब्स को भी सम्मिलित किया गया है। नियमों में ई-वेस्ट के प्रबंधन संबंधी प्रावधानों को लागू करने में मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न जिम्मेदारियां हैं, जिसमें मैनुफैक्चर, रिफरबिसर, डिस्मैटलर्स, रिसाईक्लर्स को प्राधिकार दिये जाने के साथ-साथ प्रदेश में ई-वेस्ट इन्वेन्टराइजेशन का कार्य भी शामिल है।

केन्द्र सरकार द्वारा इन नियमों में संशोधन करते हुये 22 मार्च 2018 से ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018 भी लागू किये गए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार मूलनियम ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन किये गये हैं:-

1. प्रोड्यूसर, मैनुफैक्चरर, इंपोर्टर, ट्रांसपोर्टर, रिफरबिशर्स, डिस्मैटलर एवं रिसाईक्लर्स के दायित्व में संशोधन।
2. प्राधिकार प्राप्त करने के नियम में संशोधन।
3. इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं उनके कंपोनेंट, कन्ज्यूमेबल, पार्ट्स, स्पेयर के निर्माण में परिसंकटमय अवयव में कमी के संबंध में भी संशोधन।
4. फार्म-1, फार्म-III एवं शेड्यूल-III में संशोधन।

प्रदेश में अभी तक 01 मैनुफैक्चर्स, 01 डिस्मैटलर्स, 01 रिसाईक्लर्स एवं रिसाईक्लर के 08 कलेक्शन सेंटर स्थापित होकर कार्यरत हैं। वर्ष 2017-18 में 373.433 मी.टन ई-वेस्ट का निष्पादन हुआ है। नियमों के प्रचार-प्रसार हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 26 मार्च 2018 को भोपाल में किया गया। ई-वेस्ट संबंधी विभिन्न जानकारी बोर्ड की वेब-साइट www.mppcb.nic.in पर उपलब्ध है।



28 मार्च 2018 को सतना में ई-वेस्ट विषय पर आयोजित कार्यशाला

5.16 मध्य प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

1. मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जैव अनाश्रय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 में संशोधन हेतु 22 मई, 2017 को संशोधन अध्यादेश 2017 लाया गया है। उपरोक्त अध्यादेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2/2015/18-5 भोपाल, दिनांक 24 मई, 2017 के माध्यम से मध्य प्रदेश जैव अनाश्रय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम 2004 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लोकहित में सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर दिनांक 24/05/2017 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है, आदेश की प्रति परिशिष्ट - 8 में प्रस्तुत है।
2. प्रदेश में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, विक्रय एवं उपयोग पर लागू किये गये प्रतिबंध को प्रभावशील ढंग से लागू करने हेतु जिला प्रशासन तथा नगरीय निकायों के साथ मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश में दिनांक 25/05/2017 से 31/03/2018 तक कुल 222 जन-जागृति अभियान चलाये गये। अभियान के दौरान लगभग 27.23 मीट्रिक टन प्लास्टिक कैंरी बैग जप्त किये गये तथा प्लास्टिक कैंरी बैग उत्पादक 16 उद्योग बन्द कराये गये, विवरण निम्नानुसार है।

जैव अनाश्रय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत कैंरी बैग पर प्रतिबंध को लागू करने हेतु की गई कार्यवाही

| क्र. | क्षेत्रीय कार्यालय | नगरीय निकाय के साथ जन जागृति हेतु संयुक्त कार्यवाही (संख्या) | प्लास्टिक कैंरी बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का निरीक्षण (संख्या) | बन्द की गई प्लास्टिक कैंरी बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट (संख्या) | जप्त की गई प्लास्टिक कैंरी बैग (मीट्रिक टन) |
|------|--------------------|--|--|---|---|
| 1 | भोपाल | 09 | 02 | 02 | 2.24 |
| 2 | छिंदवाड़ा | 5 | निरंक | निरंक | 1.2 |
| 3 | देवास | 08 | निरंक | निरंक | 0.310 |
| 4 | धार | 15 | निरंक | निरंक | 0.7 |
| 5 | गुना | 01 | 12 | 4 | - |
| 6 | ग्वालियर | 13 | 0 | 0 | 8.31 |
| 7 | इन्दौर | 56 | 05 | 05 | 9.875 |
| 8 | जबलपुर | 25 | 20 | 4 | 0.8 |
| 9 | कटनी | 07 | 0 | 0 | 0.128 |
| 10 | पीथमपुर | 3 | निरंक | निरंक | निरंक |
| 11 | रीवा | 6 | निरंक | निरंक | 0.2 |
| 12 | सागर | - | - | - | 0.1 |
| 13 | सतना | 53 | 02 | 0 | 2 |
| 14 | एसईजेड-पीथमपुर | निरंक | निरंक | निरंक | निरंक |
| 15 | शहडोल | 6 | निरंक | निरंक | 0.08 |
| 16 | सिंगरीली | 03 | 0 | 0 | 0.19 |
| 17 | उज्जैन | 12 | 4 | 1 | 1.1 |
| | कुल | 222 | 45 | 16 | 27.233 |

3. प्रदेश की नगरीय निकायों से लगभग 300 मीट्रिक टन प्रतिदिन प्लास्टिक कचरा निकलता है जिसमें से लगभग 75 प्रतिशत अर्थात् लगभग 225 मीट्रिक टन प्रतिदिन कचरे का उपयोग पुनर्चक्रण के माध्यम से हो जाता है, किन्तु लगभग 25 प्रतिशत अर्थात् लगभग 75 मीट्रिक टन प्रतिदिन प्लास्टिक कचरा पुनर् उपयोग के लायक नहीं होने से वातावरण में गंदगी तथा पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करता है। पुनर्चक्रण के लायक नहीं होने वाले प्लास्टिक कचरे का उपयोग सड़क बनाने व सीमेंट उद्योगों में ईंधन के रूप में किये जाने की अभिनव योजना प्रदेश में प्रारंभ की गई है। सार्थक सामुदायिक विकास एवं जन कल्याण संस्थान द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान भोपाल, इन्दौर, देवास व सिंगरौली जिलों से रेगपिकर्स उत्थान योजना के अंतर्गत एकत्रित लगभग 373 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया गया जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया गया है।



पालिथिन कैंरी बैग के प्रतिबंध के संबंध में प्रचार-प्रसार

- पालिथिन कैंरी बैग के प्रतिबंध के संबंध में प्रचार-प्रसार

4. अनुउपयोगी प्लास्टिक कचरे का सीमेंट क्लिन में उपयोग करने के लिये परीक्षण वर्ष 2008-09 में कराया गया था जिसकी सफलता के बाद प्रदेश की सीमेंट इकाईयों को सीमेंट क्लिन में प्लास्टिक कचरा सह-दहन करने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। प्रदेश के सीमेंट उद्योगों द्वारा वर्ष 2017-18 में 9098 मीट्रिक टन व वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक लगभग 47662 मीट्रिक टन विभिन्न माध्यमों से एकत्रित प्लास्टिक कचरे का सीमेंट क्लिन में सह-दहन किया गया है जिसके फलस्वरूप लगभग 96000 मीट्रिक टन कोयले की बचत होने का अनुमान है, विवरण निम्नानुसार है :-

सीमेंट उद्योगों में प्लास्टिक वेस्ट सह-दहन (Co-processing) की स्थिति (मीट्रिक टन)

| क्रमांक | उद्योग का नाम | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2017-18 तक |
|---------|----------------------------------|----------|---------|----------|---------|------------|
| 1 | थिरला कापेरिशन लिमि., सतना | 4657.11 | 1259.00 | 966.41 | 983.00 | 7865.52 |
| 2 | मैहर सीमेंट लिमि., मैहर, सतना | 716.75 | 119.00 | 80.20 | 35.00 | 950.95 |
| 3 | प्रिज्म सीमेंट, मनकहरी, सतना | 229.00 | 16.50 | 4.20 | 0.00 | 249.70 |
| 4 | मेसर्स जे.पी. रीवा सीमेंट, रीवा | 297.18 | 227.00 | 149.26 | 24.00 | 697.44 |
| 5 | ए.सी.सी. लिमि., कैमोर, कटनी | 2854.87 | 6290.70 | 15487.46 | 6886.75 | 31519.78 |
| 6 | विक्कम सीमेंट, खोर, नीमच | 4229.00 | 249.90 | 90.02 | 1085.63 | 5654.55 |
| 7 | डायमंड सीमेंट्स, नरसिंहगढ़, दमोह | 294.14 | 50.92 | 197.90 | 44.68 | 587.64 |
| 8 | बेला सीमेंट वर्क्स, रीवा | 41.39 | 17.25 | 5.70 | 0.00 | 64.34 |
| 9 | सीधी सीमेंट वर्क्स, सीधी | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 10 | के.जे.एस. सीमेंट, मैहर, सतना | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 11 | भिलाई जे.पी. सीमेंट, सतना | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 |
| | कुल | 13319.44 | 8250.27 | 16994.15 | 9098.06 | 47661.92 |

5. 17 फ्लाई ऐश प्रबंधन

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) सहपठित उपधारा (2) के खण्ड (V) तथा धारा 5 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या का.आ. 763 (अ) तारीख 14 सितम्बर 1999 को फ्लाई ऐश अधिसूचना के नाम से भी जाना जाता है। इस फ्लाई ऐश अधिसूचना दिनांक 14/09/1999 को दिनांक 27/08/2003, 03/11/2009, 25/05/2015 तथा 27/01/2016 में संशोधित किया गया है। इस अधिसूचना का उद्देश्य बहुमूल्य मृदा को बचाना तथा थर्मल पावर इकाईयों से उत्पन्न राखड़ का ईट निर्माण सहित विभिन्न सिविल निर्माण कार्यों में उपयोग सुनिश्चित करना है। ईटों के विनिर्माण के लिये ऊपरी मृदा के उत्खनन को रोकने तथा निर्माण सामग्री के विनिर्माण में फ्लाईऐश के उपयोग का संवर्धन करने एवं बिना फ्लाई ऐश आधारित निर्माण सामग्रियों के उपयोग को कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से एक सौ कि.मी. के विनिर्दिष्ट अर्धव्यास के भीतर, निर्बंधित करने के निर्देश जारी किये गये हैं, जिसे अधिसूचना दिनांक 27/01/2016 द्वारा 300 किलोमीटर किया गया है।

तापीय विद्युत संयंत्र जहाँ कोयला अथवा लिग्नाइट ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, उनमें जनित कोयला या लिग्नाइट को राख (ऐश), तापीय विद्युत संयंत्रों में स्थापित किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर यथा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.), बैग फिल्टर, बॉयलर के पेंदी में एकत्र होती है जिसका निष्पादन एक राष्ट्र व्यापी समस्या है। इस फ्लाई ऐश का उपयोग सुनिश्चित कर ही इसके निपटान की समस्या को समाप्त किया जा सकता है।

ईटों, टाइलों, इत्यादि के विनिर्माण के लिये तथा अन्य संकर्म के लिये जिसमें ऊपरी मृदा का उपयोग किया जाता है, उस ऊपरी मृदा के उत्खनन को निर्बंधित करने की आवश्यकता है तथा यहाँ मृदा के स्थान पर फ्लाई ऐश का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मृदा के संरक्षण के अंतिम लक्ष्य को अभिप्राप्त करने के लिए तथा फ्लाई ऐश के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को कम से कम करने तथा फ्लाई ऐश, जिसे एक त्याज्य कचरा समझा जाता है, उसे एक संसाधन के रूप में उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सूखी फ्लाई ऐश का एक अन्य उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी हो रहा है तथा बाजार में उपलब्ध अधिकांश सीमेंटों में निर्धारित मात्रा में फ्लाई ऐश मिश्रित की जाती है।

27 जनवरी 2016 को प्रकाशित की गयी अधिसूचना में निम्नलिखित प्रावधान हैं-

- कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र से 100 कि.मी. की परिधि के भीतर सड़क संनिर्माण परियोजनाओं या ऐश आधारित उत्पादों के संनिर्माण के लिये या कृषि संबंधित क्रियाकलापों में मृदा अनुकूलक के रूप में उपयोग के लिए ऐश के परिवहन की लागत ऐसे कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र द्वारा वहन की जाएगी और 100 कि.मी. की परिधि से परे 300 कि.मी. की परिधि के भीतर परिवहन की लागत को उपभोक्ता और कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र के बीच अंश भाजित की जाएगी।
- तापीय विद्युत संयंत्र के 300 कि.मी. की त्रिज्या में किसी भी निचली भूमि के भरण में केवल फ्लाई ऐश का ही उपयोग किया जाना चाहिये। संयंत्र के 50 कि.मी. के दायरे में खुली खदानों के ओवरबर्डन में 25% फ्लाई ऐश मिश्रित की जाना चाहिए तथा भूमिगत खदानों की सुरंगों में स्टोईंग हेतु 25% फ्लाई ऐश का उपयोग होना चाहिए।
- कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों के 300 कि.मी. की परिधि के भीतर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन सड़क संनिर्माण परियोजनाओं और भवनों, सड़कों, बांधों और तटबंधों के संनिर्माण सहित सरकार के स्थाई निर्माण कार्यक्रमों के स्थल तक ऐश के परिवहन की सम्पूर्ण लागत को तापीय विद्युत संयंत्र वहन करेगा।
- सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा उपयुक्त उपबंधों का अनुपालन करने की समयावधि 31 दिसम्बर, 2017 है। कोयला या लिग्नाइट आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, उनके द्वारा उत्पादित लाईऐश के 100 प्रतिशत उपयोग की व्यवस्था तथा उपरोक्त उपबंधों का अनुपालन 31 दिसम्बर, 2017 से पूर्व करेंगे।
- फ्लाई ऐश के पुनर्उपयोग के लिये मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित संबंधित विभागों से अपेक्षा की गई है कि वे फ्लाई ऐश के पुनर्उपयोग के लिये विशेष प्रयास करें। फ्लाई ऐश का जिन विधाओं में उपयोग किया जाना है व

जिन विभागों को इसमें हिस्सेदारी दी गई है, उसके अनुसार प्रदेश के ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न फ्लाई ऐश का धर्मल पावर प्लांट द्वारा स्वयं के निर्माण कार्यों में, कोयला खदानों में, शासन के सिविल निर्माण कार्यों से संबंधित विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग, सड़क निर्माण विभाग, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण संघ, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, इत्यादि के द्वारा उपयोग किया जाना प्रारंभ किया गया है। अधिसूचना में उपयोग को निम्नानुसार वर्णित किया गया है :-

| क्र. | भवन निर्माण सामग्री अथवा उत्पाद | फ्लाईऐश के वजन के अनुसार न्यूनतम प्रतिशत |
|------|--|--|
| 1 | फ्लाईऐश ब्रिक्स, ब्लॉक्स, टाइल्स इत्यादि फ्लाईऐश, चूना, जिप्सम, रेत, पत्थर का चूरा (क्ले के बगैर) आदि द्वारा निर्मित | सामग्री के इनपुट का कुल 50% |
| 2 | पेविंग ब्लॉक, पेविंग टाइल्स, चैकर टाइल्स, मोजाइक टाइल्स, रूफिंग शीट, प्री-कास्ट एलीमेंट्स इत्यादि | Usage of PPC (IS-1489,Part-1) or PSC(IS-455) or 15% of OPC (IS-269/8112/12269) content |
| 3 | सीमेंट | कुल कच्चे माल का 15% |
| 4 | क्ले आधारित भवन सामग्री ईट, टाइल्स ब्लॉक इत्यादि | कुल कच्चे माल का 25% |
| 5 | कांक्रीट, मोर्टर, प्लास्टर इत्यादि | Usage of PPC (IS-1489,Part-1) or PSC(IS-455) or 15% of OPC (IS-269/8112/12269) content |

उपरोक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये नोटिफिकेशन के अनुसार मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-19-64/2011/1/4 भोपाल, दिनांक 05/07/2011 के माध्यम से निम्नलिखित सदस्यों की मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है :-

| | | |
|---|--|---------|
| 1 | प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म.प्र. शासन | अध्यक्ष |
| 2 | प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन | सदस्य |
| 3 | सचिव, ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन | सदस्य |
| 4 | सचिव, खनिज साधन विभाग, म.प्र. शासन | सदस्य |
| 5 | आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल | सदस्य |
| 6 | सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | संयोजक |

मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा समय-समय पर बैठक आयोजित कर फ्लाई ऐश के उपयोग संबंधी कार्यवाही की समीक्षा कर संभावित कठिनाईयों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2017-18 में समिति की बैठक दिनांक 19/04/2017 तथा 14/11/2017 को की गई। नियमित समीक्षा के फलस्वरूप फ्लाई ऐश के उपयोग बढ़ाने हेतु धर्मल पावर इकाईयों द्वारा सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। बोर्ड के मुख्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा फ्लाई ऐश उपयोगकर्ताओं तथा धर्मल पावर इकाई प्रबंधन के साथ बैठक कर समन्वय किया जाता है, इसके बेहतर परिणाम प्राप्त हुये हैं।

वर्ष 2017-18 में प्रमुख ताप विद्युत गृहों से उत्पन्न फ्लाई ऐश की उपयोग की जानकारी निम्नानुसार है :-

| क्र. | ताप विद्युत संयंत्र | विद्युत उत्पादन क्षमता (मैगावाट) | फ्लाई ऐश उत्पादन (मैट्रिक टन) | फ्लाई ऐश उपयोग की मात्रा (मैट्रिक टन) | फ्लाई ऐश उपयोग (प्रतिशत) |
|------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| 1 | एन.टी.पी.सी. लि., विंध्याचल सुपर थर्मल पावर, सिंगरौली | 4760 | 7958003 | 1957993 | 24.60 |
| 2 | सासन पावर लि., सिद्धिखुर्द, सिंगरौली | 3960 | 5150473 | 1221517 | 24 |
| 3 | संजय गांधी थर्मल पावर प्लांट, बिरसिंगपुर, जिला उमरिया | 1340 | 1888928 | 1384897 | 73.32 |
| 4 | सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, सारणी, जिला बैतूल | 1330 | 1161888 | 419244 | 36.08 |
| 5 | जे.पी. पावर लि., निगरी, सिंगरौली | 1320 | 1483940 | 1386955 | 93.50 |
| 6 | श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जिला खण्डवा | 1200 | 1046702.885 | 631906.29 | 60.4 |
| 7 | एम.बी. पावर लि., जैतहरी, जिला अनूपपुर | 1200 | 1614069 | 785376 | 48.66 |
| 8 | झाबुआ पावर लि., जिला सिवनी | 600 | 472410 | 316701 | 67 |
| 9 | एस्सार पावर एम.पी. लि., जिला सिंगरौली | 1200 | 632587 | 387002 | 61.18 |
| 10 | जे.पी. बीना थर्मल पावर प्लांट, बीना, जिला सागर | 500 | 602686 | 476527 | 79.06 |
| 11 | अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, चच्चाई, जिला अनूपपुर | 210 | 309086.46 | 175952 | 56.93 |
| 12 | बी.एल.ए. पावर लि., गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर | 90 | 7251 | 7807 | 107.7 |
| 13 | हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि., महान एल्युमिनियम, बरगवां, जिला सिंगरौली | 900 | 1259173 | 632995 | 50.27 |
| | कुल | 18610 | 23587197.35 | 9784872.3 | 41.48 |

प्रदेश में स्थापित कोटिब धर्मल पावर इकाईयों में फ्लाई ऐश उपयोग की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है।

5.18 घरेलू दूषित जल (सीवेज) प्रबंधन :-

मध्य प्रदेश में लगभग 6000 एमएलडी घरेलू दूषित जल (सीवेज) उत्पन्न होता है, जिसके उपचार हेतु नगरीय निकायों में 18 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जिनकी कुल उपचारण क्षमता 767.5 एमएलडी तथा 114 एसटीपी विभिन्न उद्योगों, माइन्स, कॉलोनी, मॉल्स, होटल्स, मैरिज गार्डन्स आदि द्वारा बनाये गये हैं, जिनकी कुल क्षमता 59 एमएलडी है। इस प्रकार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कुल क्षमता 827 एमएलडी है। इसी प्रकार छोटे नगरों/ग्रामों आदि में सीवेज का निस्सारण सेप्टिक टैंक तथा सोकपिट्स के माध्यम से किया जाता है जो लगभग 133 एमएलडी है। अतः सीवेज उपचार की कुल क्षमता 960 एमएलडी है। इस प्रकार उत्सर्जित 6000 एमएलडी में से 960 एमएलडी का निस्सारण उपचार उपरांत होता है जो कि उत्पन्न हो रहे सीवेज का 16 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में घरेलू दूषित जल (सीवेज) के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन हेतु प्रत्येक शहर व नगर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, ताकि उपचारित सीवेज का उपयोग वृक्षारोपण/सिंचाई इत्यादि में होकर शुद्ध जल संरक्षित किया जा सके। इस संबंध में बोर्ड द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को समय-समय पर पत्र लिखे गये हैं।

5.19 खदानों में पर्यावरण प्रबंधन

खदानों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु खदान प्रक्रिया को जल अधिनियम, 1974 एवं वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों अनुसार जल एवं वायु सम्मति प्रदान की जाती है। इस हेतु एक्सजीएन साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है। ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के अनुसार खदान प्रक्रिया हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। तत्पश्चात् खदान प्रबंधन मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना सम्मति एवं उत्पादन सम्मति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। "ईज ऑफ ड्रइंग बिजनेस" के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा रेत खदानों को स्थापना सम्मति की परिधि से मुक्त रखा गया है एवं उत्पादन सम्मति प्रदान करने का प्रावधान है।



वृक्षारोपण

एक्सजीएन साफ्टवेयर में रजिस्टर्ड रेत खदानों में से 700 खदानों द्वारा सम्मति प्राप्त की है जिनमें से 283 खदाने



वृक्षारोपण

05 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल एवं 417 खदाने 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की हैं। इसके अतिरिक्त कुल 4355 खदाने हैं जिनमें 3867 खदाने 05 हेक्टेयर से कम तथा 488 खदाने 05 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की हैं।

खदानों को प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न व्यवस्था करने की शर्त के साथ सम्मति प्रदान की जाती है, जिसमें जल प्रदूषण के अन्तर्गत वर्षा जल के साथ मिट्टी/मिनरल्स के बहाव को रोकने हेतु ओवर बर्डन डम्प प्रबंधन, गारलेण्ड ड्रेन तथा सिलटेशन पौण्ड निर्माण, गेवियन वॉल एवं वृक्षारोपण मुख्य है।



जबलपुर में खदान प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला

वायु प्रदूषण नियंत्रण के अन्तर्गत धूल कण उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, सड़क पक्कीकरण, कन्वेयर बेल्ट द्वारा मिनेरल परिवहन, ट्रांसफर पाइंट पर वायु प्रदूषण उपकरणों के अन्तर्गत बैग फिल्टर आदि स्थापित किये जाते हैं। खनन प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व टॉप स्वाईल (ऊपरी सतह) को चिन्हित स्थान पर संग्रहित कर रखने का प्रावधान किया जाता है एवं टॉप स्वाईल (ऊपरी सतह) का उपयोग माइन क्लोजर उपरांत ग्रीन कवर बनाने हेतु किये जाने का प्रावधान है।



फेन्सिंग



कवर्ड ट्रक



गारलेण्ड ड्रेन



सिल्टेशन पॉड

खदानों में सामान्यतः बड़ी चट्टानों को तोड़ने हेतु ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे कम्पन एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या होती है। इसके नियंत्रण हेतु डिले डिटोनेटर का उपयोग करने का प्रावधान किया जाता है साथ ही ब्लास्टिंग को कार्य दिवस के समय करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं।

कोल परिवहन से होने वाले फ्युजिटिव्ह उत्सर्जन नियंत्रण हेतु सतत् वाटर स्प्रीकलिंग के साथ पक्का सड़क मार्ग व्यवस्था एवं रोड़ स्वीपर आदि व्यवस्था करने की शर्त दी जाती है। खुली खदानों के पिट में दुर्घटना की रोकथाम हेतु लीज क्षेत्र के चारों ओर फेन्सिंग का प्रावधान भी किया जाता है।

प्रदेश में कोयला खदाने मुख्यतः सिंगरौली, शहडोल, छिन्दवाड़ा एवं बैतूल क्षेत्र में स्थित है, जिनमें कोयले का खनन भूमिगत प्रक्रिया एवं ओपन कास्ट प्रक्रिया अनुसार किया जाता है। प्रदेश में लगभग 90 कोयला खदाने स्थापित हैं। जिसमें कोल इंडिया की खदानों के साथ में निजी क्षेत्र की खदाने भी शामिल हैं। सिंगरौली क्षेत्र में नार्दन कोल फील्डस की खदाने स्थापित है जो उत्पादन क्षमता में प्रदेश में अग्रणीय है। बोर्ड के सतत् प्रयासों एवं निगरानी से खदानों में पर्यावरण प्रबंधन के अन्तर्गत दूषित जल उपचार व्यवस्था एवं ओवर वर्डन डम्प प्रबंधन के अन्तर्गत सघन वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया है।



6. पर्यावरणीय अनुसंधान

पर्यावरण के क्षेत्र में सतत रूप से अनुसंधान का बहुत महत्व है। उद्योगों के निस्स्रावों एवं उत्सर्जनों पर नियंत्रण तथा उपचार हेतु नई-नई प्रणालियाँ विकसित होती जा रही हैं। इन प्रणालियों की प्रदेश की जल, वायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उपादेयता परखकर उसे प्रचलित करने के उद्देश्य से मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित केन्द्रीय प्रयोगशाला कार्यरत है।



प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, केन्द्रीय प्रयोगशाला, भोपाल का निरीक्षण करते हुए

विचाराधीन वर्ष में केन्द्रीय प्रयोगशाला में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया गया -

(1) राजधानी नगर भोपाल का विस्तृत पर्यावरणीय मॉनिटरिंग कार्य

मध्यप्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिक विकास, वाहनों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या व मानव निर्मित कृत्रिम संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के कारण प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। अतः प्रदूषण की बढ़ती हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय प्रयोगशाला, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य बजट अनुदान के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल शहर की व्यापक पर्यावरणीय निगरानी परियोजना का प्रारंभिक अध्ययन कार्य वर्ष 2016-18 में किया गया। उक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य भोपाल शहर की पर्यावरणीय प्रदूषण स्थिति का व्यापक अध्ययन है।

प्रदूषण के आकलन हेतु भोपाल शहर के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, तथा दक्षिण पश्चिम भाग को क्रमशः कॉरिडोर I, II, III और IV में विभाजित किया गया। परिवेशीय वायु, शोर, भूजल और मिट्टी की मॉनिटरिंग के लिए कुल उन्नीस स्थलों का तथा भौतिक रसायन अध्ययन और फाइटोप्लांकटॉन अध्ययन के लिए चार सतही जल मॉनिटरिंग स्थलों का चयन किया गया। इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि भोपाल शहर में अन्य कॉरिडोर की तुलना में कॉरिडोर I एवं कॉरिडोर II में अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण देखा गया। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन, एम एस डब्ल्यू डंपिंग साइट, सघन वाहन क्षेत्र कॉरिडोर II में मुख्यतः प्रदूषण के कारण है। कॉरिडोर III में कम पर्यावरणीय प्रदूषण देखा गया जिसका कम वाहन, खेत और खुले क्षेत्र कारण हो सकते हैं। इस अध्ययन के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में समस्त रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण मध्यम श्रेणी में पाया गया।

(2) भोपाल शहर के क्लोरीनेटेड पेय जल में ट्राइहेलोमीथेन की उपलब्धता का अध्ययन

विसंक्रमण पेय जल के उपचार का समीक्षात्मक भाग है व प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियों को रोकना भी अति आवश्यक है। विसंक्रमित रसायनों के उपयोग से विसंक्रमित बाय प्रोडक्ट बनते हैं। ट्राइहेलोमीथेन इसी प्रकार का विसंक्रमित बाय प्रोडक्ट है। यह कैंसर कारक है तथा जलाशयों में इसका निर्माण विसंक्रमित क्लोरीन व कार्बनिक पदार्थों के बीच हुई अभिक्रिया से होता है। इस अध्ययन के अंतर्गत मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में क्लोरीनेटेड पेय जल में बनने वाले ट्राइहेलोमीथेन का परीक्षण किया गया। केंद्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भोपाल शहर के नगर निगम के कुल ग्यारह जल शोधन संयंत्रों को ट्राइ हेलो मीथेन्स की मॉनिटरिंग के लिए चुना गया। प्राप्त आंकड़े पेयजल में ट्राइहेलोमीथेन की उपस्थिति तो दर्शाते हैं किन्तु उनकी मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ई.पी.ए. एवं बी.आई.एस. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पाई गई।



डायरेक्टर, नीरी नागपुर केन्द्रीय प्रयोगशाला, भोपाल का निरीक्षण करते हुए

(3) मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण का विस्तृत अनुश्रवण

औद्योगिक प्रदूषण ने पिछले दो शताब्दियों से पारिस्थितिक तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है जिसकी वैश्विक स्तर पर वृद्धि जारी है। दिन प्रति दिन उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों से पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीव, प्रदूषकों की जहरीली प्रकृति के कारण क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसलिए मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण निगरानी कर यह जानना महत्वपूर्ण है कि औद्योगिक क्षेत्र की पर्यावरण गुणवत्ता स्वास्थ्य अनुकूल है या नहीं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र की विस्तृत पर्यावरणीय मॉनिटरिंग कर पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति का आँकलन करना है। केंद्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय घटकों (वायु, जल, मृदा एवं ध्वनि) में होने वाले प्रदूषण के आँकलन हेतु मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र को 20 खंडों में विभाजित किया गया जिसमें इस अध्ययन के लिए 13 ब्लॉक चुने गए। उक्त अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि ब्लॉक 13 में पर्यावरण प्रदूषण अन्य ब्लॉक की तुलना में अधिक पाया गया जिसका मुख्य कारण पास में एचईजी धर्मल पावर स्टेशन, इंदिरा नगर, यातायात, परिवहन, वाहन, राजमार्ग एनएच 12 तथा अन्य सार्वजनिक गतिविधियाँ हैं। ब्लॉक 6 में खेतों और खुले क्षेत्र की वजह से कम पर्यावरणीय प्रदूषण पाया गया। इस अध्ययन के दौरान मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरणीय प्रदूषण मध्यम श्रेणी में पाया गया। उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत अध्ययन कार्य वर्ष 2018-19 में भी जारी रहेगा।



पर्यावरणीय वायु मॉनिटरिंग : क्रॉम्पटन ग्रीक्स उद्योग, मंडीदीप बी टी एक्स मॉनिटरिंग : बंसल उद्योग, मंडीदीप

(4) मध्यप्रदेश की बेतवा नदी की बायोमॉनिटरिंग

बायो-मॉनिटरिंग, परिवर्तनशील जीविकों की प्रस्तावना हेतु जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरचनात्मक व क्रियात्मक बिन्दुओं के परीक्षण के लिये है। फिजियो-केमिकल तकनीक को परिपूर्ण करने हेतु बायो-मॉनिटरिंग का उपयोग किफायती रूप से किया जा सकता है। बायो-मॉनिटरिंग की सहायता से जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर कई कारणों से पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है। इन कारणों के अंतर्गत निम्न बिन्दु हैं:-

- ❖ गैर मानसूनी समय में जल की अनुपलब्धता।
- ❖ कम ऑक्सीजन की परिस्थिति तथा यूट्रोफिकेशन
- ❖ अधिक फीकल कॉलॉयड्स की मात्रा
- ❖ भारी धातुओं की उपस्थिति

❖ संवेदनशील प्रजातियों का निष्कासन

दिन रात धारा के प्रवाह में बह रहे जलीय जीव प्रदूषण के संपर्क में आते हैं। परिणामस्वरूप जीवों का स्वास्थ्य उस पानी की गुणवत्ता को भी बताता है जिसमें वे रहते हैं। यदि जल का प्रदूषण एक क्रिटिकल कन्सन्ट्रेशन तक पहुँच गया तो कुछ जीव मर जायेंगे, कुछ स्थानांतरण कर लेंगे व कुछ रिप्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं रहेंगे। इस प्रकार वे जीव प्रदूषित क्षेत्र से ओझल हो जायेंगे। वर्ष 2017-2018 में केंद्रीय प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश में पूरे बेतवा नदी खंड को तीन क्षेत्रों में विभाजित कर कुल बारह स्थलों पर बायो-मॉनिटरिंग कार्य किया जा रहा है। अध्ययन में बेतवा नदी के जल का औसत जैविक जल गुणवत्ता मानदंड क्लास बी से सी के अंतर्गत पाया गया। उपरोक्त परियोजना के अंतर्गत अध्ययन कार्य वर्ष 2018-19 में भी जारी रहेगा।



सतही जल मॉनिटरिंग : शाहपुरा झील, भोपाल



भूजल मॉनिटरिंग : बावड़ियाकलां, भोपाल

(5) बेसिक ड्रग्स उद्योग द्वारा प्रवाहित जल में टॉक्सिसिटी का अध्ययन

पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत टॉक्सिसिटी परीक्षण एक ऐसा प्रचालक है जो प्रदूषण की पुष्टि करता है। इस परिपेक्ष्य में यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। मछलियाँ जलीय भोज्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, एवं पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील होती हैं। अतः केंद्रीय प्रयोगशाला मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मछलियों पर मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र के बेसिक ड्रग्स उद्योग के दूषित जल के प्रभावों का अध्ययन किया गया। प्राप्त परिणाम के अनुसार उपचारित दूषित जल में एक्वेट लिथल टॉक्सिसिटी नहीं पायी गई, किन्तु अनुपचारित दूषित जल में एक्वेट लिथल टॉक्सिसिटी पाई गयी। अतः बिना उपचार के दूषित जल का निस्तारण सीधे नदी में किया जाना उचित नहीं है।

केन्द्रीय प्रयोगशाला में उपलब्ध परीक्षण विशेषज्ञता

| मृदा / जल अपशिष्ट | मृदा / मृदा अपशिष्ट | परिवेशीय वायु | स्रोत उत्सर्जन |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ रंग ◆ गंध ◆ पी.एच.वैल्यू ◆ स्वाद ◆ टर्बिडिटी ◆ ठोस घुलनशील ◆ अमोनिया ◆ बोरॉन ◆ कैल्शियम ◆ क्लोराइड ◆ फ्लोराइड ◆ फास्फोरस ◆ जैविक ऑक्सीजन मांग (बी.ओ.डी) ◆ रासायनिक ऑक्सीजन मांग (सी.ओ.डी.) ◆ पोटेशियम ◆ सोडियम ◆ कैल्शियम ◆ ठोस (कुल घुलनशील, निलंबित, वाष्पशील, अवाष्पशील) ◆ मुक्त क्लोरिन अवशेष ◆ मैग्नेशियम ◆ नाइट्रेट ◆ फिनॉलिक यौगिक | <ul style="list-style-type: none"> ◆ अमोनिया ◆ बाय कार्बोनेट ◆ बोरॉन ◆ कैल्शियम ◆ कैल्शियम कार्बोनेट ◆ केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ◆ क्लोराइड ◆ रंग ◆ विद्युत चालकता ◆ विनिमेय सोडियम ◆ प्रतिशत विनिमेय सोडियम ◆ भारी धातुएं ◆ मैग्नीशियम ◆ नाइट्रेट ◆ नाइट्राइट ◆ उपस्थित नाइट्रोजन ◆ आर्गेनिक कार्बन/ मीटर ◆ कीटनाशक ◆ पी.एच. ◆ फास्फोरस ◆ फास्फेट ◆ पोटेशियम | <ul style="list-style-type: none"> ◆ सल्फर डाय-ऑक्साइड ◆ नाइट्रोजन डाय ऑक्साइड ◆ पार्टिकुलेट मीटर पी. एम.10 ◆ पार्टिकुलेट मीटर पी. एम.2.5 ◆ ओजोन ◆ कार्बन मोनोऑक्साइड ◆ अमोनिया ◆ बेंजीन ◆ धातुएं कीटनाशक ◆ पॉलिन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन | <ul style="list-style-type: none"> ◆ पार्टिकुलेट मीटर ◆ हाइड्रोजन क्लोराइड ◆ कार्बन मोनोऑक्साइड ◆ धातुएं ◆ कीटनाशक ◆ पॉलिन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन |

| मृदा / जल अपशिष्ट | मृदा / मृदा अपशिष्ट | परिवेशीय वायु | स्रोत उत्सर्जन |
|--|--|---------------|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ सल्फेट ◆ सल्फाइड ◆ कठोरता (कुल, कैल्शियम, मैग्नेशियम) ◆ कुल जेलडाल नाइट्रोजन ◆ तेल एवं ग्रीस ◆ हैक्जावैलेंट कोमियम ◆ धातुएं ◆ कीटनाशक ◆ पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ◆ ट्रायहेलोमीथेन ◆ ई-कोलाई ◆ कुल कोलिफार्म बैक्टीरिया ◆ बायो एसे. परीक्षण | <ul style="list-style-type: none"> ◆ मृदा विक्षालन में एस.ए.आर. ◆ सोडियम ◆ मृदा आर्द्रता ◆ सल्फेट ◆ सल्फर ◆ फ्लैश बिन्दु/ प्रज्वलनता ◆ विषाक्तता का मापन ◆ ऊष्मीय मान (कैलोरीफिक वैल्यू) | | |

केन्द्रीय प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण सुविधा

| उपकरण | उपयोगिता |
|---|---|
| एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | वायु/जल/मृदा/ठोस अपशिष्ट विश्लेषण उपकरण |
| बी.ओ.डी. इनक्यूबेटर | |
| बॉम्ब कैलोरीमीटर | |
| बी.टी.एक्स.एनालाइजर | |
| सी.एच.एन.एस.एनालाइजर | |
| सी.ओ.डी.डायजेस्टर | |
| कन्डक्टिविटी मीटर | |
| डी.ओ.मीटर | |
| डीप फ्रीजर | |
| इलेक्ट्रॉनिक बैलेन्स | |
| फ्लैम फोटोमीटर | |
| गैस क्रोमेटोग्राफ/मास स्पेक्ट्रोमीटर | |
| हेवी मेटल डायजेस्टर | |
| हॉट एयर ओवन्स | |
| ऑयन क्रोमेटोग्राफ | |
| मर्करी एनालाइजर | |
| माइक्रोप्रासेसर बेस्ड यूवी-वी.आई.एस. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | |
| माइक्रोवेव डायजेस्टर | |
| मिलीपोर वॉटर प्यूरीफिकेशन सिस्टम | |
| मफल फरनेन्स | |
| पी.एच.मीटर | |
| पी.एम.2.5 सेम्पलर | |
| रिसपाइरेबल डस्ट सेम्पलर (आर.डी.एस.) | |
| सॉक्सलेट अपरेटस | |
| स्टेक मॉनिटरिंग किट | |

| उपकरण | उपयोगिता |
|---|---------------------------------|
| टी.के.एन.असेम्बली | |
| टॉक्सिसिटी कॅरेक्टरिस्टिक लीचिंग प्रोसीजर (टी.सी.एल.पी.)इक्वूपमेंट | |
| ट्रिपल डिस्टिलेशन यूनिट | |
| टर्बिडिटी मीटर | |
| अल्ट्रा सोनीकॅटर | |
| यूवी-वीजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | |
| वीजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर | |
| आई.सी.पी./मास स्पेक्ट्रोमीटर | |
| ऑटो क्लेव | बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग उपकरण |
| बैक्टीरियोलोजिकल इन्क्यूबेटर | |
| लेमीनार फ्लोर चेम्बर | |
| इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप | |
| स्टेरियो माइक्रोस्कोप | |
| माइक्रो मेटेरियोलोजिकल डाटा लॉगर | मेटेरियोलोजिकल डाटा मॉनिटरिंग |
| साउण्ड लेवल मीटर | ध्वनि मापन |

प्रकाशन

1. Comparative indoor and outdoor aerosol pollution study of sensitive zones of Bhopal city, India. **Published in International journal of Information Research and Review , Vol. 04, Issue, 04, pp.4117-4121, April, 2017**
2. Ground water Quality Assessment in and around Bhopal city of Madhya Pradesh, India . **presented at 50th Conference of Indian Water Works held on 19th -21st February, 2018**

7. पर्यावरणीय प्रशिक्षण

उद्देश्य

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 (1) (ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। पता लगाये गये लक्ष्य समूहों के लिये प्रदूषण के निवारण, रोकथाम एवं नियंत्रण जैसे विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण आवश्यक है।

प्रशिक्षण की आवश्यकता

बोर्ड में निम्नलिखित क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रमुखता से है, ताकि बोर्ड में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सहमति प्रबंध तथा बहिस्त्राव व उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन इत्यादि को सरलता व कुशलतापूर्वक संपादन हेतु तैयार किया जाये :-

- वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और बहिस्त्राव शोधन इकाईयों/उपकरणों का प्रचालन एवं अनुरक्षण
- पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के प्रबंध, प्रचालन और अनुरक्षण।
- जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन पद्धति।
- प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक पद्धति, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण।
- सहमति पत्र प्रबंध और मानकों का निर्धारण।
- पर्यावरणीय परीक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति।
- खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, आंकड़ों का विश्लेषण और कानूनी पहलुओं जैसे विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षण।

उक्त के परिपेक्ष्य में बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भी उन्हें भेजा जाता है। बोर्ड में अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं छात्रों को भी समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा आयोजित प्रशिक्षण

केन्द्रीय प्रयोगशाला द्वारा वर्ष 2017-18 में निम्न प्रशिक्षण आयोजित किये गये:-

1. केमिकल सेफ्टी, एरगोनोमिक्स एवं ऑक्सीपेशनल हेल्थ एवं सेफ्टी अवेरनेस पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 13 अगस्त 2017
2. पर्यावरणीय विश्लेषण एवं इंस्ट्रुमेंटेशन विषय पर एक्सिलेंस कॉलेज के छात्रों हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन - दिनांक 22 से 27 मई 2017
3. अग्नि शामक यंत्रों के प्रचालन पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 20 जुलाई 2017
4. PHED विभाग के नव नियुक्त सहायक यंत्रियों हेतु एक दिवसीय डेमोस्ट्रेशन प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 3 अगस्त 2017
5. पर्यावरणीय विश्लेषण एवं इंस्ट्रुमेंटेशन विषय पर इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट के प्रतिभागियों हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन - दिनांक 21 से 25 अगस्त 2017
6. संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं हेतु एक दिवसीय डेमोस्ट्रेशन प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 4 अक्टूबर 2017
7. एक्सिलेंस कॉलेज के छात्रों हेतु एक दिवसीय डेमोस्ट्रेशन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन दि. 9 अक्टूबर 2017
8. Training on Gas Chromatography/Mass Spectrometer Instrumentation 7th - 9th February 2018

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी प्रशिक्षण आदि में नामित बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. | विषय | आयोजक | स्थान | दिनांक | प्रतिभागी |
|------|---|--|-----------|--------------------------|--|
| 1 | Data Management: Collection, Collation and Analysis of Environmental Data | Centre for Science and Environment (CSE) | नई दिल्ली | 10 से 14 अप्रैल 2017 | 1. डॉ. श्यामानुज तिवारी, मुख्य रसा. मु. भोपाल 2. श्रीमति अरुणा चौबे, कनिष्ठ वैज्ञानिक, मु. भोपाल |
| 2 | Celebration of International Noise Awareness Day & Workshop On Noise Pollution | PCB & NPL | दिल्ली | 26 अप्रैल 2017 | 1. श्री जी. अम्बुलकर, मुख्य रसा., मु. भोपाल |
| 3 | Effective Management of Hazardous Waste E-Waste Including Co-Processing and Hazardous Waste Rules | IIWM | बैंगलोर | अप्रैल दूसरा सप्ताह 2017 | 1. श्री एम.एल. पटेल, अधी. यंत्री, मु. भोपाल 2. श्री एच.एस. मालवीय, अधी. यंत्री, मु. भोपाल |
| 4 | One Day Conference on "Utilization of Fly Ash by Coal Based Thermal Power Plants" | CECB | रायपुर | 02 जून 2017 | 1. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव 2. श्री पी.आर. देव, मु. रसा., शे.का. सिंगरीली 3. श्री पी.एस. बुन्देला, शे. अधि., शे.का. भोपाल 4. श्री आर.के. गुप्ता, शे. अधि., शे.का. इंदौर 5. श्री एस.पी. झा, कार्य. यंत्री, शे.का. सहडोल |
| 5 | Workshop on "Stockholm & Rotterdam Conventions & Associated Challenges" | NEERI | नागपुर | 06 जून 2017 | 1. श्री राजेन्द्र चतुर्वेदी, वैज्ञानिक, मु. भोपाल |
| 6 | Programme on "River Ecosystem & Development Planning in India" | NEERI | नागपुर | 07 जून 2017 | 1. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव |
| 7 | Workshop on "Conservation & Management of Wetlands" | EPCO | भोपाल | 09 एवं 10 जून 2017 | 1. डॉ दिलीप वाघेला, मु. रसा., शे.का., इंदौर 2. श्री जी. अम्बुलकर, मु. रसा., मु. भोपाल 3. श्रीमती संगीता आर. दानी, मु. रसा., शे.का. भोपाल |

| क्र. | विषय | आयोजक | स्थान | दिनांक | प्रतिभागी |
|------|---|--|--------------|---------------------|--|
| 8 | "Real Time Monitoring Technology" | EPCO | भोपाल | 04 से 06 जुलाई 2017 | 1. श्री जी. अम्बुलकर, मु. रसा., मु. भोपाल 2. डॉ. आलोक सक्सेना, मु. रसा., मु. भोपाल 3. श्री ए.यू. बैंग, वैज्ञानिक, मु. भोपाल 4. श्री एन.पी. त्रिपाठी, रसायनज्ञ, मु. भोपाल 5. कृ. शालिनी सिंह, उपर्यंत्री, शे.का. ग्वालियर 6. श्री अजय मिश्रा, उपर्यंत्री, मु. भोपाल |
| 9 | Compliance, Monitoring and Enforcement of environmental legislation | Centre for Science and Environment (CSE) | नई दिल्ली | 17 से 28 जुलाई 2017 | 1. श्री हरीश राय, शे. कार्या., कटनी 2. श्री आर. एस. शाक्यवार, शे. कार्या., उज्जैन |
| 10 | Green Chemistry & Cleaner Technology | CPCB | CES, Chennai | 01 से 03 अगस्त 2017 | श्री मुकेश श्रीवास्तव, कार्यपालन चंत्री, शे.का., देवास |
| 11 | "अपराध प्रबंधन" पर प्रशिक्षण | DMI | भोपाल | 01 से 04 अगस्त 2017 | 1. श्री बलदेव ठाकुर, रसायनज्ञ ई.आर.सी., भोपाल 2. कृ. ऊषा कौर, कनि. वैज्ञ., ई.आर.सी., भोपाल 3. श्री भागवत सिंह, सेम्पलर, प्रयोगशाला, भोपाल 4. कृ. हेमलता दारसे, सेम्पलर, मु. भोपाल 5. श्री विजय प्रताप आर्य, सेम्पलर, मु. भोपाल 6. श्री राजकुमार भसातकर, सेम्पलर, शे.का. भोपाल 7. श्री अरविंद कुमार सिंह, कनि. वैज्ञ., शे.का. भोपाल 8. श्री अब्दुल हनीफ, चायरमेन, मु. भोपाल 9. श्री दिपक बिलबुले, सहा. ड्राफ्ट्समेन, मु. भोपाल 10. श्री ललित शर्मा, इलेक्ट्रीशियन, मु. भोपाल 11. श्री शैलेन्द्र कश्यप, प्र.सा. सहा., शे.का. भोपाल 12. कृ. अंकिता कुलश्रेष्ठ, एस.आर.एफ., मु. भोपाल 13. श्री साकेत मिश्रा, एस.आर.एफ., मु. भोपाल |

| क्रं. | विषय | आयोजक | स्थान | दिनांक | प्रतिभागी |
|-------|---|--|---------------|---------------------|--|
| | | | | | 14. श्री शुभोजित ए. रॉय, जे.आर.एफ., मु. भोपाल 15. कु. पुनम दुबे, प्रोजेक्ट फ़ैलो, मु. भोपाल 16. कु. स्मृति सेन, प्रोजेक्ट फ़ैलो, मु. भोपाल 17. श्री माखन परमार, प्रोजेक्ट फ़ैलो, मु. भोपाल 18. श्री हरीश उईके, प्रोजेक्ट फ़ैलो, मु. भोपाल 19. श्रीमति वंदना रमानी, प्रोजेक्ट फ़ैलो, मु. भोपाल |
| 12 | Sampling & Analysis of Specific Pollutants (Metals, Ions, Pesticides, PAHs, BTX/VOCs, Carbonyls/PCBs etc., Method Validation, SOPs, Data Interpretation and Quality Assurance | CPCB | Delhi (AQ-II) | Aug. 02-04, 2017 | 1. श्री हरीश वानखेडे, वैज्ञानिक, प्रयोगशाला, भोपाल 2. श्री महेश पुरैया, वैज्ञानिक, शे.का. जबलपुर |
| 13 | Real Time Pollution Monitoring System: From Understanding to Implementation | Centre for Science and Environment (CSE) | नई दिल्ली | 21 से 25 अगस्त 2017 | 1. श्री आलोक कुमार जैन, अधीक्षक चंजी, मु. भोपाल 2. श्री सुनील व्यास, वैज्ञानिक, शे.का. इंदौर 3. श्री सतीश चौकमे, उपचंजी, शे.का., सागर |
| 14 | One Day Awareness Program NABL Accreditation EPA Recognition & Interaction Meet | Zonal Office CPCB | भोपाल | 24 अगस्त 2017 | समस्त क्षेत्रीय कार्यालय प्रयोगशाला प्रभारी |
| 15 | ईको सेन्सेटिव जोन के जोनल प्लान की तैयारी के लिये अधिकारियों को प्रशिक्षण | CPCB | देहरादून | 28 से 30 अगस्त 2017 | 1. डॉ. अविनाश करेरा, मुख्य रसायनज्ञ, शे.का. भोपाल 2. श्री मनोज जैन कनि. वैज्ञानिक, मु. भोपाल |
| 16 | Workshop on "Improve Mercury Management in India" reg- | MOEF | नई दिल्ली | 31 अगस्त 2017 | 1. श्री आर.के. मालवीय, मुख्य रसायनज्ञ, मु. भोपाल 2. डॉ. आलोक सक्सेना, मुख्य रसायनज्ञ, मु. भोपाल |
| 17 | Design, Operation, Maintenance & Performance of STP, CETP, CBMWTFs | CPCB NEERI | Nagpur | Sep. 06-08, 2017 | 1. श्री अजय मिश्रा, कनिष्ठ उपचंजी, मु. भोपाल 2. श्री के.पी. सोनी, कार्यपालन चंजी, शे.का. इंदौर |

| क्रं. | विषय | आयोजक | स्थान | दिनांक | प्रतिभागी |
|-------|---|--|------------------------------|-----------------------|--|
| 18 | Development of Protocol for Granting Consent and Inspection Procedures | Centre for Science and Environment (CSE) | नई दिल्ली | 11 से 15 सितम्बर 2017 | 1. श्री कौलाश कटारे, कार्यपालन यंत्री, शे.का., गुना 2. श्री बुजेश शर्मा, कार्यपालन यंत्री, मु. भोपाल 3. श्री जितेन्द्र चन्देल, रसायनज्ञ, शे.का. सिंगरीली |
| 19 | Advance Instrumental Analytical Techniques (AAS, ICP-OES, XRF, GC-MS, ATD-GC, HPLC, IC, EC/ OC, TOC etc.) | CPCB | Nagpur | Sep. 13-15, 2017 | 1. श्रीमती विनिता गौतम, कनिष्ठ वैज्ञानिक, मु. भोपाल 2. श्रीमती संगीता शुक्ला, रसायनज्ञ, मु. भोपाल |
| 20 | Real Time Data Acquisition, Transmission & Data Interpretation of Online Monitoring Systems (Ambient, Emission & Effluents) | CPCB | नई दिल्ली | Sep. 20-22, 2017 | 1. श्री आलोक कुमार जैन, अधीक्षण यंत्री, ई.आर.सी., भोपाल 2. श्री आदेश शीवास्त्रव, अधीक्षण यंत्री, ई.आर.सी., भोपाल |
| 21 | Training Program for Environmental Regulators "Best Practices in Environmental Governance" | Centre for Science and Environment (CSE) | नई दिल्ली, स्टोकहोम (स्वीडन) | 06 से 15 अक्टूबर 2017 | 1. श्री एस.एन. कटारे, कनि. वैज्ञानिक, शे.का. इंदौर 2. कु. अर्पणा त्रिपाठी, उपयंत्री, मु. भोपाल, 3. कु. शालिनी सिंह, उपयंत्री, शे.का. म्हालियर |
| 22 | Participation and Sponsorship in BRSI Conference CSIR | NEERI | Nagpur | 08 से 10 अक्टूबर 2017 | 1. डॉ. आलोक सक्सेना, मुख्य रसायनज्ञ, भोपाल 2. श्री एस.एन. पाटील, मुख्य रसायनज्ञ, इंदौर |
| 23 | Integrated Waste Management Municipal Waste, Plastic Waste, Bio-Medical Waste, Bio Composting, Landfill Gas Management & Control & Waste to Energy with Field Visit | CPCB | IWM, Bengluru. | Oct. 09-13, 2017 | 1. श्रीमती संध्या मोखले, वैज्ञानिक, मु. भोपाल 2. डॉ. तस्नीम सूफी, वैज्ञानिक, शे.का., भोपाल |
| 24 | Biological Monitoring, Analysis & Testing (Microbiology, Bio-Assay & Bio monitoring), SOP, Data Interpretation & Quality Assurance | CPCB | Punjab University | Oct. 12-14, 2017 | 1. श्रीमती स्वेता साहु, रसायनज्ञ, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, इंदौर 2. श्रीमती दीपा श्रीवास, रसायनज्ञ, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, इंदौर |

| क्र. | विषय | आयोजक | स्थान | दिनांक | प्रतिभागी |
|------|--|--------|-------------------------------------|----------------------|---|
| 25 | Nomination Suit For "CIOS-e-Governance Champions Training Programme (egcp)" | YASHDA | Pune | 06 से 18 नवम्बर 2017 | 1. श्री बुजेश शर्मा, कार्यपालन यंत्री, मु. भोपाल |
| 26 | Investigation, Remediation & Management of Soil & Groundwater Contaminated Sites | CPCB | IIT, Roorkee EPTRI, Hyderabad | Nov. 20-22, 2017 | 1. श्री राजेश गांधे, रसायनज्ञ, जप.शे. नागदा, 2. श्री रामदास बाप, कनिष्ठ वैज्ञानिक, शे.का., उज्जैन |
| 27 | Clean Development Mechanism (CDM): CDM Project Implementation for Industrial Sector, Energy Sector, Mining Sector & Carbon Trading | CPCB | PCRI, Haridwar | Nov. 27-29, 2017 | 1. श्रीमती संभवा मोखले, वैज्ञानिक, मु. भोपाल 2. डॉ. तरनीम सूफी, वैज्ञानिक, शे.का., भोपाल |
| 28 | Source Emission Monitoring for Parameters Notified under Source Emission | CPCB | PGIMER, Chandigarh | Dec. 04-06, 2017 | श्री जय कुमार राजौरिया, कनिष्ठ वैज्ञानिक, शे.का., गुना |
| 29 | Indoor & Outdoor Air Pollution, Standards & Impact on Human Health Case Studies | CPCB | NEERI, Delhi | Dec. 07-09, 2017 | श्री अशोक कुमार रामावत, रसायनज्ञ, शे.का. इंदौर |
| 30 | Air Quality Monitoring (Ambient, Source, Noise), Analysis, Data Interpretation & Quality Assurance | CPCB | Zonal Centre | Jan. 02-05, 2018 | श्री राहुल द्विवेदी, वैज्ञानिक, आं.का. रीवा |
| 31 | गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (Gem) का शासकीय विभागों के द्वारा उपयोग के सम्बन्ध में वर्कशॉप | GeM | Panchanan Bhawan, Bhopal | 03 जनवरी 2018 | 1. श्री बुजेश शर्मा, कार्यपालन यंत्री, भोपाल 2. श्री डी.के. जैन, कार्यपालन यंत्री, भोपाल 3. श्री शरद शर्मा, वित्त अधिकारी, मु. भोपाल |
| 32 | गवर्मेंट ई-मार्केट प्लेस (Gem) का शासकीय विभागों के द्वारा उपयोग के सम्बन्ध में वर्कशॉप | GeM | Panchanan Bhawan, Bhopal | 10 जनवरी 2018 | 1. श्री आर.पी. ठाकुर, सहायक यंत्री, मु. भोपाल 2. श्री डी.डी. चौर, आई.टी. शाखा, मु. भोपाल 3. डॉ. नवल किशोर लोहनी, अधीक्षक, मु. भोपाल 4. श्री एम.एल. सेन, अधीक्षक, मु. भोपाल |

| क्र. | विषय | आयोजक | स्थान | दिनांक | प्रतिभागी |
|------|---|--|--|------------------------|---|
| 33 | Training Programme on Web Based, System VIZ 'Chemical Accident Reporting System (CAIRS)' and 'GIS Emergency Planning and Response System (GEPR)' and Discussion on Implementation —Reg. | MOEF And Climate Change | नई दिल्ली | 02 फरवरी 2018 | 1. डॉ. राजेन्द्र चतुर्वेदी, वैज्ञानिक, ई.आर.सी., भोपाल 2. डॉ. एस.के. खरे, वैज्ञानिक, शे.का. जबलपुर 3. श्री एच.एस. शर्मा, कनिष्ठ वैज्ञानिक, शे.का. उज्जैन |
| 34 | Programme on "ASIA-AFRICA Regulators Conclave on Smart and Affordable Monitoring -reg | Centre for Science and Environment (CSE) | TURA Rajsthan | 05 से 07 फरवरी 2018 | श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव |
| 35 | Vehicular Emission & Exhaust Monitoring (Receptor & Dispersion Modeling) | CPCB | TERI, Delhi Training Venue: Gwal Pahari Gurugram | Feb. 07-09, 2018 | श्री बी.एम. पटेल, कनिष्ठ वैज्ञानिक, शे.का. राहडोल |
| 36 | Environmental Regulators Self Regulation and Environmental Audit | Centre for Science and Environment (CSE) | नई दिल्ली | 06 से 09 मार्च 2018 | 1. श्री अजय मिश्रा, उपमंत्री, मु. भोपाल 2. श्री अरविन्द सांभले, उपमंत्री, मु. भोपाल |



8. पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17(1) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-मानस में जागरूकता एवं जन-भागीदारी की भावना उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

बोर्ड नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों, प्रचार एवं जनशिक्षा के माध्यम से पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुँचाने वाले तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिए वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है।

पर्यावरण जनजागृति हेतु बोर्ड के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है।

बोर्ड मुख्यालय

• ई-वेस्ट अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2016 के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन

भारत सरकार द्वारा ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2016 में संशोधन किया गया है। नये नियम के प्रचार-प्रसार तथा जन जागृति के उद्देश्य से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 26/03/2018 को किया गया जिसमें प्रदेश के ई-अपशिष्ट रिसाईक्लर, बल्क कंज्यूमर, सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्थाओं, उद्योग, बैंक आदि के 100 से अधिक



प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग कार्यशाला को सम्बोधित करते हुये

प्रतिनिधि उपस्थित हुये। इस कार्यशाला का शुभारम्भ प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा किया गया। यह नियम सभी बल्क कंज्यूमर, ई-उत्पाद ईकाइयां, कलेक्शन सेंटर, डिस्मेंटलर तथा रिसाईक्लर पर लागू है। ई-अपशिष्ट का पृथक् से प्रबंधन न होने के कारण पर्यावरण पर दुष्प्रभाव होता है।

उत्पाद इकाइयों को ई.पी.आर. योजना के अंतर्गत ई-अपशिष्ट के संग्रहण हेतु कार्यक्रम तैयार करना तथा बल्क कंज्यूमर को नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार डिस्पोजल करना आवश्यक है। कार्यशाला में ई-वेस्ट विशेषज्ञों द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभिन्न स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी व ई-वेस्ट के पर्यावरणीय प्रबंधन की जानकारी दी गई।

भोपाल विज्ञान मेला

09 फरवरी से 12 फरवरी 2018 को बी.एच.ई.एल. दशहरा मैदान में आयोजित भोपाल विज्ञान मेले में पर्यावरण जन-जागृति हेतु भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिसमें जल नमूनों का परीक्षण का प्रयोग छात्र-छात्राओं तथा आने वाले नागरिकों को समझाया गया। प्रदर्शनी में बोर्ड के गतिविधियों विषयक पोस्टर, मॉडल, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम एवं नर्मदा नदी में जल प्रदूषण की रोकथाम संबंधी विषयों पर भी जानकारी दी गई।



दिनांक 12.02.18 को विज्ञान मेले में बोर्ड की प्रदर्शनी

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत कार्यशाला का आयोजन

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अन्तर्गत कार्यशाला का आयोजन दिनांक 26/03/2018 को झील संरक्षण प्राधिकरण के सभागार में किया गया। कार्यशाला में प्लास्टिक के निर्माता, पुनर्चक्रीकरण करने वाले व उत्पादक तथा ब्राण्ड ओनर के 100 से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक वेस्ट का नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ प्रबंधन किया जाता है यह वेस्ट कई वर्षों तक पर्यावरण में विद्यमान रह सकता है जिसके कारण शहरों, समुद्र व अन्य जल स्रोतों में इसकी उपस्थिति रहती है। इसका प्रबंधन एक जटिल समस्या है तथा भारत सरकार द्वारा जारी नये नियमों के अन्तर्गत उपरोक्त सभी उद्योगों को राज्य बोर्ड से पंजीयन प्राप्त करना आवश्यक है तथा उत्पादक तथा ब्राण्ड ओनर को विस्तारित उत्पादक दायित्व (ई.पी.आर.) योजना के अन्तर्गत प्लास्टिक वेस्ट संग्रहण हेतु कार्यक्रम तैयार करने का प्रावधान किया गया है। कार्यशाला के दौरान उपस्थित हुए सभी स्टैक होल्डर्स को नियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया एवं उसके अनुरूप कार्यवाही हेतु जागरूक किया गया।



दिनांक 26.03.18 को अपशिष्ट प्लास्टिक विषय पर आयोजित कार्यशाला में उपस्थित स्टैकहोल्डर्स एवं प्रतिभागी

इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा प्रचार-प्रसार

- मई 2017 में राज्य शासन द्वारा पॉलिथीन कैंरी बैग के उपयोग पर प्रतिबंध के वृहद प्रचार-प्रसार हेतु एफ एम रेडियो माध्यम से संदेश का प्रसारण किया गया।
- दिसम्बर 2017 में वायु प्रदूषण के कारण फौग की स्थिति के परिदृश्य में आम जनों को सुरक्षित कदम उठायें जाने बाबत एक संदेश का प्रसारण प्रदेश स्तर पर एफ एम रेडियो के माध्यम से किया गया।
- ई-वेस्ट के संशोधित नियम के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु बोर्ड द्वारा 2 मिनट की डाक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया है जिसका प्रदर्शन बोर्ड की प्रदर्शनी तथा अन्य आयोजनों में किया जा रहा है।

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 04 एवं 05 जून 2017 को टी.टी.नगर स्टेडियम भोपाल में पर्यावरण जनजागरूकता प्रदर्शनी एवं विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा विभिन्न स्कूलों में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया साथ ही स्टेडियम में प्रशिक्षणार्थ बच्चों द्वारा मलखम्ब एवं एरोबिक्स के माध्यम से स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ पर्यावरण पर अपनी प्रस्तुती दी गई।
- 31/08/2017 को गणेश चतुर्थी पर्व के समय तथा 06/09/2017 को नव दुर्गा पर्व के समय ईको फ्रेंडली रूप से मूर्ति विसर्जन का कार्य करवाने संबंधी प्रचार-प्रसार होशंगाबाद, शाहगंज तथा बुधनी में किया गया।
- दिनांक 16/09/2017 को "वर्ल्ड ओजोन डे" पर कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया गया जिसमें संबंधित उद्योग प्रतिनिधियों को जागरूक किया गया।
- नर्मदा सेवा मिशन के अन्तर्गत बुधनी, होशंगाबाद शहर में 24/11/2017 को स्कूली छात्रों के साथ प्रदूषण मुक्ति एवं जन-जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- दिनांक 30/11/2017 एवं 07/12/2017 को होशंगाबाद एवं हरदा शहर में प्लास्टिक कैंरी बैग प्रतिबंध के संबंध में जन-जागृति कार्यक्रम एवं पॉलिथीन जब्ती अभियान चलाया गया।
- दिनांक 11/12/2017 को Waste Management for suitable growth & Investment Opportunities in M.P. विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला भोपाल में आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति स्टेक होल्डर को जागरूक किया गया।

- दिनांक 22/12/2017 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, जिसमें क्षेत्र के सभी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को नियमों की जानकारी से अवगत कराया गया तथा तदनुसार कार्यवाही हेतु जागरूक किया गया।
- दिनांक 29/12/2017 को जल एवं वायु अधिनियम एवं परिसंकटमय अपशिष्ट नियम से संबंधित कार्यशाला का आयोजन मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र में किया गया। कार्यशाला में उपस्थित उद्योग प्रतिनिधियों को नियमों की जानकारी से अवगत कराया गया तथा तदनुसार कार्यवाही हेतु जागरूक किया गया।
- दिनांक 13/01/2018 को बुधनी में जन-जागृति अभियान कॉलेज के छात्रों के साथ चलाया गया। दिनांक 14/01/2018 को मकर संक्रान्ति के पर्व पर होशंगाबाद में जन-जागरूकता कार्यक्रम तथा घाटों की साफ-सफाई हेतु अभियान चलाया गया।
- दिनांक 02/02/2018 को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें क्षेत्र के नर्सिंग होम एसोसियेशन के प्रतिनिधि तथा कामन वायोमेडिकल डिस्पोजल फेसिलिटिज के प्रतिनिधियों को नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया।



दिनांक 22.12.2017 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 विषय पर आयोजित कार्यशाला

क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर

- दिनांक 5 जून 2017 को इन्दौर एवं पीथमपुर जिला धार के स्कूली बच्चों एवं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेन्टर, इन्दौर में 'लोगों को प्रकृति से जोड़े तथा पर्यावरण संरक्षण' विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता एवं स्लोगन स्पर्धा का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 300 प्रतियोगियों ने भाग लिया।
- दिनांक 5 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में इन्दौर में पोलोग्राउन्ड स्थित मेसर्स ईप्का लेबोरेट्रीज में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा स्कूली बच्चों को जूट के बैग वितरित किये गये।
- दिनांक 09.08.2017 को "मूर्ति विसर्जन से होने वाले जल प्रदूषण की रोकथाम" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला इन्दौर में आयोजित की गई।
- दिनांक 31 अगस्त 2017 को गणेश उत्सव के दौरान मूर्ति विसर्जन के संबंध में नगर परिषद मण्डलेश्वर एवं महेश्वर के साथ संयुक्त रूप से नगर में गणेश उत्सव समितियों व आम नागरिकों को जन जागरूकता के उद्देश्य से मूर्ति विसर्जन के लिए नगर परिषद द्वारा बनाये गये अस्थायी कुण्ड में मूर्तियों का विसर्जन करने संबंधी समझाईश दी गई व पम्पलेट वितरित किये गये।
- दिनांक 17/01/2018 को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 निर्माण एवं विध्वंस नियम, 2016 से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया।



दिनांक 17.01.18 को निर्माण एवं विध्वंस नियम, 2016 पर आयोजित कार्यशाला

क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर

- विश्व पर्यावरण दिवस 2017 के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला एवं बालाघाट में जन-जागृति रैली का आयोजन किया गया। जबलपुर में 'नर्मदा संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण' विषय पर एक संगोष्ठी, चित्रकला प्रतियोगिता, निःशुल्क वाहन उत्सर्जन मापन शिविर का आयोजन किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर द्वारा दिनांक 02/08/2017 को इंडियन काफी हाउस जबलपुर में मूर्ति निर्माण एवं विसर्जन हेतु पर्यावरणीय प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजन किया गया। कार्यशाला में शहर के मूर्तिकार, नगर निगम जबलपुर एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला में मिट्टी की मूर्तियों के निर्माण करने एवं उनमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया गया।
- दिनांक 14/01/2018 को मकर संक्रांति एवं दिनांक 24/01/2018 को नर्मदा जयंती के दौरान नर्मदा तट रपटाघाट जिला मंडला, ग्वारीघाट, तिलवाराघाट जबलपुर, सरस्वतीघाट भेडाघाट एवं बरमानघाट जिला नरसिंहपुर में आयोजित मेलों के दौरान नर्मदा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु जनजागृति बाबत प्रदर्शनी लगाई गई एवं पोस्टर, पंपलेट बाँटकर तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में आम जनता को जागरूक किया गया। मेला के दौरान नर्मदा नदी के जल गुणवत्ता की जाँच हेतु नमूने संग्रहित किये गये।
- दिनांक 26/02/2018 को क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर एवं International Institute of Waste Management (IIWM), Bhopal के संयुक्त तत्वाधान में "Capacity Building Programme on Environmental Impact of Mining and its Remedial Measures" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें माइनिंग के उचित प्रबंधन एवं टेलिंग के डिस्पोजल हेतु व्यवस्था करने की विस्तृत जानकारी दी गई।



5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनजागृति रैली

क्षेत्रीय कार्यालय, धार एवं पीथमपुर

- विश्व पर्यावरण दिवस 2017 के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, धार द्वारा पर्यावरण जनजागृति रैली का आयोजन किया गया साथ ही वृक्षारोपण कार्य किया गया। म.प्र.शासन द्वारा पॉलीथीन बैग के संबंध में जारी किये गये आदेश दिनांक 24/05/2017 के क्रियान्वयन को गति देने हेतु शासकीय विभागों एवं संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिये गये तथा अन्य वृहद/मध्यम एवं लघु उद्योगों में वृक्षारोपण का कार्य कराया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नदी/तालाबों के शुद्धिकरण हेतु जन-जागृति अभियान के तहत मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु मूर्तिकारों व नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विशेषज्ञों द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों के परिपालन की समझाईश दी गई। क्षेत्र की अधिकांश निकायों द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु लाईनिंग युक्त पृथक पॉड की स्थापना का कार्य कर मूर्ति विसर्जन से जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु कार्यवाही की गई।
- नर्मदा सेवा मिशन अंतर्गत नर्मदा नदी के छः घाटों पर जल मॉनिटरिंग का कार्य तथा घाटों पर जनजागृति हेतु समय-समय पर प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित पेम्पलेट वितरण कार्य किया गया। घाटों पर नर्मदा नदी के संरक्षण संबंधी स्लोगन की वाल राईटिंग कराई गई एवं साईन बोर्ड लगाये गये। अभियान के तहत म.प्र.शासन के पॉलीथीन को प्रतिबंधित किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 24/05/2017 की जानकारी दी गई।



दिनांक 05 जून 2017 को धार में आयोजित जन-जागृति रैली

क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन

- 05 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न जिलों में जन-जागृति, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला व वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ, वृक्षारोपण, साईकिल रैली, वाहन मॉनिटरिंग व संगोष्ठी आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रमों में प्लास्टिक थैलियों के विकल्प के रूप में कपड़े की थैलियाँ भेंट की गईं साथ ही उपस्थित अतिथियों व गणमान्य नागरिकों को पर्यावरण के संरक्षण हेतु एक संकल्प भी दिलवाया गया।
- प्लास्टिक की थैलियों का प्रचलन रोकने हेतु समय-समय पर जन-जागृति का कार्यक्रम संपादित किया गया।
- गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा पर पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जन-जागृति बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न जिला मुख्यालयों में एन.जी.टी. द्वारा मूर्ति विसर्जन हेतु दिये गये निर्देशों के तहत नगरीय निकायों को सी.पी.सी.बी. गाईडलाइन अनुसार व्यवस्था करने बाबत उज्जैन में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एन.जी.ओ., मूर्तिकार, नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे।
- दीपावली पर्व के दौरान अधिक ध्वनि वाले पटाखे पर प्रतिबंध के संबंध में प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने हेतु जन-जागरूकता संबंधी कार्य तथा ध्वनि/परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग की गई।



5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उज्जैन में रैली

क्षेत्रीय कार्यालय सागर

- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, सागर सिविल लाईन चौराहा में पर्यावरण जन-जागरूकता कार्यक्रम के तहत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया साथ ही वाहन प्रदूषण मापन, प्लास्टिक कैंरी बैग के प्रतिबंध के संबंध में जन-मानस को पम्पलेट्स व बैनर के माध्यम से अवगत कराया गया।
- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के मान. सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, मा. विधायक श्री शैलेन्द्र जैन एवं मान. अध्यक्ष नगर-निगम, सागर श्री राजबहादुर सिंह द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया गया।
- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नेशनल मीडिया फाऊण्डेशन के साथ "जल एवं पर्यावरण संरक्षण में मीडिया की भूमिका" विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
- दिनांक 16/08/2017 को गणेश/दुर्गा उत्सव के दौरान जल स्रोतों में मूर्ति विसर्जन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण हेतु मूर्तिकारों के साथ कार्यालय के सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया।



05 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सागर में आयोजित जन-जागरूकता कार्यक्रम

क्षेत्रीय कार्यालय शहडोल

- दिनांक 05.06.2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में पर्यावरण जन-जागरूकता कार्यक्रम के तहत संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाहन प्रदूषण मापन, प्लास्टिक कूड़ा बैग के प्रतिबंध के संबंध में जन-मानस को पैम्पलेट्स, बैनर के माध्यम से अवगत कराया गया।
- दिनांक 18/08/2017 को शहडोल में मूर्ति विसर्जन के संबंध में कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- दिनांक 19/09/2017 को अमरकंटक में पर्यावरण जन-जागृती एवं जल प्रदूषण नियंत्रण विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- महाशिवरात्रि पर्व पर अमरकंटक में आयोजित मेले में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जल, वायु एवं ध्वनि गुणवत्ता का मापन किया गया। नर्मदा नदी के उद्गम स्थल एवं विभिन्न सेम्पलिंग बिन्दुओं से जल नमूने एकत्रित कर परीक्षण किया गया। स्थानीय दुकानों में पॉलिथीन की जाँच स्थानीय प्रशासन के सहयोग से की गयी।



05 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन

क्षेत्रीय कार्यालय देवास

- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, देवास द्वारा निःशुल्क वाहन प्रदूषण जाँच शिविर, चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिता, संगोष्ठी, पर्यावरण संरक्षण शपथ के कार्य किये गये।
- 5 जून 2017 को देवास औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- दिनांक 11/08/2017 को, "जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, 2016" के संबंध में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें जिले के नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्यों ने भाग लिया।
- दिनांक 14/10/2017 को, दीपावली पर्व के दौरान पटाखों से होने वाले ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के संबंध में विभिन्न स्कूलों में जन-जागरूकता कार्यक्रम किये गये तथा प्रदूषणमुक्त दीपावली मनाने बाबत आम जनता को प्रेरित किया गया।
- दिनांक 14/01/2018 मकर संक्रान्ति तथा नर्मदा जयंती पर्व के दौरान नेमावर स्थित घाटों की साफ-सफाई हेतु अभियान चलाया गया साथ ही नदी संरक्षण से संबंधित पोस्टर, बैनर के माध्यम से जन-जागरूकता कार्यक्रम किये गये।
- प्लास्टिक कूड़ा बैग के उपयोग को रोकने हेतु स्थानीय निकायों के सहयोग से छापामार कार्यवाही की गई।



दिनांक 14.01.18 को मकर संक्रान्ति के अवसर पर नेमावर स्थित घाटों की साफ-सफाई अभियान

क्षेत्रीय कार्यालय रीवा

- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रीवा शहर में परिवेशीय वायु गुणवत्ता, ध्वनिस्तर मापन, पॉलीथीन से संबंधित जागरूकता पम्पलेट्स वितरण किया गया। एन.जी.ओ. के साथ जन-जागरण, संगोष्ठी, वृक्षारोपण एवं रैली का आयोजन भी किया गया जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक, स्कूली छात्र-छात्राएं, पर्यावरण प्रेमी एवं पत्रकार गण द्वारा सहभागिता दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री उद्योग एवं व्यापार म.प्र. शासन एवं जिलाध्यक्ष रीवा द्वारा विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया जाकर सम्बोधित किया गया, इसके उपरांत पर्यावरण जन-जागरण रैली शहर के पीलीकोठी से प्रमुख बाजार से होते हुए निकाली गई।
- दिनांक 24.08.2017 को, मूर्ति विसर्जन से प्राकृतिक जलाशयों के क्षरण एवं प्रदूषण से बचाने हेतु कार्यशाला एवं जनजागरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री के.के. पाण्डेय, समस्त नगरीय निकायों के प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया गया।
- दिनांक 15.08.2017 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संगोष्ठी, अंतर विद्यालयीन एवं अंतर महाविद्यालयीन निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
- दिनांक 25.10.17 को दीपावली के अवसर पर पटाखों के होने वाले प्रदूषण नियंत्रण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई।



दिनांक 25.10.17 रीवा में दीपावली के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण नियंत्रण हेतु आयोजित कार्यशाला

क्षेत्रीय कार्यालय छिन्दवाड़ा

- 5 जून 2017 को विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में पॉलीथीन मुक्त छिन्दवाड़ा मुहिम को प्रारम्भ किया गया। नगर-निगम, छिन्दवाड़ा एवं बोर्ड की संयुक्त कार्यवाही के तहत वेस्ट पॉलीथीन एकत्रिकरण का कार्य संपादित कराया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें मा. केन्द्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे।
- औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव में वृक्षारोपण का कार्य एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज के साथ किया गया।
- पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्कूली छात्र-छात्राओं की चित्रकला प्रतियोगिता की गई तथा विजेता छात्रों को पुरस्कार वितरण किया गया।
- गणेश/दुर्गा उत्सव के दौरान छिन्दवाड़ा एवं समस्त तहसीलों में प्राकृतिक जल स्रोतों में मूर्तियों एवं पूजा सामग्री का विसर्जन नहीं करने हेतु जन-जागरण कार्य किया गया तथा पृथक से मूर्ति विसर्जन के कुण्ड का निर्माण कराया गया।
- दीपावली पर्व के दौरान समाचार-पत्रों के माध्यम से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में तथा प्रदूषणमुक्त दीपावली मनाने हेतु जनजागरूकता संबंधी कार्य किया गया।



दिनांक 05 जून 2017 को छिन्दवाड़ा में आयोजित जन-जागृति रैली

क्षेत्रीय कार्यालय सिंगरौली

- 05 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता, वृक्षारोपण तथा संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें पेम्पलेट वितरण, बैनर, पर्यावरण रथ भ्रमण आदि से जन सामान्य को पर्यावरण संरक्षण संबंधित एवं पॉलिथीन उपयोग सीमित करने बावत् जानकारी प्रदान की गई। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक श्री रामलल्लू वैश्य तथा महापौर श्रीमती प्रेमवती खैरवार भी उपस्थित रहे।
- दिनांक 17.07.2017 को सिंगरौली में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 पर 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- गणेश उत्सव के दौरान ईको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण करने हेतु तथा मूर्तियों के जल स्रोतों में विसर्जन करने से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में जनजागरूकता हेतु एक द्विविधायी कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- दीपावली पर्व के दौरान समाचार-पत्रों के माध्यम से अधिक ध्वनि वाले पटाखों पर प्रतिबंध के संबंध में तथा प्रदूषणमुक्त दीपावली मनाने हेतु जनजागरूकता संबंधी कार्य किया गया।



5 जून 2017 को पर्यावरण दिवस पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम

क्षेत्रीय कार्यालय सतना

- विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सतना में एक मैराथन दौड़, चित्रकला प्रतियोगिता, पर्यावरण संगोष्ठी, वाहन मॉनिटरिंग का आयोजन किया गया।
- दिनांक 18/08/2017 को गणेश/दुर्गा उत्सव पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ईकोफ्रेडली मूर्ति निर्माण तथा सुरक्षित पर्यावरणीय विसर्जन की जानकारी दी गई।
- दिनांक 15/11/2017 को दूषित जल उपचार संयंत्र विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग प्रतिनिधियों को नवीन तकनीकी की जानकारी दी गई।
- दिनांक 04/12/2017 को प्लास्टिक नियम के संबंध में प्लास्टिक विक्रेता संघ के साथ एक संगोष्ठी की गई, जिसमें नये नियमों की जानकारी से अवगत कराया गया।
- दिनांक 23/03/2018 को क्षेत्रीय कार्यालय, सतना को ISO 9001 एवं ISO 14001 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ।
- दिनांक 28/03/2018 को ई-वेस्ट प्रबंधन नियम, 2016 पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालय, सतना को स्वच्छता के क्षेत्र में नगर पालिक निगम, सतना द्वारा प्रथम पुरूस्कार दिया गया।



दिनांक 18.08.17 को मूर्ति विसर्जन विषय पर आयोजित कार्यशाला

क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर

- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रम दिनांक 02-06 जून 2017 तक कराये गये। 5 जून 2017 को एक रैली का आयोजन किया गया जिसमें जनप्रतिधि, महापौर ग्वालियर तथा उद्योगों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक चित्रकला एवं स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कार वितरण किये गये।
- दिनांक 08/09/2017 को "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016" के क्रियान्वयन हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय प्लास्टिक निर्माता उद्योग प्रतिनिधि द्वारा भाग लिया गया। कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिनिधियों को नियम के प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा तदनुसार कार्यवाही हेतु जागरूक किया गया।
- गणेश/दुर्गा उत्सव के दौरान क्षेत्र में मूर्तियों के विसर्जन एवं पूजा सामग्री से प्राकृतिक जल स्रोतों को होने वाले दुष्प्रभावों से जन सामान्य को जागरूक किया गया।



दिनांक 05 जून 2017 को ग्वालियर में आयोजित जन-जागृति रैली

क्षेत्रीय कार्यालय कटनी

- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, कटनी द्वारा जन-जागृति कार्यक्रम व वृक्षारोपण संबंधी कार्य कराया गया।
- दिनांक 17/08/2017 को गणेश/दुर्गा उत्सव के दौरान मूर्ति निर्माण एवं विसर्जन करने के होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में जनजागरूकता हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा क्षेत्र के स्थानीय निकायों में विसर्जन कुण्ड की स्थापना की गई।
- दिनांक 24/03/2018 को "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016" विषय पर नगरीय निकायों के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का आयोजन किया।
- दिनांक 27/03/2018 को "जीव चिकित्सा प्रबंधन नियम, 2016" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें उपस्थित क्षेत्र के नर्सिंग होम, अस्पतालों के प्रतिनिधियों को नियमों के प्रावधानों से अवगत कराया गया तथा उसके अनुरूप कार्यवाही हेतु जागरूक किया गया।



दिनांक 24.03.18 को कटनी में ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 पर आयोजित कार्यशाला

क्षेत्रीय कार्यालय गुना

- 5 जून 2017 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर क्षेत्रीय कार्यालय, गुना शहर में शास्त्री पार्क से नगर-पालिका गुना तक पर्यावरण जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें गुना जिले के जनप्रतिनिधि, नगर पालिका अध्यक्ष, उद्योग प्रतिनिधि, अस्पतालों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
- दिनांक 30/05/2017 को अशोक नगर, नगर पालिका में जिला प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से पॉलीथीन कैंरी बैग ज्वती संबंधी कार्यवाही की गई साथ ही पम्पलेट वितरण कर जागरूकता कार्यक्रम किया गया।
- दिनांक 01 से 07/06/2017 तक क्षेत्र में वाहन मॉनिटरिंग, परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग संबंधी कार्य किये गये।
- दिनांक 03/06/2017 को इंडियन ऑयल परिसर राघौगढ़ क्षेत्र में दिनांक 04/06/2017 को गेल परिसर, विजयपुर में तथा दिनांक 06/06/2017 को पीलूखेड़ी जिला राजगढ़ में वृक्षारोपण कार्य किया गया।



विश्व पर्यावरण दिवस 2017 के अवसर पर पीलूखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम

9. पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण दायर किये गये :-

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|---|---|
| 1 | में. नाहर स्पिनिंग मिल (यूनिट-1) ग्राम सिमराई तह. गोहरगंज जिला रायसेन | 819/17 24/06/2017 | जल अधिनियम की धारा 24(1) एवं 43 | जल प्रदूषण फैलाने के कारण। |
| 2 | में. नाहर स्पिनिंग मिल (यूनिट-2) ग्राम सिमराई तह. गोहरगंज जिला रायसेन | 820/17 24/06/2017 | जल अधिनियम की धारा 24(1) एवं 43 | जल प्रदूषण फैलाने के कारण। |
| 3 | सिविल सर्जन सह अधीक्षक जिला रायसेन | 29/11/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 4 | शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र औबेदुल्लागंज जिला रायसेन | 29/11/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 5 | शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मंडीदीप जिला रायसेन | 29/11/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 6 | मे0 सुरजीत हुण्डई व्हीकल वर्कशाप फर्म का नाम मे. इशान ऑटोकार्प इंडिया एलएलपी 30-31 अमलतास कॉलोनी चूना भट्टी कोलार रोड धोपाल | 26/08/2017 | जल अधिनियम की धारा 25,44, एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा 21,37, एवं 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|
| 7 | हमौदिया हास्पिटल, भोपाल | 10/11/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 8 | शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गांधी नगर भोपाल | 10/11/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 9 | जिला आयुर्वेदिक हास्पिटल शिवाजी नगर भोपाल | 10/11/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 10 | टी.बी हास्पिटल ईदगाह हिल्स भोपाल | 10/11/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 11 | ई.एस.आई हास्पिटल रायसेन रोड भोपाल | 10/11/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 12 | मे. श्रेष्ठा ऑटोमोटी प्रा. लि प्लॉट न. 06 अशोका गार्डन नियर प्रभात पेट्रोल पंप भोपाल | 08/02/2018 | जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 13 | में. दीपक फास्टनर्स प्रा0लि. ग्राम खोकरी 466001 जिला सीहोर | 15/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24, 25, 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 14 | में. अल्फा प्रोटिन्स ग्राम भाउखेडी तह0 इछावर जिला सीहोर | 07/09/2017 | जल अधिनियम की धारा 25, 47 | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करण एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 15 | जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद | 14/11/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|---|--|
| 16 | जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर | 14/11/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 17 | जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा | 1372/17 21/11/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 18 | मेसर्स एवरेस्ट इण्डस्ट्रीज लि.कैमोर जिला-कटनी | 1873/17 16/06/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 41, 43, 44 तथा 47 | सम्मति शर्तों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 19 | मे. सचिन गुप्ता लैटराइट एवं फायर क्ले माइन ग्राम-धौरा तह. विजयराभवगढ़ जिला कटनी माइनस रकवा 5.00 हेक्टे | 23/03/2018 | वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 | बोर्ड द्वारा जारी जल/वायु सम्मति शर्तों में उल्लेखित क्षमता से अधिक उत्खनन करने के कारण। |
| 20 | मे. ऋषभ इंटरप्राइजेस रतलाम | 1572/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 21 | श्रीमती गजेन्द्र कुर्वर ग्राम सुनेरा जिला रतलाम | 1576/17 | वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 की धारा 37 व 47 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 22 | मे. ज्योति इंडस्ट्रीज रतलाम | 1577/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 23 | मे. अंबिका साल्वेक्स लि.जावरा जिला रतलाम | 2170/17 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|---|--|
| 24 | मे. एकता प्रिन्टर्स भैरवगढ़ उज्जैन | 7/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 व 47 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 25 | मे. फारूख स्क्रीन प्रिंटर्स भैरवगढ़ उज्जैन | 8/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 व 47 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 26 | मे. प्रवीण इंडस्ट्रीज उज्जैन | 9/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 27 | मे. हेमंत इंडस्ट्रीज उज्जैन | 10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 47 के अंतर्गत | जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 28 | मे. शिवम मल्टीप्लास्ट औ.क्षे. जिला उज्जैन | 6244/17 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 29 | मे. जगदीश धूलजी जाट, ग्राम शंकरपुर जिला उज्जैन | 6245/17 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 30 | मे. आर.के इंडस्ट्रीज (फूड प्रोसेसिंग यूनिट) औ. क्षे. उज्जैन | 6246/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 44 के अंतर्गत | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 31 | श्री जितेन्द्र सिंह आत्माराम पटेल ग्राम लेकोडा, अंजना | 6247/17 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 32 | मे. समन इंटरप्राइजेस, ग्राम मकला जिला उज्जैन | 6248/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 44 व 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा-37 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 33 | मे. यूनिक ड्रग्स लेबोरेटरीज इंडिया हर्बल डिवीजन औ.क्षे. उज्जैन | 6249/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|---------------------------------|---|---|
| 34 | श्री रामेश्वर चौधरी, ग्राम जयवंतपुर जिला उज्जैन | 6250/17 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत | सम्मति नवीनीकरण के बिना उद्योग संचालन करने एवं सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 35 | मे. जीत पैकेजिंग (प्लास्टिक यूनिट) औ. शे. मक्सी रोड उज्जैन | 6251/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा, 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के अंतर्गत | जल/वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 36 | मे. लेन्सेस इंडिया प्रा.लि. बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन | 4903/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 ए के अंतर्गत | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 37 | मे. ग्रेसिम इंड लि. (स्टेपल फाईबर डिवाजन) बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन | 4870/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 व ,47 के अंतर्गत | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 38 | मे. ग्रेसिम इंड लि. (कैमिकल डिवाजन) बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन | 4877/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 व ,47 के अंतर्गत | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 39 | मेसर्स राजाराम एण्ड बर्दस महु नीमच रोड मंदसौर | एम.पी 14-01001659/18 | जल अधिनियम 1974 की धारा 43,44 के अंतर्गत | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 40 | मे. अमृत रिफायनरी मंदसौर | एम.पी 14-01008875/17 | जल अधिनियम की धारा 1974 के 33,44 के अंतर्गत | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 41 | मे. राजाराम एंड बर्दस महु- नीमच रोड मंदसौर | सी.एन. आर.एम.पी 14- 01008875/17 | जल अधिनियम की धारा 1974 के 33,44 के अंतर्गत | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 42 | अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, एन.सी.एल पंजरे भवन सिंगरौली म. प्र एवं अन्य 11 | 1211/2017 - 13/10/17 | वायु अधिनियम, 1981 की धारा 37 व 38 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 43 | मेसस ग्रेट मैलियन लि. धार | 964/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25,44 व 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 39 | बोर्ड की वैध सम्मति प्राप्त किये बिना पेट बाटल प्लांट व बॉयलर स्थापित करने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|---|---|
| 44 | मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बदनावर धार | 20/09/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 45 | मेसर्स भोज चिकित्सालय धार | 22/09/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 46 | मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंधवानी धार | 27/09/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 47 | मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनावर धार | 27/09/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 48 | कैथोलिक हास्पिटल धानी धामनौद धार | 5/10/2017 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 49 | मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धामनौद धार | 5/10/2017 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 50 | मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरमपुरी | 20/11/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 51 | मेसर्स राजेन्द्रगुरु हास्पिटल राजगढ़ धार | 16/2018 03/01/18 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|---|---|
| 52 | मेसर्स सर्वोत्तम पैथालॉजी धार | 16/2018 03/01/18 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 53 | मेसर्स आनन्द हास्पिटल धार | 17/2018 03/01/18 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 54 | मेसर्स नोबल हास्पिटल धार | 18/2018 03/01/18 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 55 | मेसर्स लेखी हास्पिटल पीथमपुर धार | 19/2018 03/01/18 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 56 | मेसर्स प्रायमरी हेल्थ सेंटर राजगढ़ धार | 22/09/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 57 | मेसर्स मालवीय मेसर्स मालवीय चिकित्सालय धामनौद धार | 19/2018 22/09/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार नवीनीकरण प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण |
| 58 | मेसर्स इम्पैक्स कमर्शियल प्रा.लि. महू-नीमच रोड लेबड-घाटाबिल्लीद धार | 294/18 15/03/18 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21,37 एवं 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 59 | मेसर्स टूट केमिकल इण्ड.मेघनगर झाबुआ | 717/17 29/04/17 | जल अधिनियम की धारा 25 एवं वायु अधिनियम की धारा 21 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 60 | मेसर्स आदित्य इन्टर प्राईजेज मेघनगर झाबुआ | 4/3/17 | जल अधिनियम की धारा 24,25,26,42,43,44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|---|---|
| 61 | मेसर्स जिला चिकित्सालय झाबुआ | 22/9/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 62 | मेसर्स बदावाला क्लिनिक झाबुआ | 19/18 04/01/18 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं सहपठित धारा-17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 63 | मेसर्स ओम शिव फूड, लोहगढ़, डबरा, म्वालियर | 1/9/2017 | जल अधिनियम की धारा 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 64 | मेसर्स गुप्ता सॉल्वेंट प्रा. लि. ग्राम हिंगोनाखुर्द मुरैना | 198/17 24/7/17 | जल अधिनियम की धारा 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 65 | मेसर्स कामतानाथ फूड प्राइवेट्स प्रा. लि. लोहगढ़ डबरा | 13/11/17 | जल अधिनियम की धारा 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 66 | मेसर्स पार्वती स्वीटनर एवं पॉवर लि. ग्राम सांखनी भितरवार | 13/12/17 | जल अधिनियम की धारा 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 37 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 67 | मेसर्स हिन्द सिन्टेक्स लि. पीलूखेडी, राजगढ़ | 593/17 27/06/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 व 41 (2) एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 68 | मेसर्स भोपाल ग्लू एवं केमिकल्स प्रा. लि. पीलूखेडी | 594/17 27/06/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 व 41 (2) एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 69 | मेसर्स वेटनरी हॉस्पिटल, शाजापुर | 975/17 22/12/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 19 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियम 2016 के उल्लंघन के कारण। |
| 70 | मेसर्स बसल पाईप्स इण्डस्ट्रीज शाजापुर | 996/17 22/12/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 47 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|---|--|
| 71 | मेसर्स दुग्ध शीत केन्द्र शाजापुर | 997/17 22/12/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 47 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 72 | मेसर्स सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पालायकला | 22/12/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 47 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 73 | मेसर्स सिविल हॉस्पिटल शुजालपुर | 22/12/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 47 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 74 | मेसर्स राज पायोनियर लेबोरेटरीज इण्डिया प्रा. लि. देवास | 2626/17 29/12/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 33 व 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 47 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 75 | मेसर्स नगर परिषद पोलायकला शाजापुर | 1581/17 22/12/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 19 | नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियमों के उल्लंघन के कारण। |
| 76 | मेसर्स नगर परिषद अकोदिया शाजापुर | 1582/17 22/12/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 19 | नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियमों के उल्लंघन के कारण। |
| 77 | मेसर्स नगर पालिका परिषद शुजालपुर | 1583/17 22/12/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 19 | नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हथालन नियमों के उल्लंघन के कारण। |
| 78 | मेसर्स कपोरो टयूब इ. लि. देवास | 10532/18 13/03/18 | सीआरपीपी 378 | जल/वायु सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण। |
| 79 | मेसर्स विमला स्टील्स पीथमपुर | 4/09/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 80 | मेसर्स रेजीन एण्ड पिगमेंट्स पीथमपुर | 4/09/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 81 | मेसर्स भगवान मोटर्स प्रा. लि. पीथमपुर | 4/09/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|--|---|
| 82 | मे. मेकीन लेबोरेटरीज प्रा.लि. | 4/09/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 83 | मेसर्स रोकमेट बिग्स पीथमपुर | 2723/17 14/09/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 84 | मेसर्स सुप्रीम इंजिनियरिंग वर्क्स पीथमपुर | 2721/17 14/09/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 85 | मेसर्स पी.एस. केमशाफ्टस प्रा.लि. पीथमपुर | 2720/17 14/09/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 86 | मेसर्स बी.एल.एफ पाँलीमर्स प्रा.लि. पीथमपुर | 2722/17 14/09/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 87 | मेसर्स इन्डस टेक्नोलाजी पीथमपुर | 2719/17 14/09/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 88 | मेसर्स डी.जे.लेबोरेटरीज प्रा.लि.पीथमपुर | 2724/17 14/09/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 89 | मेसर्स स्वास्तिक इंडस्ट्रीज गुरुद्वारा रोड वुरहानपुर | 2724/17 14/09/17 | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 व 16 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 90 | अक्षत गार्डन, इन्दौर | 3832/17 16/02/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 91 | ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, इन्दौर | 17634/ 17 04/04/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 41 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|---|---|
| 92 | एम.वाय. हास्पिटल, इन्दौर | 69511/17 23/08/2017 | पर्या. संरक्षण अधि. की धारा 15 व 17 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 93 | इंटेक्स मेडिकल हास्पिटल, इन्दौर | 69507/17 23/08/2017 | पर्या. संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 94 | मयूर हास्पिटल, इन्दौर | 70992/17 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 95 | गर्वनमेंट पोली क्लिनिक, मल्हारगंज, इन्दौर | 70998/17 | पर्या. संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 96 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिचौली हप्सी, इन्दौर | 70998/17 | पर्या. संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 97 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कनाड़िया, इन्दौर | 70990/17 | पर्या. संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 98 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंद्रावतीगंज, इन्दौर | 70985/17 29/08/2017 | पर्या. संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 99 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमनाला, खरगोन | 24/08/2017 | पर्या. संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 100 | प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेड़िया, खरगोन | 24/08/2017 | पर्या. संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|---|--|
| 101 | कम्प्यूनिटी स्वास्थ्य केन्द्र बेटमा, इन्दौर | 70988/17 28/08/2017 | पर्या. संरक्षण अधि० की धारा 15 व 16 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किए अस्पताल संचालन के कारण। |
| 102 | श्री शिवा मार्बल, गंगादेवी नगर, इन्दौर | 68422/17 18/08/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 103 | श्री महादेव मार्बल, मुखदेव नगर, इन्दौर | 68401/17 18/08/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 104 | सागर टायर सर्विस, मैकेनिक नगर, इन्दौर | 68423/17 18/08/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 105 | न्यू मद्रास टायर्स, गुरूनानक मार्केट, इन्दौर | 37305/17 24/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 106 | महादेव जिनिंग फैक्ट्री, करही, खरगोन | 24/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 107 | लकी टायर सर्विस, मैकेनिक नगर, इन्दौर | 37312/17 24/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 108 | टेल्को जिनिंग एंड आईल मिल, भीकनगांव, खरगोन | 24/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 109 | अबिल हेल्थ केयर प्रा. लि., पालडा, नेमावर रोड, इन्दौर | 37315/17 24/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 110 | हरयाणा टायर सर्विस, गुरूनानक मार्केट, इन्दौर | 37318/17 24/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 37, 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|---|---|
| 111 | शिव ट्यूब मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी, औ.क्षे., सांवेर रोड़, इन्दौर | 36341/17 29/08/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 112 | अथर्व पोलीमर्स, औ.क्षे., सांवेर रोड़, इन्दौर | 36359/17 18/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 113 | विनायक रबर इंडस्ट्रीज, औ.क्षे., सांवेर रोड़, इन्दौर | 36323/17 18/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 114 | खानवलकर इंडस्ट्रीज, औ.क्षे., सांवेर रोड़, इन्दौर | 23315 /17 18/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 115 | एस. कुमार एंड कंपनी, ग्राम-धन्नाड़, देपालपुर | 36306 /17 18/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 116 | कस्तूरी इंडस्ट्रीज, औ.क्षे., निमरानी, खरगोन | 4/9/417 | पर्या. संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 117 | शॉन फार्मास्युटिकल लि. जम्बुरी हप्पी, हातोद रोड़, इन्दौर | 64422/17 18/08/2017 | पर्या. संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 118 | शॉन फार्मास्युटिकल लि. जम्बुरी हप्पी, हातोद रोड़, इन्दौर | 64417/17 18/08/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 119 | टायर लाईफ, 103, मैकेनिक नगर, गुरुनानक मार्केट, इन्दौर | 68421/17 18/08/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 120 | रामदेव मार्बल, शीतल नगर, इन्दौर | 68424/17 18/08/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|---|---|
| 121 | सुविधा टायर सर्विस, गुरुनानक मार्केट, मैकेनिक नगर, इन्दौर | 68413/17 18/08/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 122 | एन.के. इंडस्ट्रीज, टिम्बर मार्केट, इन्दौर | 68418/17 18/08/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 123 | सोनी इलेक्ट्रोप्लेटर्स, भागीरथपुरा, इन्दौर | 70993/17 28/08/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 124 | सन एज फार्मा, आ.क्षे., सांवेर रोड़, इन्दौर | 70995/17 29/08/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 125 | शिव टयूब मेन्युफेक्चरिंग कंपनी, आ.क्षे., सांवेर रोड़, इन्दौर | 71001/17 29/08/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 126 | कारटेक्स इंडस्ट्रीज लेण्डरेटे प्रा. लि., 200/2 लसूलिइयामोरी, इन्दौर | 70986/17 09/12/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 127 | स्वास्तिक इंडस्ट्रीज, गुरुद्वारा रोड़, बुरहानपुर | 1091/17 01/09/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 128 | स्वास्तिक इंडस्ट्रीज, गुरुद्वारा रोड़, बुरहानपुर | 4271/17 24/10/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 15 व 16 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 129 | डी. वेल्यू होम डेवलपर्स प्रा. लि., अरविन्दो हॉस्पिटल के सामने, इन्दौर | 36642/17 21/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण शायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|---------------------------------------|--|
| 130 | सुयश कांस्ट्रक्शन (उत्सव आंगन), छोटा बांगड़दा, इन्दौर | 36659/17 21/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 131 | शिवनेरी साहिल एम्पायर, बिचौली मर्दाना, इन्दौर | 36653/17 10/02/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 132 | स्पेस पार्क, पार्स, कंट रोड, इन्दौर | 36655/17 21/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 133 | साई रॉयल पार्स, कंट रोड, इन्दौर | 36633/17 21/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 134 | पुष्परतन रियेलिटी प्रा. लि., खजुराना, इन्दौर | 36648 21/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 135 | निशदिन ओरा, महालक्ष्मी नगर, पिपल्याकुमार, इन्दौर | 36631/17 21/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 136 | एच.आर.ए. डिजाईन प्रा. लि., ग्राम-भौरासला, इन्दौर | 36646/17 21/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 137 | डी.एन.एस.एल. इंफ्रा लि., पिपल्याकुमार महालक्ष्मीनगर, इन्दौर | 36637/17 21/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 138 | दिलपसंद ग्रीन, बिचौली मर्दाना, इन्दौर | 3577/17 21/07/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 139 | होराईजन ओएसिस ग्रीन, पिपल्याकुमार, इन्दौर | 3937/17 01/08/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 140 | नवजीवन दाल मिल, उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर | 3707/17 22/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|---|--|
| 141 | सचदेवा दाल मिल, पंचकुईया रोड़, इन्दौर | 37096/17 22/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 142 | घनश्याम उद्योग, उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर | 37064/17 22/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 143 | नटराज कार्पोरेशन (जी. डी. ट्रेडर्स) उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर | 3793/17 22/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 144 | मनोज दाल मिल, टी. एस. नवलखा, इन्दौर | 37074/17 22/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 145 | पवन दाल मिल, नवलखा, इन्दौर | 37045/17 22/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 146 | घनश्याम पल्सेस, उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर | 3527/17 18/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 147 | महालक्ष्मी दाल मिल, नवलखा मेन रोड़, इन्दौर | 36379/17 18/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 148 | शिवशंकर पल्स मिल, 30/6, नवलखा, इन्दौर | 37089/17 22/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 149 | अमृत दाल मिल, शंकरबाग, नवलखा, इन्दौर | 37092/17 22/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 150 | दिनेश कुमार गोविन्दलाल, उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर | 37074/17 22/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 151 | रामस्वरूप शिवनारायण गोयल, नवलखा, इन्दौर | 3521/17 17/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|---|--|
| 152 | ओमप्रकाश एंड ब्रदर्स, उद्योग नगर, नवलखा, इन्दौर | 3526/17 18/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 153 | अग्रवाल पल्स एंड पोलीमर्स इंडस्ट्रीज, नवलखा मेनरोड, इन्दौर | 3529/17 17/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 154 | शिवनारायण कन्हैयालाल, नवलखा, इन्दौर | 3663/17 22/07/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 155 | स्वप्निल इंजीनियरिंग एंड एग्रो प्रोडक्ट, पिपल्याराव, इन्दौर | 71642/17 30/08/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 156 | गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स, औ.क्षे.राठ, इन्दौर | 71925/17 01/09/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल /वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 157 | एस.व्ही. टायर एंड ट्रेड, लसूल्डिया मोरी, देवास नाका, इन्दौर | 71915/17 01/09/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 158 | ए.आर. टायर्स सर्विस, मैकेनिक नगर, इन्दौर | 71928/17 01/09/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 159 | सुरेसिल पैकेजिंग प्रा. लि., पिपल्याराव, इन्दौर | 71922/17 01/09/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 160 | कारटेक्स इंडस्ट्रीज लेण्डरेटे प्रा. लि., लसूल्डिया मोरी, इन्दौर | 70986/17 09/12/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 161 | गुरुकृपा पोलीमर्स, उद्योग नगर, पालदा, इन्दौर | 70994/17 29/08/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|---|--|
| 162 | केम्पस पोलीप्लास्ट प्रा. लि., नेमावर रोड़, पालदा, इन्दौर | 70987/17 29/08/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 163 | आयुष इंडस्ट्रीज, नवलखा, इन्दौर | 70991/17 09/12/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 164 | प्रहलाद कॉटन कार्पोरेशन, ग्राम-खेड़ीबुर्जुग, जुलवानिया रोड़, खरगोन | 04/09/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 165 | गुरुनानक जिनिंग फैक्ट्री, ग्राम-गुड़ी, खण्डवा | 31/08/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 166 | आनन्द ट्रेडर्स, स्कीम नं. 54, इन्दौर | 70990/17 29/08/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 167 | परिणय (सतगुरु) रिपोर्ट, 21 मॉल के सामने, इन्दौर | 70989/17 29/08/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 168 | लक्ष्मण गृह निर्माण सहकारी संस्था, खजराना, इन्दौर | 719/17 01/09/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 169 | टेक्समो पाईप एंड प्रोडक्ट लि., बुरहानपुर | 5188/17 27/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 170 | टेक्सटाईल प्रोसेसिंग को-आपरेटिव सोसायटी लि., बुरहानपुर | 5190/17 27/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 171 | इनो फ्लेक्स प्रा. लि. यूनिट-2, सांवेर रोड़, इन्दौर | 382956/17 08/11/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44, 47 एवं वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37, 40 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 172 | आकाश ग्लोबल फूड्स प्रा. लि., कुमेड़ी, इन्दौर | 84591/17 24/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 25, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|---------------------------|---|--|
| 173 | श्री बालाजी ड्राईंग, औ. क्षेत्र. सांवेर रोड़, इन्दौर | 801478/17 26/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 174 | लकी सौप फैक्ट्री, औ. क्षेत्र. सांवेर रोड़, इन्दौर | 1480/17 26/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 175 | पायोनियर ड्राईंग एंड प्रिंटिंग वर्क्स, औ. क्षेत्र. सांवेर रोड़, इन्दौर | 84592/17 24/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 176 | संदीप सौप फैक्ट्री, औ. क्षेत्र. सांवेर रोड़, इन्दौर | 81273/17 24/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 177 | तपस्वी फलालेन, औ. क्षेत्र. सांवेर रोड़, इन्दौर | 3801478/17 26/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 178 | विनय टेक्सटाईल्स, औ. क्षेत्र. सांवेर रोड़, इन्दौर | 3801779/17 26/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 179 | पंचशील आर्गेनिक्स, औ. क्षेत्र. सांवेर रोड़, इन्दौर | 3802954/17 09/11/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 एवं 47 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 180 | बोरा केमिकल्स, औ. क्षेत्र. सांवेर रोड़, इन्दौर | 229 /17 01/01/2018 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 181 | क्रेडीएम टेक्सटाईल्स, औ. क्षेत्र. सांवेर रोड़, इन्दौर | 3802956 /17 14/11/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 182 | नवजीवन ड्राईंग एंड प्रिंटिंग, औ. क्षेत्र. सांवेर रोड़, इन्दौर | 3802953/17 14/11/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 183 | इम्प्रो सोया लेसीथीन प्रा. लि., औ. क्षेत्र. सांवेर रोड़, इन्दौर | 84589/17 03/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|--|--|
| 184 | धनलक्ष्मी टेक्सटाईल्स प्रोसेसिंग मिल्स, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर | 84725/03/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 185 | गोकुल एग्रो सीप फैक्ट्री, अगरखाती कॉम्पलेक्स, सांवेर रोड, इन्दौर | 84783/17/03/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 186 | डायमंड प्लास्टिक, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर | 84590/17/03/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 187 | वेल्को इंडिया लि., औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर | 84768/17/03/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 188 | विश्वकर्मा ट्रेडिंग कंपनी, औ.क्षे. सांवेर रोड, इन्दौर | 84754/17/03/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 189 | स्लाटर हाउस कंट बोर्ड, महू, इन्दौर | 78795/17/06/10/2017 | जल अधिनियम 1974 की धारा 24, 25, 43, 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 190 | पटारिया स्टोन क्रशर यू.-2 ग्राम अमझर जबलपुर | 20138/17/15/09/2017 | वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 191 | नवदीप स्टोन क्रशर ग्राम मानेगांव जबलपुर | 20143/17/15/09/17 | वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 192 | गोविंद यादव स्टोन क्रशर ग्राम कुण्डम जबलपुर | 20145/17/15/09/17 | वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 193 | दिलीप यादव स्टोन क्रशर ग्राम अमझर | 20141/17/13/09/2017 | वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 194 | धाम्यश्री स्टोन क्रशर ग्राम अमझर जबलपुर | 202244/17 | वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|--|--|
| 195 | गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मैसी प्रा.लि. कटंगी रोड जबलपुर | 20279/17 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन ह्यालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 196 | सरकार हॉस्पिटल करमचंद चौक जबलपुर | 1176/17 20/09/17 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन ह्यालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 197 | गोरखपुर हेल्थ होम मैन रोड गोरखपुर जबलपुर | 1179/17 20/09/17 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन ह्यालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 198 | सिल्वर ओक हास्पिटल नेपियर टाउन जबलपुर | 1173/17 20/09/17 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन ह्यालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 199 | हर्षे हेल्थ केयर हास्पिटल प्रा.लि. कमला नेहरूनगर जबलपुर | 1171/17 20/09/17 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन ह्यालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 200 | ग्रोवर मल्टी स्पेशियलटी एण्ड टामा सेंटर राईट टाउन जबलपुर | 1174/17 20/09/17 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन ह्यालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|--|---|
| 195 | गुप्ता आयुर्वेदिक फार्मसी प्रा.लि. कटंगी रोड जबलपुर | 20279/17 | पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 196 | सरकार हॉस्पिटल करमचंद चौक जबलपुर | 1176/17 20/09/17 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 197 | गोरखपुर हेल्थ होम मैन रोड गोरखपुर जबलपुर | 1179/17 20/09/17 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 198 | सिल्वर ओक हॉस्पिटल नेपियर टाउन जबलपुर | 1173/17 20/09/17 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 199 | हर्षे हेल्थ केयर हॉस्पिटल प्रा.लि. कमला नेहरूनगर जबलपुर | 1171/17 20/09/17 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 200 | गोवर मल्टी स्पेशियलटी एण्ड टामा सेंटर राईट टाउन जबलपुर | 1174/17 20/09/17 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|--|--|
| 211 | अस्विनी हास्पिटल कटंगी रोड जबलपुर | 21123/17 4/10/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 212 | हिन्दुस्तान हास्पिटल सिविक सेन्टर जबलपुर | 21126/17 4/10/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 213 | धामस नर्सिंग होम आजाद नगर रांझी जबलपुर | 21127/17 4/10/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 214 | पूजा नर्सिंग होम बल्देबाग जबलपुर | 21129/17 4/10/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 215 | बंसल सुपर टेक क्लीनिक सुखेजा टावर राइटटाउन जबलपुर | 21124/17 4/10/2017 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 216 | रामसुजान अक्वस्वी डेयरी फार्म ग्राम कदंराखेड़ा जबलपुर | 21505/17 7/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 217 | हरीसिंह डेयरी फार्म ग्राम कदंराखेड़ा जबलपुर | 21502/17 7/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|---|--|
| 218 | विजय खत्री डेयरी फार्म ग्राम सालीवाड़ा, जबलपुर | 21499/17 7/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 219 | सतपाल डेयरी फार्म ग्राम परियट, जबलपुर | 21507/17 7/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 220 | पसरीचा डेयरी फार्म ग्राम गौरयाघाट, जबलपुर | 21498/17 7/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 221 | साई एक्वा मिनरल्स अमखेरा रोड जबलपुर | 1224/17 5/10/2017 | जल अधिनियम की धारा -33 क, 41, 43 एवं 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 21 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 222 | मालती आइसक्रीम औ.क्षे. जबलपुर | 1227/17 5/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 33क, 41, 43 एवं 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 21 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 223 | लोटस इण्डस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र रिछाई, जबलपुर | 1228/17 5/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 33क, 41, 43 एवं 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 21 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 224 | नेचुरल मेडीकामेन्ट्स प्रा. लि. जिलहरीघाट रोड जबलपुर | 1283/17 5/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 33क, 41, 43 एवं 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 21 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 225 | बर्मा पेट्रोलियम कं. ग्राम सकरा पाटन जबलपुर | 21467/17 6/10/2017 | वायु अधिनियम की धारा 21, 37 एवं 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 226 | तिलकराज एंड कं. औ. क्षे. अधारताल जबलपुर | 21465/17 6/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 33क, 41, 43 एवं 44 एवं वायु अधिनियम की धारा 21 | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 227 | शर्मा डेयरी ग्राम-जमतरा जबलपुर | 1290/17 11/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 228 | भोला डेयरी ग्राम-मंदराखेड़ा जबलपुर | 1289/17 11/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 229 | बलिन्दर डेयरी, ग्राम कन्द्राखेड़ा जबलपुर | 2995/17 12/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|--|-------------------------|--|--|
| 230 | बबलू रामचन्द्र डेयरी, ग्राम-कन्द्राखेड़ा जबलपुर | 21710/17 10/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 231 | गुरुकृपा डेयरी, परियट जबलपुर | 21718/17 10/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 232 | भाईजान डेयरी, कन्द्राखेड़ा जबलपुर | 27345/17 12/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 233 | सुभाष बलहारा डेयरी, कन्द्राखेड़ा जबलपुर | 2134/17 12/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 234 | नन्दू डेयरी, कन्द्राखेड़ा जबलपुर | 21712/17 10/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 235 | निजाम डेयरी, परियट जबलपुर | 21717/17 10/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 236 | नरेन्द्र डेयरी, ऋषिनगर जबलपुर | 21711/17 10/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 237 | सिकन्दर बलहारा डेयरी, परियट जबलपुर | 2882/17 12/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 238 | शर्मा डेयरी, जमतारा, जबलपुर | 1290/17 11/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 239 | सुधीर पटेल डेयरी, परियट जबलपुर | 22575/17 24/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 240 | राजेश यादव डेयरी, कन्द्राखेड़ा जबलपुर | 22333/17 24/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|--|--|
| 241 | विजय डेयरी फार्म, कन्द्राखेड़ा जबलपुर | 22667/17 24/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 242 | मोनु डेयरी फार्म, ऋषि नगर जबलपुर | 22576/17 24/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 243 | ललित भजन डेयरी, इमलिया जबलपुर | 25403/17 31/10/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 244 | प्रकाश तिवारी डेयरी, कन्द्राखेड़ा जबलपुर | 24249/17 9/11/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 245 | मन्टा डेयरी, परियट जबलपुर | 24243/17 9/11/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 246 | बडेरिया डेयरी, इमलिया जबलपुर | 24629/17 14/11/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 247 | उमेश डेयरी, कन्द्राखेड़ा जबलपुर | 24675/17 14/11/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 248 | प्रवीण डेयरी, परियट जबलपुर | 24248/17 9/11/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 249 | गप्पू डेयरी, कन्द्राखेड़ा जबलपुर | 24247/17 9/11/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 250 | सेवा डेयरी, कन्द्राखेड़ा जबलपुर | 24246/17 9/11/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 251 | मास्टर डेयरी, खैरी जबलपुर | 242473/17 14/11/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क' 41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|--|---|
| 252 | दर्शन डेयरी, परियट, जबलपुर | 24245/17 9/11/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क'41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 253 | रजनीश डेयरी, इमालिया, जबलपुर | 1479/17 8/12/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क'41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 254 | चीबे डेयरी परियट, जबलपुर | 1476/17 6/12/2017 | जल अधिनियम की धारा 24 25/26, 33'क'41, 43 एवं 44 | जल अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 255 | क्रीकल फैक्ट्री जबलपुर | 2777/18 7/2/2018 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 256 | 506 आर्मी बेस वर्कशाप जबलपुर | 2779/18 7/2/2018 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के नियमों का उल्लंघन करने के कारण। |
| 257 | शुक्ला नर्सिंग होम वार्ड नं. 16 बालाघाट | 1095/17 20/09/17 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 258 | अनुश्री हास्पिटल एवं अन्य बालाघाट | 220/18 14/03/2018 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 259 | इदनानी नर्सिंग होम कटंगी बालाघाट | 43/2018 22/03/2018 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन हथालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 260 | आनंद टाईल्स औद्योगिक क्षेत्र गर्ग बालाघाट | 1094/17 20/9/2017 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37 एवं 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

| क्र. | उद्योग / संस्थान का नाम | प्रकरण क्रमांक व दिनांक | अधिनियम की धारा | प्रकरण दायर करने का कारण |
|------|---|-------------------------|--|--|
| 261 | नर्मदा स्टोन क्रशर, बड़गाँव | 1174/17 23/10/17 | वायु अधिनियम 1981 की धारा 21, 37 एवं 39 | वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 262 | चितरंजन लाल बेगड आर्डनरी क्ले माईन ग्राम-दहैगडवा 2 एकड़ बालाघाट | 1175/17 23/10/17 | जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 का उल्लंघन बाबत | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 263 | दिलीप कुमार दहाड़े आर्डनरी क्ले माईन बालाघाट | 1173/17 23/10/17 | जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 का उल्लंघन बाबत | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 264 | चितरंजन लाल बेगड आर्डनरी क्ले माईन ग्राम-धलसुआ 2 एकड़ बालाघाट | 1172/17 23/10/17 | जल अधिनियम 1974 एवं वायु अधिनियम 1981 का उल्लंघन बाबत | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 265 | महाजन नर्सिंग होम एवं अन्य, बालाघाट | 221/18 14/03/2018 | पर्यावरण संरक्षण अधि. की धारा 1986 की धारा 15 | जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन ह्यालन नियम 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन के कारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 1986 की धारा 15 के अंतर्गत |
| 266 | वैभव लक्ष्मी आर.सी.सी. पाइप इंडस्ट्रीज ग्राम सुआखेड़ा | 8/2017 3/10/2017 | वायु अधिनियम की धारा 21,37 एवं 39, जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44. | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 267 | श्रीकृष्णा आटो मोबाइल एन.एच.7 जबलपुर रोड सिवनी | 07/2017 3/10/2017 | वायु अधिनियम की धारा 21,37 एवं 39, जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44. | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 268 | बीना प्लास्टिक यू.2 औ. क्षेत्र, सिवनी | 10/2017 3/10/2017 | वायु अधिनियम की धारा 21,37 एवं 39, जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44. | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 269 | बीना प्रोडक्ट औ.क्षेत्र, सिवनी | 06/2017 3/10/2017 | वायु अधिनियम की धारा 21,37 एवं 39, जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44. | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |
| 270 | तरंग पालीमर्स औ.क्षेत्र, सिवनी | 09/2017 3/10/2017 | वायु अधिनियम की धारा 21,37 एवं 39, जल अधिनियम की धारा 25 एवं 44. | जल/ वायु अधिनियम के अन्तर्गत बगैर सम्मति उत्पादनरत रहने के कारण। |

उद्योगों / संस्थानों के विरुद्ध न्यायालयों में दायर प्रकरणों में दोषी उद्योगों को दिया गया दण्ड

1. मेसर्स प्रतिभा सिंथेटिक्स प्रा.लि. धार के विरुद्ध बोर्ड द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धार के न्यायालय में जल अधिनियम की धारा 25, 24 सहपठित धारा 43 एवं 44 के अन्तर्गत बगैर अनुमति के उत्पादनरत रहने तथा निस्सारित दूषित जल निर्धारित मानको तक उपचारित व्यवस्था नहीं करने के कारण दिनांक 7/4/11 को वाद दायर किया गया था। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31/7/17 को निर्णय पारित कर आरोपियों को 1 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक धारा में 5000-5000/- रूपये अर्थात प्रत्येक आरोपी को कुल 10,000-10,000/- रूपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्धदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम होने पर अभियुक्तगण को 01-01 माह का पृथक से साधारण कारावास की सजा दी गई।
2. मेसर्स राजेन्द्र शर्मा स्टोन क्रेशर सिंधौडा, इन्दौर के विरुद्ध स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट इन्दौर के न्यायालय में वायु अधिनियम की धारा 21 एवं सहपठित धारा 37 एवं 40 के तहत स्टोन क्रेशर बोर्ड की बगैर सम्मति के संचालित करने के कारण वाद दायर किया गया था। जिसे मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 6/12/17 को निर्णय पारित कर आरोपियों को उक्त धाराओं के अन्तर्गत दोषी पाते हुये न्यायालय अवसान अवधि तक के कारावास एव दस-दस हजार रूपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्धदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम होने पर अभियुक्तगण को 02-02 माह का पृथक से कारावास की सजा दी गई।
3. मेसर्स सुखायु हास्पिटल एवं मेटरनिटी होम राठ, इन्दौर के विरुद्ध स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट इन्दौर के न्यायालय में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 15 के तहत जीव चिकित्सा नियम 1999 के तहत बिना प्राधिकार प्राप्त किये अवशिष्टों का प्रथकरण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, उपचार एवं व्ययन नियमानुसार नहीं करने के कारण अस्पताल संचालित करने के कारण वाद दायर किया गया था। जिसे मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 18/01/18 को निर्णय पारित कर आरोपियों को उक्त धाराओं के अन्तर्गत दोषी पाते हुये रूपये दस हजार रूपये के अर्धदण्ड से व अभियुक्त 02 को न्यायालय अवसान अवधि तक के कारावास व रूपये 10 हजार के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्धदण्ड की राशि अदायगी में व्यतिक्रम होने पर अभियुक्तगण को 02-02 माह का पृथक से कारावास की सजा दी गई। साथ ही उक्त राशि से कुल रूपये बीस हजार बोर्ड को दिये जाने के आदेश दिये गये।
4. मेसर्स नर्सिंग वाटिका, इन्दौर के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्दौर के न्यायालय में दिनांक 8/10/10 को वायु अधिनियम की धारा 21 सहपठित धारा 37 व 40 के तहत बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करने व जनरेटर संचालित करने के कारण वाद दायर किया गया था। जिसे मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 11/09/17 को उक्त धारा में दोषी पाते हुये मौखिक भर्त्सना एवं रु. 10,000-10,000/-के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया। अर्धदण्ड की राशि जमा न किये जाने पर तीन-तीन माह का कारावास भुगतने की सजा दी गई।
5. मेसर्स नर्सिंग वाटिका, इन्दौर के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इन्दौर के न्यायालय में जल अधिनियम की धारा 44 व सहपठित धारा 47 के तहत बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करने व बिना अनुमति के दूषित जल निस्सारण हेतु सीवेज डिस्पोजल सिस्टम बनाये जाने कारण वर्ष 2010 में वाद दायर किया गया था। जिसे मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 13/10/17 को उक्त धारा में दोषी पाते हुये मौखिक भर्त्सना एवं प्रत्येक अभियुक्त को रु 10,000/-के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया। अर्धदण्ड की राशि जमा न किये जाने पर तीन-तीन माह का कारावास भुगतने की सजा दी गई।

- 6 मेसर्स इंद्रप्रस्थ गार्डन, इन्दौर के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट इन्दौर के न्यायालय में दिनांक 8/10/10 को वायु अधिनियम की धारा 21 सहपठित धारा 37 व 40 के तहत बोर्ड से सम्मति प्राप्त न करने व जनरेटर संचालित करने के कारण वाद दायर किया गया था। जिसे मान.न्यायालय द्वारा दिनांक 11/09/17 को उक्त धारा में दोषी पाते हुये मौखिक भर्त्सना एवं रू 10,000-10,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि जमा न किये जाने पर तीन-तीन माह का कारावास भुगतने की सजा दी गई।
- 7 मेसर्स सहगल इंटर प्राईजेज, सलैया कटनी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी के न्यायालय में बिना बंध सम्मति के उद्योग का संचालन करने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 का उल्लंघन वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 38 प्रकरण क्रमांक 366/2007 दिनांक 7/2/07 को दायर किया गया था। दिनांक 30/12/17 को मा. न्यायालय द्वारा आरोपियों को धारा-37(1) के अन्तर्गत 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रू.के अर्थदण्ड धारा-38 (ब) के तहत 03 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रू.के अर्थदण्ड उपरोक्त दोनों सजाएँ एक साथ चलेगी अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये अभियुक्त को एक माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 8 मेसर्स सहगल इंटर प्राईजेज, सलैया कटनी बिना बंध सम्मति के उद्योग का संचालन करने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 38 प्रकरण क्रमांक 364/2007 दिनांक 7/2/07 को दायर किया गया था। जिसे दिनांक 30/12/17 को मा. न्यायालय द्वारा आरोपियों को धारा-37(1) के अन्तर्गत 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रू.के अर्थदण्ड धारा-38 (घ) के तहत 03 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रू.के अर्थदण्ड उपरोक्त दोनों सजाएँ एक साथ चलेगी अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये अभियुक्त को एक माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 9 मेसर्स पी.सी शर्मा माईन्स, कटनी बिना अनुमति के उत्पादनरत रहने के कारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-25 व 26 का उल्लंघन करने के कारण तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 का उल्लंघन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-43,44 एवं 45 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 38 प्रकरण क्रमांक 1771/2005 दिनांक 22/11/05 को दायर किया गया था। दिनांक 10/03/18 को मा. न्यायालय द्वारा आरोपियों को धारा-37(1) के अन्तर्गत 01 वर्ष 06 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रू.के अर्थदण्ड धारा-38 (घ) के तहत 03 माह के कठोर कारावास और 5,000/-पाँच हजार रू.के अर्थदण्ड उपरोक्त दोनों सजाएँ एक साथ चलेगी अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में ऐसे प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये अभियुक्त को तीन माह का कठोर कारावास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 10 मेसर्स डाल्फिन मार्बल प्रा.लि., बहोरीबंद कटनी बोर्ड की अनुमति के बगैर माईन्स संचालन करने के कारण वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 का उल्लंघन वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 व 38 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-44 व 45 प्रकरण क्रमांक 1324/2012 दिनांक 30/4/12 को दायर किया गया था। दिनांक 15/03/18 को मा. न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी फर्म को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 व 37 के अन्तर्गत रू.10,000/-के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

- 11 मेसर्स गुरुकृपा ऐग्रोटेक प्रा.लि., मालनपुर के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में दिनांक 04/06/10 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा-43 सम्मति नवीनीकरण कराये बिना उत्पादनरत रहने, दूषित जल की गुणवत्ता निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने, सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण वाद दायर किया गया था। जिसे दिनांक 29/12/17 को मा. न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर आरोपियों को अधिनियम की धारा-43 सहपठित धारा-24 के तहत 01 वर्ष छै: माह-01 वर्ष छै: माह के साधारण कारावास और 1,000/- एक-एक हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई।
- 12 मेसर्स चिमनलाल रावल एंड संस मैगनीज माईन, कटंगी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी जिला-बालाघाट के न्यायालय में दिनांक 26/4/06 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 बिना अनुमति के मैगनीज अयस्क एवं क्वाटर्ज का उत्खनन करने के कारण वाद दायर किया गया था। जिसे दिनांक 30/6/17 को मा. न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर आरोपियों को 02 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- दस हजार रु. के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि जमा करने में व्यतिक्रम पर आरोपी को 04 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 13 मेसर्स रायबहादुर श्रीराम एंड क.प्रा.लि. चिकमारा मैगनीज माईन कटेदरा, कटंगी जिला बालाघाट के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी जिला-बालाघाट में दिनांक 26/4/06 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 बिना अनुमति के मैगनीज अयस्क का उत्खनन करने के कारण वाद दायर किया गया था जिसे दिनांक 12/9/17 को मा. न्यायालय द्वारा आरोपियों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- 10,000/- दस दस हजार रु. के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि जमा करने में व्यतिक्रम पर आरोपी को 04-04 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 14 मेसर्स रायबहादुर श्रीराम एंड क.प्रा.लि., सेलवा मैगनीज माईन कटेदरा कटंगी जिला बालाघाट के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटंगी जिला-बालाघाट के न्यायालय में प्रकरण दिनांक 26/4/06 को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-37 बिना अनुमति के मैगनीज अयस्क का उत्खनन करने के कारण वाद दायर किया गया था। जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 12/9/17 को निर्णय पारित कर आरोपियों को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000/- 10,000/- दस, दस हजार रु. के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि जमा करने में व्यतिक्रम पर आरोपी को 04-04 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगतने की सजा दी गई।
- 15 मेसर्स जयदीप ग्लास इण्डस्ट्रीज प्रा.लि., पीथमपुर के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार के न्यायालय में दिनांक 28/7/11 को जल अधिनियम 1974 की धारा 44 व 41(2) के तहत सम्मति शर्तों के उल्लंघन के कारण वाद दायर किया गया था। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/11/17 को निर्णय पारित कर आरोपियों को दोनों धाराओं में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष 06-06 माह का सश्रम कारावास तथा रु. 5000-5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। तथा व्यतिक्रम की स्थिति में दो-दो माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
- 16 मेसर्स केडिया ग्रेट गैलियन सेजवाया, धार के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धार के न्यायालय में दिनांक 28/8/02 को जल अधिनियम 1974 की धारा 43, 44 व 47 के तहत बगैर सम्मति के उत्पादनरत रहने तथा निस्सारित दूषित जल निर्धारित मानको तक उपचारित न करने के कारण वाद दायर किया गया था। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21/11/17 को निर्णय पारित कर आरोपियों को दोनों धाराओं में दोषी पाते हुये 01-01 वर्ष 06-06 माह का सश्रम कारावास तथा रु. 5000-5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा व्यतिक्रम की स्थिति में दो-दो माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।



10. बोर्ड के वित्त एवं लेखे

वर्ष 2017-18 के संबंध में वित्तीय जानकारी एवं आंकड़े अपरीक्षित लेखों से लिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत किया गया है। जल अधिनियम की धारा-40(4) के अनुरूप वैधानिक लेखा परीक्षण हेतु भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सलाह से राज्य शासन द्वारा आडिटर नियुक्त किये जाते हैं। आडिट के पश्चात् उपरोक्त जानकारी व आंकड़ों में परिवर्तन सम्भावित है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उपधारा (7) व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार बोर्ड का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन माननीय विधानसभा के पटल पर रखे जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधानों अनुसार वर्ष 2016-17 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन दिनांक 12.03.2018 को माननीय सदन के पटल पर रखा जा चुका है।

बोर्ड की आय व प्राप्तियाँ :

बोर्ड की आय के साधनों में सम्मति, सम्मति नवीनीकरण, प्राधिकार, प्राधिकार का नवीनीकरण, जल विश्लेषण, वायु मापन व वाहन प्रदूषण मापन आय के प्रमुख स्रोत हैं। इस के अतिरिक्त महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संचालन हेतु राज्य शासन व केन्द्र शासन से प्राप्त अनुदान भी आय का एक स्रोत है। जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत जल उपकर के संग्रहण का दायित्व भी बोर्ड के पास था। जिसके माध्यम से एकत्रित राशि केन्द्र शासन को भेजी जाती थी व कुल भेजी गई राशि से अधिकतम 80 प्रतिशत राशि स्थापना, इन्फोरमेंशन एवं टेक्नोलोजी तथा प्रदूषण नियंत्रण के कार्यों हेतु बोर्ड को प्राप्त होती थी। देश में जीएसटी लागू होने के पश्चात् दिनांक 30.06.2017 से उपरोक्त अधिनियम समाप्त कर दिया गया है। जिसके कारण इस मद के अन्तर्गत आय का स्रोत खत्म हो चुका है। वर्ष 2017-18 के अपरीक्षित लेखों के अनुसार विभिन्न स्रोतों से बोर्ड को लगभग रु. 7848.16 लाख की प्राप्तियाँ हुई हैं। उपरोक्त राशि में केन्द्र शासन से बोर्ड को प्राप्त जल उपकर का अंश राशि रु. 448.66 लाख, राज्य शासन द्वारा माँग सख्या-71 के अन्तर्गत शीर्ष क्रमांक-2215 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुदान योजना क्रमांक 8049 के तहत राशि रु. 1215.00 लाख सम्मिलित है। इसी प्रकार केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु राशि रु. 223.38 लाख प्राप्त हुई है।

व्यय एवं भुगतान:

बोर्ड की गतिविधियों को संचालित करने हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग राशि रु. 6132.23 लाख अपरीक्षित लेखों के आधार पर व्यय हुआ है। व्यय की प्रमुख मदों में प्रशासकीय एवं स्थापना, आवर्ती व पूँजीगत व्यय प्रमुख है। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान किये गये व्यय में 73.90 प्रतिशत प्रशासनिक एवं स्थापना, 11.66 प्रतिशत पूँजीगत व 14.44 प्रतिशत आवर्ती व्यय है।

राज्य अनुदान प्रस्ताव वर्ष 2018-19 :

राज्य शासन द्वारा माँग सख्या-71 के अन्तर्गत शीर्ष क्रमांक-2215 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुदान योजना क्रमांक 8049 के तहत राशि रु 1819.89 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त अनुदान के अन्तर्गत अनुसंधान एवं विकास, सर्वे एवं मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट, संस्थागत सुदृढीकरण, राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार, पर्यावरणीय प्रशिक्षण/कार्यशाला/जन-जागृति/सूचनाओं का आदान-प्रदान, ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना तथा नर्मदा सेवा मिशन के अन्तर्गत विभिन्न कार्य प्रस्तावित किये गये हैं।

11. राज्य बोर्ड द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य

11.1 जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत गठित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि हेतु उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा की जा रही जल खपत पर जल उपकर अधिरोपित किया जाता है। जिसका निर्धारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। जल उपकर के रूप में प्राप्त राशि भारत सरकार को भेजी जाती है। जहां से इसका 80 प्रतिशत अंश राज्य बोर्ड में वित्तीय संसाधनों के सुदृढिकरण हेतु प्राप्त होता है।

निम्नलिखित तालिका में जल उपकर के निर्धारण, वसूली तथा आय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है :-

| वर्ष | निर्धारित उद्योगों की संख्या | निर्धारित स्थानीय संस्थाओं की संख्या | एकत्रित उपकर/केन्द्र शासन को भेजी गई राशि रूपये लाख में | केन्द्र शासन से प्राप्त राशि रूपये लाख में |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| अप्रैल 2017 से मार्च 2018 | 2086 | 380 | 349.00 | 448.65 |

नोट :- वस्तु एवं सेवा कर केन्द्रीय अधिनियम, 2017 लागू होने के कारणवश 01 जुलाई 2017 से जल उपकर निर्धारण कार्य समाप्त हो गया है।

11.2 बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी : विकास एवं क्रियान्वयन

प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों एवं अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को आम जन तक पहुंचाने में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निरंतर किया जा रहा है। बोर्ड की वेबसाइट www.mppcb.mp.gov.in पर संचालित है। इस पर सम्मति प्रबंधन की जानकारी, पर्यावरणीय विषयों की जानकारी, अधिनियम/नियम/नोटिफिकेशन/आदेशों की जानकारी एवं पर्यावरण गुणवत्ता के अन्तर्गत परिवेशीय वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी इंडेक्स तथा जल गुणवत्ता परिणाम शामिल है, जिनका नियमित संधारण एवं अपडेशन का कार्य किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधन के अन्तर्गत फ्लाईएश उपयोग, ई-वेस्ट प्रबंधन एवं परिसंकटमय अपशिष्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रदेश की जानकारी प्रदर्शित है। समय समय पर बोर्ड द्वारा प्रसारित अनुदेश, महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स भी साइट पर प्रदर्शित की जाती है।

बोर्ड की वेबसाइट पर निविदा, साक्षात्कार, पर्यावरण पुरस्कार आवेदन पत्र एवं लोक सुनवाई के अन्तर्गत परियोजना का कार्यकारी सारांश, तकनीकी प्रस्तुतिकरण आदि जानकारी को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।

- एक्सजीएन साटवेयर को 'TRIFAC' के सॉटवेयर से इंटीग्रेट किया है।
- टोस अपशिष्ट मेनेजमेन्ट एवं प्लास्टिक अपशिष्ट मेनेजमेन्ट के माइयूल संचालित किये गये।
- 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योगों के सम्मति से संबंधित जानकारी को एक्सजीएन के माध्यम से सीपीसीबी के ई-समीक्षा पोर्टल से इंटीग्रेट किया गया।
- बोर्ड द्वारा दिनांक 15 जून 2017 को जारी लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी के उद्योगों की सूची अनुसार एक्सजीएन में सेक्टर की सूची अपग्रेड की गई।
- एक्सजीएन के मुख्य पृष्ठ को रीडिजाइन किया गया एवं इसमें विभाग का लॉगिन एवं उद्योगों का लॉगिन पृथक किया गया।
- एक्सजीएन पर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया।

M.P. Pollution Control Board
XGN - Online Consent Management System

Control Request | User | Consent Management | GreenChange | HOME

Fixed Links
Consent Granting Procedure
Documents used for Application
Inspection Procedure
*** Notification Cases ***
Select

DEPARTMENTARY LOGIN | **APPLICANT LOGIN**

GreenChange
The Auto Renewal facility is enabled for GreenChange v

Citizen Centre Features
Month: May 2018

| Category | Count |
|---------------------------|---|
| XGN STATISTICS | Industries = 10687 & Hospitals = 7052 (Bihar) : 49-8220 / 6-2077 (Bihar) : 50-8408 / 50-8465 / 6-9877 (AP) : 49-8972 / 50-8220 / 80-0710 |
| Public Complaints | CRIL Applications = 1120 & e-Complaints = 93 (CRIL) : 085 / 4703-994 |
| XGN Consents | Consents GRANTED/ASD = 1064 (CRIL) : 494 / 88-976 / ASD=0 |
| Citizen Open House | Attorneys / WCover = 2073 * House = 3111 @PATB&E = 22760 Inspections = 2204 & Samples = 321 Legal Notices = 0, Charges = 0, Manipulations = 0 |

Today's Statistics

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Industries = 280 | Hotels = 78 |
| Lab = 11 | Hospitals = 15 |
| Online Applications = 42 | ICTD=18 / COPM=1 |
| e-Complaints = 1 | Consents GRANTED/ASD = 1064 |
| (CRIL) : 494 / 88-976 / ASD=0 | Water Cons = 8000 = 0 |
| Inspections = 11 | Samples = 0 |
| Legal Notices = 0 | Charges = 0 |
| Manipulations = 0 | |

Ministry No. MP/PCB & Green Change. Phone : 3662004

राज्य बोर्ड के सदस्यों की सूची

| | | |
|-----|--|------------|
| 1. | श्री अनुपम राजन अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग) | अध्यक्ष |
| 2. | प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल | सदस्य |
| 3. | प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग, भोपाल | सदस्य |
| 4. | संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवायें, भोपाल | सदस्य |
| 5. | मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भोपाल | सदस्य |
| 6. | आयुक्त-सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल | सदस्य |
| 7. | श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह, अध्यक्ष, नगर पालिक परिषद्, छतरपुर | सदस्य |
| 8. | श्री हरभजन शिवहरे, ई-8/21, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल | सदस्य |
| 9. | श्री अभय दरे, 45 द्वारिका, बिहार कॉलोनी, तिली वार्ड, सागर | सदस्य |
| 10. | श्री अनिल यादव, पत्रकार, 7, जैन पाठशाला, गंजबासौदा, जिला विदिशा | सदस्य |
| 11. | कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल | सदस्य |
| 12. | प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल | सदस्य |
| 13. | श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल | सदस्य सचिव |

विभागीय संरचना



प्रयोगशाला संरचना



- आंचलिक कार्यालय
- क्षेत्रीय कार्यालय
- सिंगल बिंदो सिस्टम

वर्ष 2017-18 में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले उद्योगों / संस्थानों / खदानों की सूची

- | क्र. | उद्योग का नाम |
|------|---|
| 1. | मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, (मल्टीपरपज केमिकल टर्मिनल), भौरी बकानिया, भोपाल |
| 2. | पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना (मध्यप्रदेश जल संसाधन विभाग), पचघार, बैतूल |
| 3. | होरियापीपर सेण्ड क्वारी क्लस्टर (एम.पी. माईनिंग कांफेरिशन लिमिटेड), होरियापीपर होशंगाबाद |
| 4. | छीपानेर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना (नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण), छीपानेर, सीहोर |
| 5. | मेसर्स खण्डेलवाल मेटल वर्क्स, (ग्रेनाईट खदान) ग्राम-दतया-शाहगढ़, जिला-सागर |
| 6. | मेसर्स परकुल मध्यम सिंचाई परियोजना, ग्राम-बक्सवाहा, तह. व जिला-सागर |
| 7. | मेसर्स सागर एम.एस. डब्ल्यू साल्यूशन प्रा.लि. ग्राम-मसवासी ग्रंट, तह. व जिला-सागर |
| 8. | मेसर्स मझगाँव मध्यम सिंचाई परियोजना, ग्राम-मझगाँव तह. अजयगढ़ जिला-पन्ना |
| 9. | मेसर्स वंशीवाले स्टोन क्रैसर, ग्राम गुंधारा, सर्वे क्र. 865, जिला ग्वालियर |
| 10. | मेसर्स मेडीकेयर इन्वारमेंटल मैनेजमेंट प्रा.लि., जडेरूआ, मुरैना |
| 11. | मेसर्स डेविस सर्जिको ग्राम आंतरी सर्वे क्र. 331/2, तहसील-चीनोर, ग्वालियर |
| 12. | मेसर्स ओम स्मेलटर एण्ड रोलर्स प्रा.लि., ग्राम भरघरी, तहसील, चिनोर, ग्वालियर |
| 13. | मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कांफेरिशन लि., इन्दौर न्यू आई.आर.डी. मांगलिया, जिला इन्दौर |
| 14. | मेसर्स भावसा मीडियम ऐरिगेशन प्रोजेक्ट, ग्राम नई चौदी, ब्लाक बुरहानपुर, तहसील एवं जिला बुरहानपुर |
| 15. | मेसर्स इन्द्रा सागर प्रोजेक्ट (केनाल), छैगाँव माखन लिट माइक्रो सिंचाई योजना, ग्राम डोंगर गाँव, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा |
| 16. | मेसर्स हरसूद लिट सिंचाई योजना, ग्राम नन्दगाँव, तहसील हरसूद, जिला खण्डवा |
| 17. | मेसर्स नर्मदा वेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, बलवाड़ा माइक्रो सिंचाई योजना, ग्राम बलवाड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन |
| 18. | मेसर्स नर्मदा वेली डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिस्टान लिट सिंचाई योजना, ग्राम बड़गाँव, तहसील गौगाँवा, जिला खरगोन |
| 19. | मेसर्स दुर्गा खांडसारी (शुगर) मिल्स, ग्राम मेन्दराना, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी |
| 20. | मेसर्स कैलाश जैन चौरडिया, मैगनीज ओर माईन, खसरा न. 273/1-8, 274, 275, 276/1, 276/2, 277 ग्राम मिरगपुर तह0 खैरलांजी, जिला बालाघाट, लीज क्षेत्रफल 9.311 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 400 मै.टन प्रति वर्ष की खदान |
| 21. | मेसर्स श्री सुनील कुमार कलवानी, अर्जुनी मैगनीज ओर माईन, खसरा न. 237/1, 237/2, 238/1, 238/2, 238/3, 239/3, 240/1, 4/9/10/11, 251/2 ग्राम अर्जुनी तह0 कटंगी, जिला बालाघाट, लीज क्षेत्रफल 3.238 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 2658 मै.टन प्रति वर्ष की खदान |
| 22. | मेसर्स खत्री मिनरल्स एंड माईनिंग कम्पनी, सिलुआ झांसी आयरन ओर एवं ब्लू डस्ट माईन, खसरा न. 000 ग्राम सिलुआ झांसी, तह0 सिहोर, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 4.56 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 20114 टन प्रति वर्ष हेतु |
| 23. | मेसर्स खत्री मिनरल्स एंड माईनिंग कम्पनी, सिलुआ झांसी आयरन ओर एवं ब्लू डस्ट माईन, खसरा न. 000 ग्राम सिलुआ झांसी, तह0 सिहोर, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 4.49 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 20114 टन प्रति वर्ष हेतु |

24. मेसर्स श्रीकांत पांडे, मैगनीज, लेटेराईट एवं आयरन ओर माईन, खसरा नं० 348, 350, 443-761, 414, 349, 351 ग्राम हिरदानगर, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 4.67 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 35255 टन प्रति वर्ष हेतु की खदान
25. मेसर्स मेडीकेयर इन्वायरनमेंट प्रा.लि., सी.बी.डब्ल्यू.टी.एफ., मनेरी, मंडला
26. मेसर्स श्री शारदा प्रसाद जैसवाल, मोहला लेटेराईट, बाक्ससाईट एवं फायरक्ले माईन, खसरा नं. 01 ग्राम मोहला, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 5.901 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता विस्तार 10000 टन प्रति वर्ष से 162237 टन प्रति वर्ष करने हेतु
27. मेसर्स अनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मिरगपुर मैगनीज ओर माईन, फारेस्ट कम्पार्टमेंट नं. 51 (ए एवं बी) ग्राम मिरगपुर तह. कटंगी, जिला बालाघाट, लीज क्षेत्रफल 130.0 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 26460 मै.टन प्रति वर्ष की खदान
28. मेसर्स एअरपोर्ट अथॉर्टी आफ इंडिया द्वारा ग्राम डुमना, गढ़ेरो एवं चकदेही, जिला जबलपुर में स्थित एअरपोर्ट के प्रस्तावित विस्तार करने हेतु
29. मेसर्स शोभा मिनरल्स, केवलारी लेटेराईट, मैगनीज, आयरन ओर एवं येलो ओकर माईन, खसरा नं. 99 ग्राम केवलारी, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर, लीज क्षेत्रफल 4.03 हेक्टेयर उत्खनन क्षमता 307235 टन प्रति वर्ष हेतु
30. मेसर्स निर्मला मिनरल्स, आयरन ओर डिपोजिट माईन, खसरा नं. 407/1 (पुराना) 8/1 भाग (नया) ग्राम घुघरीकला, तह० सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.), लीज क्षेत्रफल 8.59 हेक्टेयर का उत्खनन क्षमता 2,00,000 टन प्रति वर्ष हेतु
31. मेसर्स आनन्द माईनिंग कार्पोरेशन, आयरन ओर डिपोजिट माईन, खसरा नं. 407/1 (पुराना) 668/1 भाग (नया) ग्राम घुघरीकला, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.), लीज क्षेत्रफल 8.26 हेक्टेयर का उत्खनन क्षमता 1,78,510 टन प्रति वर्ष हेतु
32. मेसर्स मैगनीज ओर इंडिया लि., मैगनीज ओर माईनिंग, खसरा नं. 59/1-59/8, 62/1-62/12, 63, 89/1-89/21, 96/1-96/5, 97/1-97/5, 99/1-99/3, 100/1, 100/2 एवं 101 ग्राम लगमा तह० बैहर, जिला बालाघाट, लीज क्षेत्रफल 48.974 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 0.120 एम.टी.पी.ए. (मिलियन टन प्रति वर्ष) की खदान हेतु
33. मेसर्स श्री मुकुल खम्परिया, बिजैया आयरन ओर एवं मैगनीज माईन, खसरा नं. 101 ग्राम बिजैया, तह. सिहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.), लीज क्षेत्रफल 27.61 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता 1,59,992 टन प्रति वर्ष हेतु
34. मेसर्स महाश्री मिनरल्स एंड कॅमिकल्स द्वारा मैगनीज आक्ससाईड, मैगनीज डाईआक्ससाईड एवं अन्य फॅरोएलॉयज निर्माण हेतु खसरा नं. 248/2, 249/2, 248/3 एवं 249/3, ग्राम कुम्हाली तह. खैरलांजी, जिला बालाघाट में प्रस्तावित उद्योग हेतु
35. जल संसाधन विभाग डिविजन- मनावर, धार
36. जल संसाधन विभाग डिविजन- धार
37. म. प्र. औद्योगिक विकास निगम (इन्टीर) लि., मेधनगर
38. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि., मनावर
39. मेसर्स वंडर सीमेंट लि., खैरवास, बदनावर
40. मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा. लि., ग्राम गुरसल (8.5941 हेक्टेयर), जिला धार
41. मेसर्स सतगुरु सीमेंट प्रा. लि., ग्राम गुरसल (6.773 हेक्टेयर), जिला धार
42. मेसर्स गेट गैलियन लि. लेबड़ चौकी, धार
43. मेसर्स नर्मदा घाटी विकास प्रधिकरण, सोंडवा, अलीराजपुर
44. मेसर्स ओएसिस डिस्टिलरीज, बोराली
45. मेसर्स एस.आर.फैरो एलायंस, अलीराजपुर

46. मेसर्स वैक मेट इंडिया लि. ठंजैनी, धार
47. मेसर्स वसुधा मिनरल्स, मालेगांव तहसील सोंसर जिला छिंदवाडा
48. मेसर्स ए.सी.सी सीमेन्ट लि. कौमोर बडारी माइन्स रकवा 1.093 हेक्टेयर जिला कटनी
49. मेसर्स ए.सी.सी सीमेन्ट लि. कौमोर बडारी माइन्स रकवा 1.21 हेक्टेयर जिला कटनी
50. मेसर्स सावित्री मिनरल्स बाक्साइट लेटराइट माइन्स ग्राम टिकारिया रकवा 8.094 हेक्टेयर जिला कटनी
51. मेसर्स इस्माईल एण्ड संस लाइम स्टोन माइन्स ग्राम विस्तरा रकवा 7.358 हेक्टेयर जिला कटनी
52. मेसर्स एम.एन. दुबास लाइम स्टोन माइन्स ग्राम विस्तरा रकवा 4.578 हेक्टेयर जिला कटनी
53. मेसर्स एस.एन.एस. एण्ड क. लाइम स्टोन माइन्स ग्राम पौडी रकवा 4.76 हेक्टेयर जिला कटनी
54. मेसर्स मदन लाल ग्रोवर लाइम स्टोन माइन्स ग्राम सलैया पहराई रकवा 4.12 हेक्टेयर जिला कटनी
55. मेसर्स मदन लाल ग्रोवर लाइम स्टोन डोलोमाइट माइन्स ग्राम सलैया पहराई रकवा 4.69 हेक्टेयर जिला कटनी
56. मेसर्स मदन लाल ग्रोवर लाइम स्टोन डोलोमाइट माइन्स ग्राम सलैया पहराई रकवा 9.84 हेक्टेयर जिला कटनी
57. मेसर्स मदन लाल ग्रोवर लाइम स्टोन डोलोमाइट माइन्स ग्राम सलैया पहराई रकवा 4.65 हेक्टेयर जिला कटनी
58. मेसर्स अरुनेद्र प्रताप सिंह लाइम स्टोन एण्ड डोलोमाईट माइन्स ग्राम जमुवानीकलों रकवा 5.958 हेक्टेयर जिला कटनी
59. मेसर्स एस.एन.एस मिनरल्स लि. लाइम स्टोन डोलोमाईट माइन्स ग्राम जमुवानी कला रकवा 3.50 हेक्टेयर जिला कटनी
60. मेसर्स सेन्द्रल इंडिया माइनिंग कार्पो.ग्राम मोहनिया लाइम स्टोन एण्ड डोलोमाईट माइन्स रकवा 2.33 हेक्टेयर जिला कटनी
61. मेसर्स सेन्द्रल इंडिया माइनिंग कार्पो.ग्राम भटगवाँ सुनहरा लाइम स्टोन एण्ड डोलोमाईट माइन्स रकवा 4.13 हेक्टेयर जिला कटनी
62. मेसर्स आरिफ अहमद माइन्स.ग्राम भटगवाँ सुनहरा लाइम स्टोन एण्ड डोलोमाईट माइन्स रकवा 9.35 हेक्टेयर जिला कटनी
63. मेसर्स श्री किशोर कुमार बगडिया लाइम स्टोन माइन्स ग्राम रजरवारा रकवा 3.73 हेक्टेयर जिला कटनी
64. मेसर्स किशन चंद बदलानी लाइम स्टोन एण्ड डोलोमाईट माइन्स ग्राम सुनहरा रकवा 4.20 हेक्टेयर जिला कटनी
65. मेसर्स श्री अनिल नागरथ लाइम स्टोन माइन्स ग्राम कछगवाँ रकवा 1.821 हेक्टेयर जिला कटनी
66. मेसर्स एन.सी.एल. जयंत (क्षमता विस्तार), जिला सिंगरौली
67. मेसर्स सिद्ध विनायक मिनिरल्स लाइम स्टोन माइंस ग्राम खोभरा, तहसील मैहर रकवा 4.547 हेक्टेयर जिला सतना
68. मेसर्स एस.एन.एस.मिनिरल्स लिमि. ग्राम भटूरा तहसील मैहर रकवा 4.047 हेक्टेयर जिला सतना
69. मेसर्स हुकुमचंद स्टोन लाइम कं. भटूरा लाइम स्टोन माइंस तहसील मैहर रकवा 5.529 हेक्टेयर जिला सतना
70. मेसर्स श्री अजय कुमार पाठक, रामपुर चौरासी, तहसील रघुगजनगर रकवा 8.094 हेक्टेयर जिला सतना
71. मेसर्स प्रसेनजीत सिंह पिपरहट लाइम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माइंस ग्राम पिपरहट, तहसील मैहर रकवा 8.68 हेक्टेयर जिला सतना
72. मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका कुबरी लाइम स्टोन, कले एवं बक्साइट माइंस ग्राम कुबरी तहसील मैहर रकवा 69.301 हेक्टेयर जिला सतना
73. मेसर्स एस.एन.एस.मिनिरल्स लिमि. तिलौरा लाइम स्टोन एवं रिजेक्ट स्टोन माइंस ग्राम तिलौरा तहसील मैहर रकवा 3.774 हेक्टेयर जिला सतना

वर्ष 2017-18 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले
उद्योगों / संस्थानों / खदानों की सूची

- क्र. उद्योग का नाम
1. मेसर्स ट्रायडेन्ट लिमिटेड, बुधनी, जिला सीहोर
 2. मेसर्स एन.टी.पी.सी., सेलदा, खरगोन
 3. नगर निगम इन्दौर
 4. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट प्रा. लि., सीतापुरी व मोहनपुरा लाईम स्टोन खदान, मनावर/ गंधव्यानी, जिला- धार
 5. मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट प्रा. लि. (सीमेन्ट प्लांट, प्रस्तावित), मनावर, जिला- धार
 6. मेसर्स वेकमेट लि., औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला- धार
 7. मेसर्स सुजलान एनर्जी, बदनावर, जिला- धार
 8. मेसर्स ग्रैंट गैलियन लि., घाटाबिल्लीद, जिला- धार
 9. मेसर्स ओएसिस डिस्टलरी, बदनावर, जिला- धार
 10. मेसर्स गेल लि., झाबुआ
 11. मेसर्स कश्यप स्वीटनर्स लि., बदनावर, जिला- धार
 12. मेसर्स एस. ई. सी. एल. सोहागपुर एरिया जिला शहडोल
 13. मेसर्स एस. ई. सी. एल. हसदेव एरिया जिला अनूपपुर
 14. मेसर्स एस. ई. सी. एल. जोहिला एरिया जिला उमरिया
 15. मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (स्टेज 01 से 05 तक) जिला सिंगरौली
 16. मेसर्स एन.सी.एल कोल माईंस प्रोजेक्ट, अमलोरी, जिला सिंगरौली
 17. मेसर्स एन.सी.एल कोल माईंस प्रोजेक्ट, दुधिचुआ, जिला सिंगरौली
 18. मेसर्स हिन्डलको महान एल्युमिनियम, धरगवाँ, जिला सिंगरौली
 19. मेसर्स जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निगरी, तहसील सरई, जिला सिंगरौली
 20. मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लि., जिला सतना

वर्ष 2017-18 में दूषित जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले वृहद, मध्यम, लघु उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची

क. उद्योग / संस्थान / खदान का नाम

1. मेसर्स गैलेक्सी भोपाल व्हीकल प्रा.लि. (व्हीकल वर्कशॉप), बावड़ियाकलां, भोपाल
2. मेसर्स पावर आटो डीलर्स प्रा.लि. (व्हीकल वर्कशॉप), होशंगाबाद रोड़, भोपाल
3. मेसर्स भोपाल गैरेज सर्विस स्टेशन (व्हीकल वर्कशॉप), कोलार रोड़, भोपाल
4. मेसर्स भोपाल गैरेज सर्विस स्टेशन (व्हीकल वर्कशॉप), बैरसिया रोड़, भोपाल
5. मेसर्स अट्रेक्टिव आटोमोबाईल्स (व्हीकल वर्कशॉप), इन्द्रपुरी, भोपाल
6. मेसर्स अट्रेक्टिव आटोमोबाईल्स (व्हीकल वर्कशॉप), अशोका गार्डन, भोपाल
7. मेसर्स आर.एम. आटोलिंक (व्हीकल वर्कशॉप), एम.पी. नगर, भोपाल
8. मेसर्स भोपाल केयर हास्पिटल, भोपाल
9. मेसर्स एबीएम हास्पिटल, भोपाल
10. मेसर्स सिल्वर लाईन हास्पिटल, भोपाल
11. मेसर्स डीएचआरसी, भोपाल
12. मेसर्स सेन्द्रल हास्पिटल, भोपाल
13. मेसर्स शिवालय हास्पिटल, भोपाल
14. मेसर्स अग्रवाल हास्पिटल (मेटरनिटी एण्ड चैस्ट केयर सेन्टर), भोपाल
15. मेसर्स ए.एस.जी. हास्पिटल, भोपाल
16. मेसर्स रोशन हास्पिटल, भोपाल
17. मेसर्स लाईफ केयर हास्पिटल, भोपाल
18. मेसर्स चिरंजीव नर्सिंग होम, भोपाल
19. मेसर्स सुदिति हास्पिटल, भोपाल
20. मेसर्स मनन हास्पिटल, भोपाल
21. मेसर्स नवोदय कैंसर हास्पिटल, भोपाल
22. मेसर्स अंतश्री हास्पिटल, भोपाल
23. मेसर्स मिराकल हास्पिटल, भोपाल
24. मेसर्स विशनोई हास्पिटल, भोपाल
25. मेसर्स पौलीवाल हास्पिटल, भोपाल
26. मेसर्स एल.बी.एस. हास्पिटल, भोपाल
27. मेसर्स गेस्ट्रो केयर हास्पिटल, भोपाल
28. मेसर्स एम.जे. हास्पिटल, भोपाल

29. मेसर्स बैरसिया जनरल हास्पिटल, भोपाल
30. मेसर्स किड केयर हास्पिटल, भोपाल
31. मेसर्स वेदान्ता हास्पिटल, भोपाल
32. मेसर्स नेचर हास्पिटल, भोपाल
33. मेसर्स डॉलफिन हास्पिटल, भोपाल
34. मेसर्स प्रांजल हास्पिटल, भोपाल
35. मेसर्स सीईटीपी गोविंदपुरा, भोपाल
36. मेसर्स आई लॉण्डी, भोपाल
37. मेसर्स रिधिखिल इलेक्ट्रीकल्स प्रा.लि., भोपाल
38. मेसर्स सुरजीत हुन्डई, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल
39. मेसर्स लेण्डमार्क कार प्रा.लि. गोविंदपुरा, भोपाल
40. मेसर्स संस्कृति मैरिज गार्डन, रायसेन रोड, भोपाल
41. मेसर्स गैलेक्सी हास्पिटल, भोपाल
42. मेसर्स चिरायु हास्पिटल, मालीपुरा, भोपाल
43. मेसर्स श्री एम फेक्चर हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, भोपाल
44. मेसर्स अंकुर मेटरनिटी एण्ड नर्सिंग होम, भोपाल
45. मेसर्स सेवा सदन आई हास्पिटल, भोपाल
46. मेसर्स गुरु आशीष हास्पिटल, भोपाल
47. मेसर्स शारदा हास्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, भोपाल
48. मेसर्स भोपाल फेक्चर हास्पिटल, भोपाल
49. मेसर्स अवीसेना मल्टी स्पेशलिटी हास्पिटल, भोपाल
50. मेसर्स अक्षय हास्पिटल, भोपाल
51. मेसर्स ग्लोबल मल्टी सुपरस्पेशलिटी हास्पिटल, भोपाल
52. मेसर्स बी.एस. सक्लेचा हास्पिटल, भोपाल
53. मेसर्स ठबन्तु हार्ट इन्सटीट्यूट, भोपाल
54. मेसर्स सहारा फेक्चर एण्ड जनरल हास्पिटल, भोपाल
55. मेसर्स श्री साई हास्पिटल, भोपाल
56. मेसर्स मेयो हास्पिटल, भोपाल
57. मेसर्स मनोरिया हास्पिटल, भोपाल
58. मेसर्स माताश्री नेत्रालय हास्पिटल, भोपाल
59. मेसर्स आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज, भोपाल
60. मेसर्स आरकेडीएफ यूनीवर्सिटी, भोपाल
61. मेसर्स सीएफएसएल, भोपाल

62. मेसर्स ब्लू बबल्स इण्डस्ट्रीयल लॉण्ड्री, रायसेन
63. मेसर्स सी.जे. जिलेटिन लिमिटेड, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
64. मेसर्स राजस्थान उद्योग, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
65. मेसर्स एरेस्टो फार्मास्यूटीकल्स प्रा.लि., औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
66. मेसर्स आरोग्य हास्पिटल, मण्डीदीप, रायसेन
67. मेसर्स कांति बिचरेजेस (प्रा.) लिमिटेड, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
68. मेसर्स टी.एस.एस. फूड, उदयपुरा, रायसेन
69. मेसर्स अन्वी फूड्स, पिपलियामीरा, सीहोर
70. मेसर्स सिद्धार्थ हास्पिटल, आष्टा, सीहोर
71. मेसर्स पुष्प कल्याण हास्पिटल, आष्टा, सीहोर
72. मेसर्स केयर हास्पिटल, आष्टा, सीहोर
73. मेसर्स निदान हास्पिटल, सीहोर
74. मेसर्स अल्फा प्रोटीन्स प्रा.लि. भाऊखेड़ी, सीहोर
75. मेसर्स सपना फूड इण्डस्ट्रीज, सीहोर
76. मेसर्स लायन फेब्रिक्स लिमिटेड, सीहोर
77. मेसर्स मिल्क चिलिंग सेन्टर (भोपाल सहकारी दुग्ध संघ), सीहोर
78. मेसर्स बैतूल फ्रेक्चर हास्पिटल, बैतूल
79. मेसर्स आशीर्वाद हास्पिटल, बैतूल
80. मेसर्स संजीवनी हास्पिटल, बैतूल
81. मेसर्स वैष्णव हास्पिटल, हरदा
82. मेसर्स पल्स हास्पिटल, हरदा
83. मेसर्स प्रियंका नर्सिंग होम, हरदा
84. मेसर्स भागवती नर्सिंग होम, हरदा
85. मेसर्स सिटी हास्पिटल, हरदा
86. मेसर्स सिटी नर्सिंग होम, हरदा
87. मेसर्स रेवा हास्पिटल, हरदा
88. मेसर्स तुषित नर्सिंग होम, हरदा
89. मेसर्स काकाजी हास्पिटल, हरदा
90. मेसर्स मानकर ट्रामा एण्ड मेटरनिटी केयर सेंटर, हरदा
91. मेसर्स सद्भावना हास्पिटल, हरदा
92. मेसर्स त्रिपाठी नर्सिंग होम, हरदा
93. मेसर्स सावरिया एग्रो ऑयल्स लिमिटेड, (राईस डिवीजन यूनिट-2), होशंगाबाद
94. मेसर्स मां शारदा हास्पिटल, होशंगाबाद

95. मेसर्स केशव हास्पिटल, होशंगाबाद
96. मेसर्स सेन्ट जोसेफ हास्पिटल, होशंगाबाद
97. मेसर्स गुप्ता नर्सिंग होम, होशंगाबाद
98. मेसर्स मनीष हास्पिटल, होशंगाबाद
99. मेसर्स केशव चाइल्ड केयर हास्पिटल, होशंगाबाद
100. मेसर्स रेवा नर्सिंग होम, होशंगाबाद
101. मेसर्स न्यू पाण्डेय हास्पिटल, होशंगाबाद
102. मेसर्स आर्डनेन्स फॅक्ट्री, इटारसी, होशंगाबाद
103. मेसर्स सिक्वोरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद
104. मेसर्स प्रगति फूड्स, पिपरिया, होशंगाबाद
105. मेसर्स कृष्णा रिसोर्ट एण्ड मैरिज गार्डन, इटारसी, होशंगाबाद
106. मेसर्स राजेश्वरी मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
107. मेसर्स नर्मदा नमन मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
108. मेसर्स गीता भवन मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
109. मेसर्स केसरी मैरिज गार्डन, होशंगाबाद
110. मेसर्स आकाश ज्योति हास्पिटल, विदिशा
111. मेसर्स डॉ. हरिशंकर हास्पिटल, विदिशा
112. मेसर्स सुन्दर डेयरी, विदिशा
113. मेसर्स विनायक मैरिज गार्डन, विदिशा
114. मेसर्स आशीर्वाद मैरिज गार्डन, विदिशा
115. मेसर्स तुलसी मैरिज गार्डन, विदिशा
116. मेसर्स जालौरी मैरिज गार्डन, विदिशा
117. मेसर्स वृन्दावन मैरिज गार्डन, विदिशा
118. मेसर्स कपूर गार्डन, विदिशा
119. मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (एस.एफ.डी.) नागदा, जिला उज्जैन
120. मेसर्स अग्रवाल सोया, नीमच
121. मेसर्स फिल्टरको, नीमच
122. मेसर्स होटल शेल्टर इन, बस स्टैण्ड छतरपुर
123. मेसर्स होटल ऊषा बुंदेला, खजुराहो, छतरपुर
124. मेसर्स होटल यश लॉजिस्टिक्स, खजुराहो, छतरपुर
125. मेसर्स अनुराग सिटी मॉल, छतरपुर
126. मेसर्स भाग्योदय तीर्थ हास्पिटल, सागर
127. मेसर्स श्री चैतन्य हास्पिटल, सागर

128. मेसर्स गणेश नर्सिंग होम, सागर
129. मेसर्स किलकारी चाइल्ड हास्पिटल, सागर
130. मेसर्स खन्ना यूरोलॉजी, सागर
131. मेसर्स शांति नर्सिंग होम, सागर
132. मेसर्स सागरश्री हास्पिटल, सागर
133. मेसर्स श्री अरविंद हास्पिटल होम, सागर
134. मेसर्स चौबे हास्पिटल, छतरपुर
135. मेसर्स प्रेमरूपा नर्सिंग होम, छतरपुर
136. मेसर्स डॉ. एम.पी.एन. खरे हास्पिटल, छतरपुर
137. मेसर्स चौहान नर्सिंग होम, नौगाँव छतरपुर
138. मेसर्स पालीवाल चाइल्ड हास्पिटल, दमोह
139. मेसर्स रामराजा सुपर मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल, ओरछा, टीकमगढ़
140. मेसर्स वी.आर. आर्यल, ए.बी. रोड, मुरैना
141. मेसर्स विक्रम वूली, जी.एच.- 1 से 4, मालनपुर, इण्डस्ट्रीयल एरिया, भिण्ड
142. मेसर्स क्रॉम्पटन ग्रीन्ज, प्लॉट नं. टी-1 इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालनपुर, जिला भिण्ड
143. मेसर्स मॉन्टेज इंटरप्राइजेस प्रा.लि., प्ल.-1, धिरोंगी, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालनपुर, जिला भिण्ड
144. मेसर्स हर्षित टेक्सटाइल, बिरलानगर, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्वालियर
145. मेसर्स कुसुम हेल्थकेयर प्रा.लिमि., एसईजेड पीथमपुर, जिला धार
146. मेसर्स एम.पी.ए.के.व्ही.एन. इन्दौर लिमि. कॉमन सर्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसईजेड फेस-1, पीथमपुर, जिला धार
147. मेसर्स दुर्गा फूड प्रोडक्ट, इन्दौर
148. मेसर्स सन साईन कार, 01, महावीर नगर, एयरपोर्ट रोड, इन्दौर
149. मेसर्स तुलसी अमृत प्रा.लि., सेक्टर डी, सांवेर रोड इन्दौर
150. मेसर्स जबलपुर मोटर्स, 31 मैकेनिक नगर इन्दौर
151. मेसर्स प्युरोकेयर, मोहम्मदपुरा, बुरहानपुर
152. मेसर्स सांघी ब्रदर्स (इन्दौर) प्रा. लि. पिपल्याकुमार, देवास नाका इन्दौर
153. मेसर्स असीम टेक्नोलॉजी प्रा.लि., 25/बी, लक्ष्मीबाई औ.क्षे. इन्दौर
154. मेसर्स यूल इंजेक्शन 53/1, लसूडिया मोरी देवास नाका, इन्दौर
155. मेसर्स साई पॉलीमर्स
156. मेसर्स इण्डस मेगा फूड पार्क प्रा.लि., निमरानी,
157. मेसर्स एसोसिएट अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज प्रा.लि., बुरहानपुर, खरगोन
158. मेसर्स श्री ऑटोमोबाईल्स प्रा.लि., इन्दौर
159. मेसर्स गुर्जर फाईटोकेम, सेक्टर-डी, औ.क्षे. इन्दौर
160. मेसर्स पूर्नी इन्फ्रा इण्डिया प्रा.लि. (सेन्ड माईन प्लांट) पूर्नी, खरगोन

161. मेसर्स लीला फूड प्रा.लि. निमरानी, खरगोन,
162. मेसर्स प्योर एंड श्योर फूड बाईटस प्रा. लि., इन्दौर,
163. मेसर्स सी.ई.टी.पी. (सांखेर रोड औद्योगिक क्षेत्र) नगर निगम, इन्दौर
164. मेसर्स भास्कर व्यंकटेश प्रोडक्ट प्रा. लि. यूनिट-2, इन्दौर
165. मेसर्स सहज हास्पिटल, इन्दौर
166. मेसर्स स्वयंवर गार्डन, इन्दौर
167. मेसर्स एच.आर. रिसोर्ट एंड मैरिज गार्डन, इन्दौर
168. मेसर्स शिवसुंदर एंड कंपनी (होटल रेडिएंट), इन्दौर
169. मेसर्स रिलायबल इन्फ्राबूल (कल्याणम होटल), इन्दौर
170. मेसर्स रॉयल आर्चिड गार्डन, इन्दौर
171. मेसर्स इंदौर मल्टीफंक्शनल प्रा. लि. (होटल यूनिट), इन्दौर
172. मेसर्स बिंजालिया फार्म्स एंड रिसोर्ट, इन्दौर
173. मेसर्स अंबर गार्डन, इन्दौर
174. मेसर्स भंडारी फार्मस् एंड रिसोर्ट, इन्दौर
175. मेसर्स मर्यक ब्लू वाटर पार्क (मैरिज गार्डन), इन्दौर
176. मेसर्स नरसिंह वाटिका, इन्दौर
177. मेसर्स ओमनी रेसीडेन्सी (मैरिज गार्डन), इन्दौर
178. मेसर्स पपया ट्री होटल एंड रिसोर्ट, इन्दौर
179. मेसर्स उत्सव होटल एंड रिसोर्ट, बुरहानपुर
180. मेसर्स राजश्री अपोलो हास्पिटल, इन्दौर
181. मेसर्स अम्बे प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
182. मेसर्स आयुष प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
183. मेसर्स देव एलम एण्ड कोमिकल्स, खरगोन
184. मेसर्स गायत्री कोर्टिंग, बुरहानपुर
185. मेसर्स कमल प्रोसेस, बुरहानपुर
186. मेसर्स महाराजा प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
187. मेसर्स श्री राम प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
188. मेसर्स सप्राट प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
189. मेसर्स सुनीता इलेक्ट्रोप्लेटर्स, 7/1, औ.क्षे. रामबली नगर इन्दौर
190. मेसर्स श्रुति स्नेक्स, इन्दौर
191. मेसर्स अग्रवाल डिस्टलरी प्रा.लि. बड़वाह, खरगोन
192. मेसर्स सी.आई.एल. टेक्सटाईल लि., शिवनगर, इन्दौर
193. मेसर्स खण्डवा आईल लि. (यूनिट-1), खण्डवा

194. मेसर्स वियरईट ग्लोबल, भीलपुरा, खरगोन
195. मेसर्स ट्रेन्ट केमिकल्स लि., मेघनगर, जिला-झाबुआ
196. मेसर्स कृष्णा फॉस्फेस प्रा. लि. (यूनिट-3), नवीन इकाई, मेघनगर, जिला-झाबुआ
197. मेसर्स ब्रोमोस केमिकल्स, मेघनगर, जिला-झाबुआ
198. मेसर्स अंजनिया इंडस्ट्रीज, मेघनगर, जिला-झाबुआ
199. मेसर्स व्ही ई कामर्शियल व्हीकल्स लि., बस बोर्डी प्लान्ट, बग्गड, जिला-धार
200. मेसर्स मारेवा शुगरस प्रा. लि., नर्मदानगर, कुशी, जिला-धार
201. मेसर्स होटल रॉयल पैलेस-1, मांडव, जिला-धार
202. मेसर्स वेकमेट इंडिया लि., औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला-धार
203. मेसर्स मेघनगर फार्माकेम प्रा. लि., औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, जिला-झाबुआ
204. मेसर्स नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड ग्राम-पोडार, तहसील-गाडरवारा जिला-नरसिंहपुर
205. मेसर्स नर्मदा जिलेटिन्स लि., मौरगंज, जिला जबलपुर
206. मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि. मलाजखण्ड, जिला बालाघाट
207. मेसर्स शक्ति शुगर मिल, नरसिंहपुर
208. मेसर्स करेली शुगर मिल, करेली, जिला नरसिंहपुर
209. मेसर्स नगर पालिक निगम जबलपुर
210. मेसर्स ए.पी.त्रिवेदी मैगनीज ओर माइन्स, जिला बालाघाट
211. मेसर्स करेली शुगर मिल, करेली, जिला नरसिंहपुर
212. मेसर्स रेवाकृपा शुगर मिल प्रा.लि., जिला जबलपुर
213. मेसर्स बंशिका शुगर मिल, ग्राम बिलगुआ, जिला नरसिंहपुर
214. मेसर्स प्रकृति इण्डस्ट्रीज, जिला जबलपुर
215. मेसर्स राज राजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि., जिला नरसिंहपुर
216. मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका मैगनीज ओर माइन्स, जिला बालाघाट
217. मेसर्स इडियन आयल कारपोरेशन लिमि., जिला मण्डला
218. मेसर्स शिखर जी राईस आलय मिल, जिला सिवनी
219. मेसर्स एन.टी.पी.सी. गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर
220. मेसर्स आनन्द परवायलिंग (यूनिट-2), बालाघाट
221. मेसर्स संचेती राईस मिल, बालाघाट
222. मेसर्स आकाश राईस मिल, बालाघाट
223. मेसर्स श्री परवाईलिंग, बालाघाट
224. मेसर्स अग्रवाल परवाईलिंग, बालाघाट
225. मेसर्स बालाजी परवाईलिंग, बालाघाट
226. मेसर्स चौरडिया ईडबिल आयल, बालाघाट

227. मेसर्स होटल नर्मदा जैक्सन, सिविल लाईन, जबलपुर
228. मेसर्स सत्य अशोका होटल, राईट टाउन, जबलपुर
229. मेसर्स तथास्तु रिसोर्ट, पेंच, सिवनी
230. मेसर्स किपलिंग कोर्ट रिसोर्ट, सिवनी
231. मेसर्स कान्हा सफारी लाज, मुक्की गेट, बालाघाट
232. मेसर्स बाईसन हाइवे रिसोर्ट, रूखड, सिवनी
233. मेसर्स स्टैण्डर्ड आटो एजेन्सी, जबलपुर
234. मेसर्स स्पेलडिड आटो एजेन्सी, जबलपुर
235. मेसर्स कामर्शियल मोटर्स सेल, जबलपुर
236. मेसर्स खटवानी मोटर्स, करमेता, जबलपुर
237. नगर पालिका परिषद मण्डला
238. मेसर्स आदित्य हास्पिटल, जबलपुर
239. मेसर्स सेठ मन्नुलाल जगन्नाथ हास्पिटल (शैलबी), विजय नगर, जबलपुर
240. मेसर्स भण्डारी हास्पिटल, जबलपुर
241. मेसर्स बाभ्ने हास्पिटल, जबलपुर
242. मेसर्स दुबे सर्जिकल हास्पिटल, जबलपुर
243. मेसर्स रक्षा निधि मेटेलिटी हास्पिटल, जबलपुर
244. मेसर्स सेन्द्रल इंडिया किडनी हास्पिटल, जबलपुर
245. मेसर्स लक्ष्मी नारायण हास्पिटल, जबलपुर
246. मेसर्स अनंत हास्पिटल, जबलपुर
247. मेसर्स शंकराचार्य नेत्र चिकित्सालय हास्पिटल, नरसिंहपुर
248. मेसर्स आशीष हास्पिटल, जबलपुर
249. मेसर्स स्वार्थिक हास्पिटल, जबलपुर
250. मेसर्स संजीव हास्पिटल, जबलपुर
251. मेसर्स जबलपुर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, जबलपुर
252. मेसर्स सिटी हास्पिटल, जबलपुर
253. मेसर्स बेस्ट सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल, जबलपुर
254. मेसर्स साहू हास्पिटल, नरसिंहपुर
255. मेसर्स चिरायु हास्पिटल, जबलपुर
256. मेसर्स मार्बल सिटी हास्पिटल, जबलपुर
257. मेसर्स ग्रीष्म हास्पिटल, जबलपुर
258. मेसर्स कटरा हास्पिटल, मण्डला
259. मेसर्स पाण्डेय हास्पिटल, जबलपुर

260. मेसर्स अशीष हास्पिटल, करेली, नरसिंहपुर
261. मेसर्स शीतल छाया हास्पिटल, जबलपुर
262. मेसर्स अशिल हास्पिटल, नरसिंहपुर
263. मेसर्स सुविधा हास्पिटल, जबलपुर
264. मेसर्स दादा वीरेन्द्र पुरी जी आई हास्पिटल, जबलपुर
265. मेसर्स चित्रकूट आई कैंसर हास्पिटल, जबलपुर
266. मेसर्स जौहरी हास्पिटल, जबलपुर
267. मेसर्स चन्द्रकला हास्पिटल, बालाघाट
268. मेसर्स अपेक्स हास्पिटल, जबलपुर
269. मेसर्स पडारकर हास्पिटल, नरसिंहपुर
270. मेसर्स लाईफ मेडिसिटी हास्पिटल, जबलपुर
271. मेसर्स टी.एन.शुक्ला आई हास्पिटल, जबलपुर
272. मेसर्स सिसोदिया नर्सिंग होम, मण्डला
273. मेसर्स बड़गैया डेयरी फार्म, इमलिया, जबलपुर
274. मेसर्स मूरज बनारसी डेयरी फार्म, इमलिया जबलपुर
275. मेसर्स रामधीन डेयरी फार्म, इमलिया, जबलपुर
276. मेसर्स मिश्रा जी डेयरी फार्म, इमलिया, जबलपुर
277. मेसर्स प्रेमसिंह डेयरी फार्म, इमलिया, जबलपुर
278. मेसर्स सेठी डेयरी फार्म, इमलिया, जबलपुर
279. मेसर्स सुभाष बलहारा डेयरी फार्म, कन्द्रखेड़ा, जबलपुर
280. मेसर्स यादव डेयरी फार्म (श्री राजेश), कन्द्रखेड़ा, जबलपुर
281. मेसर्स वेदराज केशवानी डेयरी फार्म, कन्द्रखेड़ा, जबलपुर
282. मेसर्स रामसुजान अवस्थी डेयरी फार्म, कन्द्रखेड़ा, जबलपुर
283. मेसर्स मुरली डेयरी फार्म, कन्द्रखेड़ा, जबलपुर
284. मेसर्स पारस डेयरी फार्म, कन्द्रखेड़ा, जबलपुर
285. मेसर्स धनीराम अवस्थी डेयरी फार्म, कन्द्रखेड़ा, जबलपुर
286. मेसर्स नारंग डेयरी फार्म, कन्द्रखेड़ा, जबलपुर
287. मेसर्स हरि सिंह डेयरी फार्म, कन्द्रखेड़ा, जबलपुर
288. मेसर्स कुन्दन डेयरी फार्म, कन्द्रखेड़ा, जबलपुर
289. मेसर्स अक्षित कोहली डेयरी फार्म, परियट, जबलपुर
290. मेसर्स गुरुकृपा डेयरी फार्म, परियट, जबलपुर
291. मेसर्स भोला डेयरी फार्म, कन्द्रखेड़ा, जबलपुर
292. मेसर्स बलहारा डेयरी फार्म, परियट, जबलपुर

293. मेसर्स राजेन्द्र मौनी डेयरी, परियट, जबलपुर
294. मेसर्स आदर्श डेयरी फार्म, परियट, जबलपुर
295. मेसर्स जनता डेयरी फार्म, सालीवाड़ा, जबलपुर
296. मेसर्स मिटटू यादव डेयरी फार्म, गौरैयाघाट, जबलपुर
297. मेसर्स जीत पशरीचा डेयरी फार्म, गौरैयाघाट, जबलपुर
298. मेसर्स मामा डेयरी फार्म, जमतारा, जबलपुर
299. मेसर्स शर्मा डेयरी फार्म, जमतारा, जबलपुर
300. मेसर्स शेख बाबू डेयरी फार्म, जमतारा, जबलपुर
301. मेसर्स नवीन लोरीन लिमि., देवास
302. मेसर्स सन फार्मा लिमि., देवास
303. मेसर्स संघवी फूड्स प्रा.लिमि., देवास
304. मेसर्स आरती इंडस्ट्रीज लि., पीथमपुर
305. मेसर्स धनवंतरी ऑटो इंडस्ट्रीज, पीथमपुर
306. मेसर्स क्वाल्लिपैक पैकेजिंग प्रा.लि., पीथमपुर
307. मेसर्स माल्लिका एग्रोटेक प्रा.लि., पीथमपुर
308. मेसर्स कनिका एक्सपोर्ट्स., पीथमपुर
309. मेसर्स मदरसन सुमी सिस्टम लि., पीथमपुर
310. मेसर्स गतिमान ऑटो प्रा.लि. (यूनिट 1), पीथमपुर
311. मेसर्स एन पंजाब शुगर, ग्राम हरनाखेडी, तहसील चांद, जिला छिंदवाडा
312. मेसर्स सुंदर फूड प्रोडक्ट्स, औद्योगिक क्षेत्र बोरगांव, तहसील सोसर, जिला छिंदवाडा
313. मेसर्स भोपाल एण्ड ग्लूज केमीकल्स प्रा.लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
314. मेसर्स हिन्दुस्तान कोकाकोला बैवरीज प्रा.लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
315. मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
316. मेसर्स मधुमिलन इण्ड.(प्रोसेस एण्ड डाईंग), ब्यावर, जिला राजगढ़
317. मेसर्स दिन्शा डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा.लि., कुरावर, जिला राजगढ़
318. मेसर्स वैल्यू रिसाइकलर्स एण्ड रिक्लेमर्स प्रा.लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
319. मेसर्स आनन्द शिव मैरिज गार्डन, बोदा रोड, रीवा
320. मेसर्स श्री साईं मैरिज गार्डन, फूलमती मंदिर के पास, बाणसागर कालोनी रोड, रीवा
321. मेसर्स संस्कृति मैरिज गार्डन, रिलायंस पम्प के सामने, बरा, रीवा
322. मेसर्स गीतांजली मैरिज गार्डन, वार्ड 35, फोर्ट रोड, रीवा
323. मेसर्स आर्शावाद मैरिज गार्डन, पडरा, रीवा
324. मेसर्स प्रताप हेरीटेज मैरिज गार्डन, नेहरूनगर कालोनी रोड, रीवा
325. मेसर्स उत्सव सदन मैरिज गार्डन, वार्ड नं. 15, समान, रीवा

326. मेसर्स उत्सव राजविलास मैरिज गार्डन, पीलीकोठी, रीवा
327. मेसर्स जलसा इन मैरिज गार्डन, हीरालाल कालोनी, रीवा
328. मेसर्स बृन्दावन मैरिज गार्डन, झिरिया, रीवा
329. मेसर्स गंगोत्री मैरिज गार्डन, झिरिया, रीवा
330. मेसर्स रायल मैरिज गार्डन, रिलायंस पम्प के सामने, बरा, रीवा
331. मेसर्स आशियाना मैरिज गार्डन, गुलाब नगर, रीवा
332. मेसर्स साधुश्री मैरिज गार्डन, समान बाँध, रीवा
333. मेसर्स न्यू स्वयंबर मैरिज गार्डन, नरेंद्र नगर, रीवा
334. मेसर्स लक्ष्मीबाग मैरिज गार्डन, होटल लैडमार्क के पास, रीवा
335. मेसर्स युवराज मैरिज गार्डन, मानस भवन के पास, रीवा
336. मेसर्स ग्रीनलैंड मैरिज गार्डन, द्वारिका नगर, रीवा
337. मेसर्स अशोक वाटिका मैरिज गार्डन, डेकहा, रीवा
338. मेसर्स संजय गांधी चिकित्सालय, रीवा
339. मेसर्स अश्वाल नर्सिंग होम, रीवा
340. मेसर्स चौरसिया नर्सिंग होम, रीवा
341. मेसर्स चहक चाइल्ड केयर नर्सिंग होम, रीवा
342. मेसर्स पसोनिबा सर्जिकल नर्सिंग होम, रीवा
343. मेसर्स साईंकृपा नर्सिंग होम, रीवा
344. मेसर्स शांति हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर, रीवा
345. मेसर्स गोस्वामी एक्सरे एण्ड पैथालाजी, रीवा
346. मेसर्स मिथिलेश मेमोरियल हास्पिटल, रीवा
347. मेसर्स नीता नर्सिंग होम, रीवा
348. मेसर्स सागर नर्सिंग होम, रीवा
349. मेसर्स तीर्थ मेमोरियल हास्पिटल, रीवा
350. मेसर्स खिंध्या हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, रीवा
351. मेसर्स शिवम पैथालाजी, रीवा
352. मेसर्स डी.के. हास्पिटल, सीधी
353. मेसर्स बिघ्नहर्ता हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर, रीवा
354. मेसर्स चिरायु हास्पिटल सिरमौर चौक, रीवा
355. मेसर्स शंकर नर्सिंग होम, बरा, रीवा
356. मेसर्स मिश्रा नर्सिंग होम, सीधी
357. मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल, अमलाई, जिला शहडोल
358. मेसर्स अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, चचाई, जिला अनूपपुर

359. मेसर्स निर्मल छाया रिसार्ट, बाँधवगढ़, उमरिया
360. मेसर्स लेमन ट्री रिसार्ट, बाँधवगढ़, उमरिया
361. मेसर्स मेडास रिसार्ट, बाँधवगढ़, उमरिया
362. मेसर्स साईना रिसार्ट, बाँधवगढ़, उमरिया
363. मेसर्स एम.बी.पावर (म.प्र.) प्रा.लि., जैतहरी, जिला अनूपपुर
364. मेसर्स खैरहा यू.जी माइन्स, जिला शहडोल
365. मेसर्स धनपुरी यू.जी. माइन, जिला शहडोल
366. मेसर्स शारदा ओ.सी. माइन, जिला शहडोल
367. मेसर्स विन्ध्या यू.जी. माइन, जिला उमरिया
368. मेसर्स बहेरा बांध यू.जी. माइन, जिला अनूपपुर
369. मेसर्स नटराज फुड प्रोडक्ट, इमलिया, जिला कटनी
370. मेसर्स श्री हास्पिटल, कटनी
371. मेसर्स जी.जी.नर्सिंग होम, कटनी
372. मेसर्स चांडक हास्पिटल, कटनी
373. मेसर्स स्टार रिकवरी हास्पिटल, कटनी
374. मेसर्स धर्मलोक हास्पिटल, कटनी
375. मेसर्स एम.जी.एम. हास्पिटल, कटनी
376. मेसर्स जय प्रकाश पावर बेंचर लि., अमिलिया नार्थ ओपन कास्ट कोल माईंस, जिला सिंगरौली
377. मेसर्स जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट, निगरी, जिला सिंगरौली
378. मेसर्स मोहेर एण्ड मोहेर अमलोरी एक्सटेंशन ओपन कास्ट कोल माईंस, जिला सिंगरौली
379. मेसर्स व्ही. कमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लि., विन्धनगर, सिंगरौली
380. मेसर्स एस्सार पावर (एम.पी.) लि., बंधौरा, जिला सिंगरौली
381. मेसर्स टूरिस्ट बंग्लो चित्रकूट, जिला सतना
382. मेसर्स होटल सुरबहार, मैहर, जिला सतना
383. मेसर्स होटल भरहुत, सतना
384. मेसर्स सार्थक हास्पिटल, सतना
385. मेसर्स सदगुरू हास्पिटल, चित्रकूट, जिला सतना
386. मेसर्स नाहर नर्सिंग होम, सतना
387. मेसर्स शारदा हास्पिटल, राजेन्द्र नगर, सतना

क्र. उद्योग / संस्थान / खदान का नाम

- 1 मेसर्स जे.के. फेब्रीकेटर्स, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
- 2 मेसर्स काकड़ा रोलिंग मिल, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
- 3 मेसर्स स्टेग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. (स्टोन क्रेशर), भोपाल
- 4 मेसर्स सुधीर जैन स्टोन क्रेशर, भोपाल
- 5 मेसर्स भोपाल इंसीनरेटर लिमिटेड, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
- 6 मेसर्स पीपुल्स मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, भोपाल
- 7 मेसर्स विशाल स्टोन क्रेशर, नीलबड़, भोपाल
- 8 मेसर्स सफायर माईन्स (स्टोन क्रेशर), नीलबड़, भोपाल
- 9 मेसर्स तुलसी आहूजा स्टोन क्रेशर, नीलबड़, भोपाल
- 10 मेसर्स परमानंद पाटीदार स्टोन क्रेशर, बरखेड़ानाथू, भोपाल
- 11 मेसर्स क्यूब कन्स्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड, (आर.एम.सी. प्लांट), भोपाल
- 12 मेसर्स किसान स्टोन क्रेशर, भोपाल
- 13 मेसर्स आनन्द टायर वर्क्स, भोपाल
- 14 मेसर्स माधव इन्फ्र प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इंगल इन्फ्रा इण्डिया (जेवी) (आरएमसी प्लांट), भोपाल
- 15 मेसर्स माधव इन्फ्र प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इंगल इन्फ्रा इण्डिया (जेवी) (स्टोन क्रेशर यूनिट), भोपाल
- 16 मेसर्स हटे सिंह सोलंकी स्टोन क्रेशर, भोपाल
- 17 मेसर्स मलिक इन्फ्राटेक स्टोन क्रेशर, भोपाल
- 18 मेसर्स रिचिल इलेक्ट्रीकल्स, औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
- 19 मेसर्स सावरिया एगो ऑयल्स लिमिटेड, (ऑयल डिबीजन) औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
- 20 मेसर्स ब्लू बबल्स इण्डस्ट्रीयल लॉण्डी, रायसेन
- 21 मेसर्स शुभम् इण्डस्ट्रीज, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
- 22 मेसर्स रासविन रबर्स प्रा.लि. (यूनिट-2), रायसेन
- 23 मेसर्स शिवप्रिया दाल मिल, बरेली, रायसेन
- 24 मेसर्स आशीष इन्फ्राकॉम प्रा.लि. (हॉट मिक्स प्लांट), रायसेन
- 25 मेसर्स मैक्सन हेल्थ केयर, औ.क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
- 26 मेसर्स नासिर खान स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 27 मेसर्स शुभम् इण्डस्ट्रीज, रायसेन
- 28 मेसर्स शुभम् पटेल स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 29 मेसर्स शांति बाई स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 30 मेसर्स सैयद नूरुल हसन परवेज स्टोन क्रेशर, रायसेन

- 31 मेसर्स कुमारी रानी ठाकुर स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 32 मेसर्स राजेश राठोर स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 33 मेसर्स टी.एस.एस. फूड्स, रायसेन
- 34 मेसर्स बंसल कन्सट्रक्शन वर्क्स स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 35 मेसर्स गौरव पचौरी स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 36 मेसर्स मोहनी गोस्वामी स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 37 मेसर्स वीरेन्द्र सिंह राजपूत स्टोन क्रेशर, रायसेन
- 38 मेसर्स माँ नर्मदा आटा उद्योग, उदयपुरा, रायसेन
- 39 मेसर्स सावरिया एग्रो ऑयल्स लिमिटेड, (राईस डिवीजन यूनिट-2), इटारसी, होशंगाबाद
- 40 मेसर्स नटराज प्रोटोन्स, इटारसी, होशंगाबाद
- 41 मेसर्स राधा स्टोन क्रेशर, हरदा
- 42 मेसर्स रूपेश पाठक स्टोन क्रेशर, हरदा
- 43 मेसर्स छोटे लाल सरोदे स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 44 मेसर्स नितेश परिहार स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 45 मेसर्स तिरूपती बिल्डकॉम प्रा.लि. (स्टोन क्रेशर), बैतूल
- 46 मेसर्स बी.डी. स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 47 मेसर्स राजेश सिंह ठाकुर स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 48 मेसर्स बस्तीराम लवीस्कर स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 49 मेसर्स नीलेश बटकुले स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 50 मेसर्स शैलेश सिंह सिकरवार स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 51 मेसर्स माँ कर्मा स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 52 मेसर्स विनोद कुमार शुक्ला कन्सट्रक्शन प्रा.लि. (स्टोन क्रेशर, आरएमसी, डब्ल्यूएमएम, एचएमपी), बैतूल
- 53 मेसर्स आईकेम इंजीनियरिंग कंपनी प्रा.लि., बैतूल
- 54 मेसर्स आयुष स्टोन क्रेशर, बैतूल
- 55 मेसर्स याकूब खान स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 56 मेसर्स संजीव दांगी स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 57 मेसर्स ए.के. दत्ता स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 58 मेसर्स दिलीप सिंह रघुवंशी (एचएमपी, आरएमसी, डब्ल्यूएमएम प्लांट), विदिशा
- 59 मेसर्स मुजाहिद अली स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 60 मेसर्स दिलीप सिंह रघुवंशी स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 61 मेसर्स दिलीप सिंह रघुवंशी स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 62 मेसर्स बंसल कन्सट्रक्शन वर्क्स (एचएमपी, आरएमसी, प्लांट), विदिशा
- 63 मेसर्स बंसल कन्सट्रक्शन वर्क्स स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 64 मेसर्स वीरेन्द्र सिंह भीणा स्टोन क्रेशर, विदिशा
- 65 मेसर्स अन्वी फूड्स, पिपलियामीरा, सीहोर

- 66 मेसर्स त्रिलोक सिंह स्टोन क्रेशर, सीहोर
- 67 मेसर्स कमल सिंह ठाकुर स्टोन क्रेशर, सीहोर
- 68 मेसर्स इनवायरमेंट प्रोटेक्शन कार्पोरेशन, सीहोर
- 69 मेसर्स अल्फा प्रोटीन्स प्रा.लि., भाऊखेड़ी, सीहोर
- 70 मेसर्स सपना फूड इण्डस्ट्रीज, सीहोर
- 71 मेसर्स चेतन सिंह स्टोन क्रेशर, सीहोर
- 72 मेसर्स अन्नपूर्णा ठाकुर स्टोन क्रेशर, सीहोर
- 73 मेसर्स लायन फेब्रिक्स लिमिटेड, सीहोर
- 74 मेसर्स अंबिका साल्वेक्स लि., जावरा, जिला रतलाम
- 75 मेसर्स डी.पी. वायर, रतलाम
- 76 मेसर्स बंसत एग्रो, नीमच
- 77 मेसर्स पंकज पुरोहित स्टोन क्रेशर, रतलाम
- 78 मेसर्स सुभाषचंद्र जैन स्टोन क्रेशर रतलाम
- 79 मेसर्स भारत पिता श्री श्यामसुंदर राठौर रतलाम
- 80 मेसर्स मोहब्बत अली स्टोन क्रेशर जावरा जिला रतलाम
- 81 मेसर्स आर.कबीर (सितारा खान) स्टोन क्रेशर, रतलाम
- 82 मेसर्स चेतक इंटरप्राइजेस, ग्राम सुवाखेड़ा, जिला नीमच
- 83 मेसर्स आलोक पिता श्री कैलाश बैरागी, नीमच
- 84 मेसर्स प्रमौला पति श्री कैलाश बैरागी, नीमच
- 85 मेसर्स धीरज सिंह पिता श्री नरेन्द्र सिंह, नीमच
- 86 मेसर्स संजूबाई पति श्री निरंजन तिवारी, नीमच
- 87 मेसर्स चेतक इंटरप्राइजेस, नीमच बायपास, जिला नीमच
- 88 मेसर्स सागर सिसोदिया स्टोन क्रेशर, उज्जैन
- 89 मेसर्स सचिन प्रकाशचंद्र पाटीदार स्टोन क्रेशर, नागदा
- 90 मेसर्स बद्रीलाल संगीतला स्टोन क्रेशर, नागदा
- 91 मेसर्स अश्विन मारू स्टोन क्रेशर, नागदा जिला उज्जैन
- 92 मेसर्स अतुल स्टोन क्रेशर, उज्जैन
- 93 मेसर्स बदरका प्रसाद रामचन्द्र गुप्ता स्टोन क्रेशर, उज्जैन
- 94 मेसर्स रामप्रसाद पाटीदार स्टोन क्रेशर, ग्राम दलौदा, जिला मंदसौर
- 95 मेसर्स कुमावत स्टोन क्रेशर, ग्राम डोहियामीना, मंदसौर
- 96 मेसर्स अनिता पति श्री निर्मल फरख्या, सीमामठ, जिला मंदसौर
- 97 मेसर्स दिनेश ईश्वरलाल, दलौदा, जिला मंदसौर
- 98 मेसर्स हरी स्टोन क्रेशर, ग्राम खडपालिया मल्हारगढ, मंदसौर
- 99 मेसर्स मधुसूदन पाटीदार स्टोन क्रेशर, दलौदा, मंदसौर
- 100 मेसर्स तरुण अग्रवाल, देवरी शामगढ, मंदसौर

- 101 मेसर्स पृथ्वी अग्रवाल, गरोठ, मंदसौर
- 102 मेसर्स धनसिंह स्टोन क्रेशर, बाबुल्दा भानपुरा, मंदसौर
- 103 मेसर्स प्रवीण शामलीकाकड, सुवासरा, मंदसौर
- 104 मेसर्स अर्चना परमार, ग्राम अरनिया, तहसील आगर
- 105 मेसर्स अरविंद शर्मा, ग्राम डोंगरगांव, जिला आगर
- 106 मेसर्स बालाजी तिरुपति कंस्ट्रक्शन, कस्बा आगर
- 107 मेसर्स गोपाल परमार, ग्राम सुमराखेड़ी
- 108 मेसर्स महेन्द्रसिंह राठीर स्टोन क्रेशर, ग्राम तनोड़िया, जिला आगर
- 109 मेसर्स के.पी. सालवेक्स प्रा.लि., निवाड़ी, टीकमगढ़
- 110 मेसर्स आर.एस.पी.एल. यूनिट नं. 02, औ. क्षेत्र सिद्धगर्बो, सागर
- 111 मेसर्स मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट, यूनिट नं. 01, ग्राम रजौआ, सागर
- 112 मेसर्स यूनीपेच रबर लिमिटेड, प्लॉट नं. 01, महाराजपुरा, इण्डस्ट्रीयल एरिया, ग्वालियर
- 113 मेसर्स एग्रो साल्वेंट, गोविंद निवास, दतिया
- 114 मेसर्स जे.के. टायर्स इण्डस्ट्रीज, सी-1 इण्डस्ट्रीयल एरिया, बानमोर, जिला मुरैना
- 115 मेसर्स अम्बा शक्ति प्रा.लि., बानमोर औ. क्षेत्र, मुरैना
- 116 मेसर्स व्ही.आर.एस. फूड्स, मालनपुर औ. क्षेत्र, भिण्ड
- 117 मेसर्स तृप्ति एल्कोब्रेड, रायरू, जिला ग्वालियर
- 118 मेसर्स व्ही.आर. ऑयल, बानमोर, जिला मुरैना
- 119 मेसर्स मॉन्टेज, मालनपुर, जिला भिण्ड
- 120 मेसर्स कुसुम हेल्थकेयर प्रा.लिमि., एसईजेड पीथमपुर, जिला धार
- 121 मेसर्स अष्टविनायक इण्डस्ट्रीज, औ.क्षे., सांवेर रोड, इन्दौर
- 122 मेसर्स आयुष हर्बल, सेक्टर-सी, सांवेर रोड, औ.क्षे., इन्दौर
- 123 मेसर्स दुर्गा फूड प्रोडक्ट, ग्राम-बडाली, देपालपुर रोड, इन्दौर
- 124 मेसर्स एफ.एस. स्टील इण्डस्ट्रीज, सांवेर रोड, औ.क्षे. इन्दौर
- 125 मेसर्स जी.पी. कंपनी, धार रोड, इन्दौर
- 126 मेसर्स जी.पी. प्लांटिकेम, धार रोड, इन्दौर
- 127 मेसर्स गुर्जर फाईटोकेम, औ.क्षे., सांवेर रोड, इन्दौर
- 128 मेसर्स इम्प्रो सोया, औ.क्षे., सांवेर रोड, इन्दौर
- 129 मेसर्स कॅलाश टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज, बुरहानपुर
- 130 मेसर्स कृष्णा इण्डस्ट्रीज, औ.क्षे., सांवेर रोड, इन्दौर
- 131 मेसर्स कृष्णा मेटल, औ.क्षे., सांवेर रोड, इन्दौर
- 132 मेसर्स न्याती फार्मा, सेक्टर-ए, सांवेर रोड, औ.क्षे., इन्दौर
- 133 मेसर्स पारस फूड, नेमावर रोड, पालदा
- 134 मेसर्स प्योर केयर, बुरहानपुर
- 135 मेसर्स साई पॉलीमर्स, भौरासला, इन्दौर

- 136 मेसर्स शिव शक्ति इण्डस्ट्रीज, बजरंग पालिया, इन्दौर
- 137 मेसर्स श्री गणपती इण्डस्ट्रीज, निमरानी, खरगोन
- 138 मेसर्स यू.डब्ल्यू.सी. फूड्स प्रा.लि., राठ, इन्दौर
- 139 मेसर्स अग्रवाल केलेण्डरिंग वर्क्स, बुरहानपुर
- 140 मेसर्स अम्बे प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
- 141 मेसर्स अन्नपूर्णा केलेण्डरिंग वर्क्स, बुरहानपुर
- 142 मेसर्स भंडारी प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
- 143 मेसर्स ब्लैक बैरी टायर प्रा.लि., इन्दौर
- 144 मेसर्स बॉम्बे रोलिंग मिल, सांवेर रोड, इन्दौर
- 145 मेसर्स कॉन्टीनेंटल रिफेक्टरीज, सेक्टर सी, औ.क्षे., सांवेर रोड, इन्दौर
- 146 मेसर्स जिनेश इण्डस्ट्रीज, सांवेर रोड, इन्दौर
- 147 मेसर्स मध्यान्विल स्टील, औ.क्षे. सांवेर रोड इन्दौर
- 148 मेसर्स महाराजा प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
- 149 मेसर्स मंगलम प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
- 150 मेसर्स पारस प्रोसेस, बुरहानपुर
- 151 मेसर्स पवन साईजिंग, बुरहानपुर
- 152 मेसर्स आर.आर. फेब्रिक्स, बुरहानपुर
- 153 मेसर्स राघव कॉस्टिंग, सांवेर रोड, इन्दौर
- 154 मेसर्स राजेश इण्डस्ट्रीज, बुरहानपुर
- 155 मेसर्स राजकमल क्लार्थिंग एण्ड प्रोसेसिंग (इंडिया) प्रा.लि., बुरहानपुर
- 156 मेसर्स राजकमल उद्योग (यूनिट-2), बुरहानपुर
- 157 मेसर्स सम्राट प्रोसेसर्स, बुरहानपुर
- 158 मेसर्स संजय साईजिंग वर्क्स, बुरहानपुर
- 159 मेसर्स सेलवेल पॉलीमर्स, 112-बी, 115-ए, सांवेर रोड, औ.क्षे. इन्दौर
- 160 मेसर्स श्री कृंजबिहारी प्रोसेस, बुरहानपुर
- 161 मेसर्स श्री राम प्रोसेस, बुरहानपुर
- 162 मेसर्स श्रीनाथ साईजिंग इण्डस्ट्री, बुरहानपुर
- 163 मेसर्स स्वास्तिक प्रोसेस, बुरहानपुर
- 164 मेसर्स तुलसी अमृत प्रा.लि., सेक्टर डी, सांवेर रोड, इन्दौर
- 165 मेसर्स एसोसिएट डिस्टलरी लि., खोड़ी, बड़वाह, जिला खरगोन
- 166 मेसर्स दुर्गा खाण्डसारी प्रा.लि., पानसेमल, बड़वाही
- 167 मेसर्स ओएसिस डिस्टलरी., बोराली, जिला धार
- 168 मेसर्स ग्रेट गैलियन लि., घाटाबिल्लौद, जिला धार
- 169 मेसर्स तिरुपति स्टार्च एण्ड केमिकल्स लि., सेजवाया, घाटाबिल्लौद, जिला धार
- 170 मेसर्स आईबीएस ड्रग्स, घाटाबिल्लौद, जिला धार

- 171 मेसर्स कृष्णा फॉस्फेम प्रा. लि. (यूनिट-3), नवीन इकाई, मेघनगर, जिला झाबुआ
- 172 मेसर्स वेकमेट इंडिया लि., औद्योगिक क्षेत्र उज्जैनी, जिला धार
- 173 मेसर्स मेघनगर फार्मा केम प्रा. लि., औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, जिला झाबुआ
- 174 मेसर्स कृष्णा स्टोन क्रेशर, ग्राम-देवझिरीपांडा, जिला झाबुआ
- 175 मेसर्स मेसर्स शीतल इंडस्ट्रीज, मेघनगर, जिला झाबुआ
- 176 मेसर्स वाम उर्जा, मेघनगर, जिला झाबुआ
- 177 मेसर्स कैलीबर इनकापॉरेशन, मेघनगर, जिला झाबुआ
- 178 मेसर्स अजनार स्टोन क्रेशर, अलीराजपुर
- 179 मेसर्स रजत स्टोन क्रेशर, बदनावर, जिला धार
- 180 मेसर्स प्रकाश पाटीदार स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 181 मेसर्स गुरु ओम स्टोन क्रेशर, खेडा, जिला धार
- 182 मेसर्स तिरुपति स्टोन क्रेशर, खेडा, जिला धार
- 183 मेसर्स मां नर्मदा एग्रीटेक एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, धार
- 184 मेसर्स मोहम्मद शफी एवं अन्य दो क्रेशर, खेडा, जिला धार
- 185 मेसर्स राहुल झाणियां स्टोन क्रेशर, सलकनपुर, जिला धार
- 186 मेसर्स रॉयल स्टोन क्रेशर, जमोदी, जिला धार
- 187 मेसर्स मुकाती स्टोन क्रेशर, जमोदी, जिला धार
- 188 मेसर्स महाप्रज्ञा स्टोन क्रेशर, जिला अलीराजपुर
- 189 मेसर्स दीपक स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 190 मेसर्स अभय कुमार जैन स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 191 मेसर्स आनंद स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 192 मेसर्स ऋषभ स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 193 मेसर्स हेमसींग पटेल स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 194 मेसर्स राजेश खरे स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 195 मेसर्स भूपेन्द्र नाहर स्टोन क्रेशर जिला धार
- 196 मेसर्स गौरीशंकर पाटीदार स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 197 मेसर्स खोकर स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 198 मेसर्स जी आर एस स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 199 मेसर्स मां ठमिया स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 200 मेसर्स महेन्द्र व्यास स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 201 मेसर्स शिवा स्टोन क्रेशर, जिला धार
- 202 मेसर्स अंशुल ट्रेडर्स, जिला धार
- 203 मेसर्स सुशील शर्मा स्टोन क्रेशर, जिला झाबुआ
- 204 मेसर्स कृष्णा स्टोन क्रेशर, अलीराजपुर
- 205 मेसर्स जय अम्बे क्रेशर, अलीराजपुर

- 206 मेसर्स शिवशक्ति स्टोन केशर, जिला धार
- 207 मेसर्स रत्न सम्पदा स्टोन केशर, जिला धार
- 208 मेसर्स श्री अम्बाजी स्टोन केशर, जिला धार
- 209 मेसर्स जीवन चौधरी स्टोन केशर, जिला धार
- 210 मेसर्स शशांक जैन स्टोन केशर, जिला धार
- 211 मेसर्स मेरावत स्टोन केशर, जिला धार
- 212 मेसर्स शारदा स्टोन केशर, जिला झाबुआ
- 213 मेसर्स बालाजी गिट्टी सम्पलायर्स, जिला धार
- 214 मेसर्स मोहन सिंह सोलंकी, जिला झाबुआ
- 215 मेसर्स गंगवाल स्टोन केशर, जिला धार
- 216 मेसर्स अग्रवाल स्टोन केशर, जिला धार
- 217 मेसर्स गुरुओम स्टोन केशर, जिला धार
- 218 मेसर्स प्रकाश हीरालाल बर्मा, धार
- 219 मेसर्स शिवसाई स्टोन केशर, धार
- 220 मेसर्स हिरोडकर स्टोन केशर, धार
- 221 मेसर्स माँ भगवती स्टोन केशर, सरदारपुर धार
- 222 मेसर्स चारू अंकित माली स्टोन केशर, धार
- 223 मेसर्स नर्मदा शुगर मिल, सालीचौका, नरसिंहपुर
- 224 मेसर्स महाकौशल शुगर मिल, बचई, जिला नरसिंहपुर
- 225 मेसर्स रमणीक पॉवर प्रा. लि., बालाघाट
- 226 मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि. (कन्स्ट्रूटर्स फ्लांट), मर्लाजखण्ड, जिला बालाघाट
- 227 मेसर्स आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, अगरिया, जबलपुर
- 228 मेसर्स निर्मला मिनरल्स, अगरिया, जबलपुर
- 229 मेसर्स कमल लाईम इण्डस्ट्रीज, दर्शनी, जिला जबलपुर
- 230 मेसर्स शारदा प्रसाद जायसवाल, मोहला, जिला जबलपुर
- 231 मेसर्स जयपुरिया लियो सोट, मोहगांव, बालाघाट
- 232 मेसर्स विजय खण्डेलवाल मैगनीज ओर माइन्स, बालाघाट
- 233 मेसर्स डेल्टा रियल इन्फ्रा., सागर स्टोन केशर, जबलपुर
- 234 मेसर्स राजीव गुप्ता डोलोमाईट माइन्स, जबलपुर
- 235 मेसर्स विनोद श्रीवास्तव, मैगनीज ओर माइन्स, सिहोरा, जबलपुर
- 236 मेसर्स शकोदिया मिनरल्स, जबलपुर
- 237 मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी एण्ड सन्स मैगनीज ओर माइन्स, बालाघाट
- 238 मेसर्स रेणु रठीर डोलोमाईट माइन्स, जबलपुर
- 239 मेसर्स राजराजेश्वरी शुगर मिल प्रा.लि., जिला नरसिंहपुर
- 240 मेसर्स ब्रोकन हिल्स माइनिंग कंपनी, लेटेराइट माइन्स, जबलपुर

- 241 मेसर्स गैलेक्सी माइन्स एण्ड मिनरल्स, जबलपुर
- 242 मेसर्स अभिनव सिंह ठाकुर बोल्टर माइन्स, जबलपुर
- 243 मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी मैगनीज माइन, बालाघाट
- 244 मेसर्स सुखदेव प्रसाद गोयनका मैगनीज माइन्स, बालाघाट
- 245 मेसर्स सोहनी एजेन्सी, जबलपुर
- 246 मेसर्स एन.टी.पी.सी. गाडरवारा, नरसिंहपुर
- 247 मेसर्स शिखर जी राईस आयल मिल, सिवनी
- 248 मेसर्स मॉनर्मदा स्टोन क्रेशर, अमझर, जबलपुर
- 249 मेसर्स साक्षी स्टोन क्रेशर, ग्राम अमझर, जबलपुर
- 250 मेसर्स एम.एस. स्टोन क्रेशर, ग्राम मानेगांव, जबलपुर
- 251 मेसर्स अंजू सिंह बघेल, ग्राम मानेगांव, जबलपुर
- 252 मेसर्स सतनाम स्टोन क्रेशर, ग्राम-मानेगांव, जबलपुर
- 253 मेसर्स एल.एन.टी स्टोन क्रेशर, ग्राम-मानेगांव, जबलपुर
- 254 मेसर्स कुलवंत स्टोन क्रेशर, ग्राम-अमझर, जबलपुर
- 255 मेसर्स सतनाम स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 256 मेसर्स अशोक कुमार भूमिया, जबलपुर
- 257 मेसर्स तारेन्द्र बाहेल्या स्टोन क्रेशर, मण्डला
- 258 मेसर्स एस.एस. कन्स्ट्रक्शन स्टोन क्रेशर, जबलपुर
- 259 मेसर्स शारदा स्टोन क्रेशर, जबलपुर
- 260 मेसर्स अजेन्द्र गोहलानी, सिवनी
- 261 मेसर्स बालाजी स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 262 मेसर्स गणपति स्टोन क्रेशर, मण्डला
- 263 मेसर्स मिनरल ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मण्डला
- 264 मेसर्स महावीर स्टोन क्रेशर, मण्डला
- 265 मेसर्स अवधिया स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 266 मेसर्स त्रयंबकेश्वर स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 267 मेसर्स ताजुल स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 268 मेसर्स स्रीताराम स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 269 मेसर्स जैन स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 270 मेसर्स अग्रवाल स्टोन क्रेशर, मानेगांव, जबलपुर
- 271 मेसर्स एम.एस स्टोन क्रेशर, मानेगांव, जबलपुर
- 272 मेसर्स विनोद जयसवाल स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 273 मेसर्स बप्पी नाथडू स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 274 मेसर्स रजीत सिंह सिसोदिया, सिवनी
- 275 मेसर्स गजानंद स्टोन क्रेशर, सिवनी

- 276 मेसर्स खत्री स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 277 मेसर्स नितीश स्टोन क्रेशर, गगेरूआ, सिवनी
- 278 मेसर्स हेमंत देशमुख स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 279 मेसर्स मॉ कल्याणी स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 280 मेसर्स गोदावरी स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 281 मेसर्स जगदम्बा स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 282 मेसर्स चौंसिया स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 283 मेसर्स कन्हा स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 284 मेसर्स उल्लम स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 285 मेसर्स जैन स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 286 मेसर्स शाह स्टोन क्रेशर, बालाघाट
- 287 मेसर्स नर्मदा मिनरल स्टोन क्रेशर, मण्डला
- 288 मेसर्स राजकुमार अग्रवाल स्टोन क्रेशर, मण्डला
- 289 मेसर्स मॉ योगमाया मेटल्स, सिवनी
- 290 मेसर्स उदित इन्फ्रा वर्ल्ड प्रा.लि. स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 291 मेसर्स सुशील पाण्डेय क्रेशर मशीन, जबलपुर
- 292 मेसर्स पारस स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 293 मेसर्स श्री सीताराम स्टोन क्रेशर इण्डस्ट्रीज, सिवनी
- 294 मेसर्स ओम साईराम स्टोन क्रेशर, मडई रैयरत, मण्डला
- 295 मेसर्स कटरे स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 296 मेसर्स साहू ब्रदर्स स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 297 मेसर्स शिवम स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 298 मेसर्स सोहनी स्टोन क्रेशर, जबलपुर
- 299 मेसर्स मॉ स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 300 मेसर्स स्नेहा स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 301 मेसर्स पटले स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 302 मेसर्स सोनी स्टोन क्रेशर, पिपरिया, मण्डला
- 303 मेसर्स घनशरस्ती प्रोपरटीज प्रा.लि. स्टोन क्रेशर, बालाघाट
- 304 मेसर्स दुबे स्टोन क्रेशर बोल्डर माईन, मण्डला
- 305 मेसर्स बी.आर. गोयल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., स्टोन क्रेशर, जबलपुर
- 306 मेसर्स आर.टी. माईन्स स्टोन क्रेशर, बालाघाट
- 307 मेसर्स मुकुल चंद्राकर स्टोन क्रेशर, बालाघाट
- 308 मेसर्स गनपति स्टोन क्रेशिंग कंपनी, बालाघाट
- 309 मेसर्स सोनकेशरिया स्टोन क्रेशर, सिवनी
- 310 मेसर्स ओसवाल स्टोन क्रेशर, सिवनी

- 311 मेसर्स जैन स्टोन केशर, सिवनी
- 312 मेसर्स प्रकाश चंद जैन स्टोन केशर, मण्डला
- 313 मेसर्स डोली स्टोन केशर, सिवनी
- 314 मेसर्स बापी नायडू स्टोन केशर, सिवनी
- 315 मेसर्स छाया अग्रवाल स्टोन केशर, मण्डला
- 316 मेसर्स सुशील पाण्डेय माईन, जबलपुर
- 317 मेसर्स प्रेस्टीज फूड प्रा.लिमि., देवास
- 318 मेसर्स कृति इण्डस्ट्रीज, देवास
- 319 मेसर्स विष्पी इण्डस्ट्रीज, देवास
- 320 मेसर्स महाकाली फूड्स, यूनिट-2 एवं 3, देवास
- 321 मेसर्स मातुश्री केमिकल्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया नं.-1, देवास
- 322 मेसर्स डिलाईट डेयरी, भोपाल-देवास रोड, ग्राम खातम्बा, देवास
- 323 मेसर्स व्हाईट स्टार मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया नं.-1, देवास
- 324 मेसर्स पवन श्री फूड, मक्सरी, शाजापुर
- 325 मेसर्स श्रीनिवास बोर्ड एण्ड फाईबर, इण्डस्ट्रीयल एरिया नं.-1, देवास
- 326 मेसर्स अमाया पोलीमर्स, देवास
- 327 मेसर्स एच.आर. जॉनसन लिमि., देवास
- 328 मेसर्स मित्तल एप्लायंसेस लि., पीथमपुर
- 329 मेसर्स इंदौर कोप्स प्रा.लि., पीथमपुर
- 330 मेसर्स एम.सी.एल., ग्लोबल स्टील प्रा.लि., पीथमपुर
- 331 मेसर्स केसर इस्पात, पीथमपुर
- 332 मेसर्स राठी आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज लि. (युनिट 2), पीथमपुर
- 333 मेसर्स मित्तल कोर्प लि. (युनिट 1), पीथमपुर
- 334 मेसर्स सूरजबाला स्टोन केशर, हिवरसेनदवर, छिन्दवाड़ा
- 335 मेसर्स पद्मावती स्टोन केशर, सीतापर, छिन्दवाड़ा
- 336 मेसर्स गनेश स्टोन केशर, लवहाना, छिन्दवाड़ा
- 337 मेसर्स गुरुनानक स्टोन केशर एवं हॉटमिक्स प्लांट, थवरीदमोदर, छिन्दवाड़ा
- 338 मेसर्स रामनिवास कुशवाहा स्टोन केशर, सचकुही, छिन्दवाड़ा
- 339 मेसर्स आर.के. मेटल स्टोन केशर, खेरव मोहखेड़, छिन्दवाड़ा
- 340 मेसर्स आशीवाद स्टोन केशर, अमरवाड़ा, छिन्दवाड़ा
- 341 मेसर्स रचना स्टोन केशर, बड़चिचोली, छिन्दवाड़ा
- 342 मेसर्स जाट स्टोन केशर, नरशाला, छिन्दवाड़ा
- 343 मेसर्स जुनेजा मिनरल्स स्टोन केशर, लवहाना, छिन्दवाड़ा
- 344 मेसर्स अनिल बिन्दा स्टोन केशर, बोरिया, छिन्दवाड़ा
- 345 मेसर्स जुनानकर स्टोन केशर, बड़ेगाँव, छिन्दवाड़ा

- 346 मेसर्स गुलबाके स्टोन केशर (बोल्टर माइन स्टोन क्रशर), बिलावर कला, छिन्दवाड़ा
- 347 मेसर्स पटेल स्टोन केशर, इटावा, छिन्दवाड़ा
- 348 मेसर्स सतगुरू स्टोन केशर, अमाबोह, छिन्दवाड़ा
- 349 मेसर्स आदित्यराज स्टोन केशर, लवहाना, छिन्दवाड़ा
- 350 मेसर्स प्रभु शेल्के स्टोन केशर, जवाहर वाई, छिन्दवाड़ा
- 351 मेसर्स साई बाबा स्टोन केशर, पांडुरना, छिन्दवाड़ा
- 352 मेसर्स साईनाथ स्टोन केशर, लवहाना, छिन्दवाड़ा
- 353 मेसर्स सुधीर जुनानकर स्टोन केशर (बड़चिचौली), चिचौलीबाद, छिन्दवाड़ा
- 354 मेसर्स तरनजीत सिंह बेदी स्टोन केशर, ग्राम भनदेही, छिन्दवाड़ा
- 355 मेसर्स मौधयार कन्स्ट्रक्शन कंपनी स्टोन केशर, पाथरकटी, छिन्दवाड़ा
- 356 मेसर्स भंसाली इंजिनियरिंग पॉलिमर्स, ग्राम सतनूर, तहसील सौसर, जिला छिन्दवाड़ा
- 357 मेसर्स एन. पंजाब शुगर, ग्राम हिरनाखेड़ी, तहसील चौई, जिला छिन्दवाड़ा
- 358 मेसर्स भोपाल एण्ड ग्लूज केमीकल्स प्रा.लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
- 359 मेसर्स विन्व्याचल डिस्टीलरीज प्रा.लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
- 360 मेसर्स देवराज एसोसियेट्स, ग्राम बामौर, जिला शिवपुरी
- 361 मेसर्स ओम स्टोन केशर, ग्राम-बामौर, जिला शिवपुरी
- 362 मेसर्स बालाजी स्टोन केशर, ग्राम-बामौर, जिला शिवपुरी
- 363 मेसर्स बैल्यू रीसाइकल्स एण्ड रीक्लेमर्स प्रा.लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
- 364 मेसर्स डीम बोइलिंग, ग्राम-तुगड़िया, जिला राजगढ़
- 365 मेसर्स दाशी इनर्जी लि., पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़
- 366 मेसर्स पंकज ऑयल मिल्स, ग्राम खानपुरा, जिला राजगढ़
- 367 मेसर्स अश्वदा इण्डस्ट्रीज, ग्राम-डेहरवारा, तहसील-कोलारस, जिला शिवपुरी
- 368 मेसर्स विध्या टेली लिंक्स लि., चोरहटा, रीवा
- 369 मेसर्स बिड़ला केबिल लि., चोरहटा, रीवा
- 370 मेसर्स जे.पी. एसोसियेट्स, रीवा
- 371 मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, बेला, रीवा
- 372 मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, बघवार, सीधी
- 373 मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल, अमलाई, जिला शहडोल
- 374 मेसर्स अमरकांटक थर्मल पावर स्टेशन, चवाई, अनूपपुर
- 375 मेसर्स संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन, बिरसिंहपुर, जिला उमरिया
- 376 मेसर्स एम.बी. थर्मल पावर, जैतहरी, जिला अनूपपुर
- 377 मेसर्स राजनगर आर.ओ.यू.जी. माइन (रेल्वे साईडिंग), हसदेव एरिया, जिला अनूपपुर
- 378 मेसर्स धनपुरी ओ.सी. माइन, सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल
- 379 मेसर्स शारदा ओ.सी. माइन, सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल
- 380 मेसर्स खैरहा यू.जी. माइन, सोहागपुर एरिया, जिला शहडोल

- 381 मेसर्स कचन ओ.सी. माइन, जोहिला एरिया, जिला उमरिया
- 382 मेसर्स नौरोजाबाद यू.जी. माइन (रेल्वे साईडिंग), जोहिला एरिया, जिला उमरिया
- 383 मेसर्स महावीर कोल बेनीफिकेशन प्रा.लि., धिरौल पटना, जिला अनूपपुर
- 384 मेसर्स बाबा मिनिरल्स स्टोन क्रेशर, ग्राम बेलिया छोट, तह. कोतमा, जिला अनूपपुर
- 385 मेसर्स मुसरफअली स्टोन क्रेशर, ग्राम बेलिया छोट, तह. कोतमा, जिला अनूपपुर
- 386 मेसर्स प्रशान्त चौधरी स्टोन क्रेशर, ग्राम हरटोला, तह. पुष्पराजगढ, जिला अनूपपुर
- 387 मेसर्स सरस्वती माईनिंग एण्ड मिनिरल्स स्टोन क्रेशर, ग्राम बड़ी तुम्मी, जिला अनूपपुर
- 388 मेसर्स धेना नायक स्टोन क्रेशर, ग्राम तरंग, तह. पुष्पराजगढ, जिला अनूपपुर
- 389 मेसर्स सिटी इन्टरप्राइजेज स्टोन क्रेशर, ग्राम चंगेरी, तह. कोतमा, जिला अनूपपुर
- 390 मेसर्स दीपक प्रसाद गुप्ता स्टोन क्रेशर, ग्राम पौनी, तह. पुष्पराजगढ, जिला अनूपपुर
- 391 मेसर्स जय हनुमान स्टोन क्रेशर, ग्राम चटुआ, तह. एवं जिला अनूपपुर
- 392 मेसर्स सालासर स्टोन क्रेशर, ग्राम धनगमा, तह. एवं जिला अनूपपुर
- 393 मेसर्स बिन्ध्य मिनिरल्स स्टोन क्रेशर, ग्राम सकरा, तह. एवं जिला अनूपपुर
- 394 मेसर्स माँ भवानी स्टोन क्रेशर, ग्राम पौनी, तह. पुष्पराजगढ, जिला अनूपपुर
- 395 मेसर्स साहिद अली स्टोन क्रेशर, ग्राम रेठला, तह. कोतमा, जिला अनूपपुर
- 396 मेसर्स तनुज स्टोन क्रेशर, ग्राम डोंगरिया, तह. कोतमा, जिला अनूपपुर
- 397 मेसर्स राकेश स्टोन क्रेशरिंग स्टोन क्रेशर, ग्राम लालपुर, जिला शहडोल
- 398 मेसर्स पाण्डेय स्टोन क्रेशर, ग्राम मठ, जिला शहडोल
- 399 मेसर्स आर.एस. स्टोन क्रेशर, ग्राम भमरहा, जिला शहडोल
- 400 मेसर्स पी.के. भगत स्टोन क्रेशर, अनूपपुर रोड, जिला शहडोल
- 401 मेसर्स त्रिपाटी स्टोन क्रेशर, ग्राम कचनपुर, जिला शहडोल
- 402 मेसर्स श्री राम कन्स्ट्रक्शन स्टोन क्रेशर, ग्राम बरुका, जिला शहडोल
- 403 मेसर्स प्राची स्टोन क्रेशर, ग्राम कचनपुर, जिला शहडोल
- 404 मेसर्स राकेश सिंह चंदेल स्टोन क्रेशर, ग्राम अमलई, जिला शहडोल
- 405 मेसर्स जय हनुमान स्टोन क्रेशर, ग्राम सोनहा, तह. बुढार, जिला शहडोल
- 406 मेसर्स बी.पी. स्टोन क्रेशर, ग्राम जमुआ, जिला शहडोल
- 407 मेसर्स शारदा स्टोन क्रेशर, ग्राम छतवई, जिला शहडोल
- 408 मेसर्स जय जगदम्बे स्टोन क्रेशर, ग्राम मठ, जिला शहडोल
- 409 मेसर्स आर्या स्टोन क्रेशर, ग्राम छुहिया टोला, जिला शहडोल
- 410 मेसर्स जी.एच.बी. स्टोन क्रेशर, ग्राम घाटा, जिला शहडोल
- 411 मेसर्स श्री स्टोन क्रेशर, ग्राम भमरहा, जिला शहडोल
- 412 मेसर्स प्रगति मिनिरल स्टोन क्रेशर, ग्राम चौखडिया, जिला शहडोल
- 413 मेसर्स सलूजा स्टोन क्रेशर, ग्राम ओदरी, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 414 मेसर्स भारत स्टोन क्रेशर, ग्राम ओदरी, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 415 मेसर्स बाला जी स्टोन क्रेशर, ग्राम ओदरी, तह.-पाली, जिला उमरिया

- 416 मेसर्स बग्गा स्टोन क्रेशर, ग्राम ओदरी, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 417 मेसर्स अग्रवाल स्टोन क्रेशर, ग्राम गिजरी, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 418 मेसर्स हुकुमचन्द्र कन्स्ट्रक्शन स्टोन क्रेशर, ग्राम ठजनिया, तह.-बांधवगढ, जिला उमरिया
- 419 मेसर्स मोनाली स्टोन क्रेशर, ग्राम मुदरिया, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 420 मेसर्स सुपर चिप्स स्टोन क्रेशर, ग्राम पौडी, तह.-पाली, जिला उमरिया
- 421 मेसर्स त्रिलोकी स्टोन क्रेशर, ग्राम घानापाट, जिला डिण्डीरी
- 422 मेसर्स गुप्ता स्टोन क्रेशर, शहपुरा, जिला डिण्डीरी
- 423 मेसर्स जनता स्टोन क्रेशर, ग्राम देवरा, जिला डिण्डीरी
- 424 मेसर्स ए.सी.सी. सीमेन्ट लि., कैमोर, कटनी
- 425 मेसर्स एस.एन.सन्डरसन मिनरल्स, कटनी
- 426 मेसर्स मेहरोत्रा स्टोन क्रेशर, कटनी
- 427 मेसर्स के.पी. अवस्थी स्टोन क्रेशर, कटनी
- 428 मेसर्स पी.डी. अवस्थी स्टोन क्रेशर, कटनी
- 429 मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विन्ध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सिंगरौली, स्टेज 01
- 430 मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विन्ध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सिंगरौली, स्टेज 02
- 431 मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विन्ध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सिंगरौली, स्टेज 04
- 432 मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, विन्ध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सिंगरौली, स्टेज 05
- 434 मेसर्स शंकर प्रसाद नारायण दास वैश्य स्टोन क्रेशर, फुलवारी, सिंगरौली
- 435 मेसर्स जय बजरंग बली स्टोन क्रेशर, भाठखाड, सिंगरौली
- 436 मेसर्स शिवा एसोसिएट स्टोन क्रेशर, सिगरावल, सिंगरौली
- 437 मेसर्स सलासर स्टोन क्रेशर, भाठखाड, सिंगरौली
- 438 मेसर्स राज स्टोन क्रेशर, गडेरिया, सिंगरौली
- 439 मेसर्स राज स्टोन क्रेशर, गडेरिया, सिंगरौली
- 440 मेसर्स कार्तिक एसोसिएट स्टोन क्रेशर, फुलवारी, सिंगरौली
- 441 मेसर्स बिरला कार्पो. लि., जिला सतना
- 442 मेसर्स एस.स्टोन क्रेशर, ग्राम नैना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना
- 443 मेसर्स राजेश स्टोन क्रेशर, ग्राम बिरहुली, तह. रघुराजनगर, जिला सतना
- 444 मेसर्स उदय स्टोन क्रेशिंग कं., ग्राम बिरहुली, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना
- 445 मेसर्स महाबीर स्टोर क्रेशर, पड़क्का अमरपाटन, जिला सतना
- 446 मेसर्स बंसल खनिज उद्योग, जैतवारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना
- 447 मेसर्स रामेश्वर प्रसाद रामचंद्र बंसल, जैतवारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना
- 448 मेसर्स भंगला मिनिरल्स, जैतवारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना
- 449 मेसर्स हर्ष मिनिरल्स, जैतवारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना
- 450 मेसर्स नारायणी मिनिरल्स, जैतवारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना
- 451 मेसर्स शिव मिनिरल्स, जैतवारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना

वृहद एवं मध्यम श्रेणी के 17 प्रकार के प्रदूषणकारी उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था

| क्र. | उद्योग का नाम | सेक्टर | जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था | वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था |
|------|--|----------------------|------------------------------|---|
| 1 | मेसर्स हिन्दालको इण्डस्ट्रीज लि. (महान एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट) बरगवा, जिला सिंगरौली | एल्यूमिनियम स्मेल्टर | एस.टी.पी., ई.टी.पी. | ई.एस.पी., साइक्लोन, बैग फिल्टर |
| 2 | मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (बिक्रम सीमेंट), खौर, तहसील जाषद जिला नीमच | सीमेंट | सीबेज ट्रीटमेंट प्लांट | बैग हाउस ई.एस.पी. |
| 3 | मेसर्स डायमंड सीमेंट (क्लिकर उत्पादन इकाई) नरसिंहगढ़, जिला दमोह | सीमेंट | एस.टी.पी. | हाईब्रिड फिल्टर, डस्ट कलेक्टर-5, ई.एस.पी.-6 हाईब्रिड ई.एस.पी., हाईब्रिड फिल्टर, बैग हाउस बैग फिल्टर-2 |
| 4 | मेसर्स डायमंड सीमेंट (क्लिकर ग्राइंडिंग इकाई), इमलाई, जिला दमोह | सीमेंट | एस.टी.पी. | हाईब्रिड फिल्टर, डस्ट कलेक्टर-5, ई.एस.पी.-6 हाईब्रिड ई.एस.पी., हाईब्रिड फिल्टर, बैग हाउस बैग फिल्टर-2 |
| 5 | मेसर्स जे.पी. रीवा सीमेंट प्लांट, जे.पी. नगर, जिला रीवा | सीमेंट | एस.टी.पी. | बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर |
| 6 | मेसर्स बेला सीमेंट वर्क्स (यूनिट- अल्ट्राटेक सीमेंट लि.), जे.पी. पुरम, जिला रीवा | सीमेंट | एस.टी.पी. | बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर |
| 7 | मेसर्स सीधी सीमेंट वर्क्स (यूनिट-अल्ट्राटेक सीमेंट लि.) ग्राम मझगंवा, जिला सीधी | सीमेंट | एस.टी.पी. | बैग हाउस, ई.एस.पी., बैग फिल्टर |
| 8 | मेसर्स ए.सी.सी. लि. (कैमोर सीमेंट वर्क्स), कैमोर, जिला कटनी | सीमेंट | एस.टी.पी. | बैग फिल्टर, सायक्लोन, मन्टी सायक्लोन, बैग हाउस |

| | | | | |
|----|--|---------------|--------------------------------|---|
| 9 | मेसर्स जय प्रकाश पाँवर बेचर्स लि. (सीमेन्ट ग्राइडिंग युनिट), जे.पी. निगरी, जिला सिंगरौली, | सीमेन्ट | एस.टी.पी., ई.टी.पी. | ई.एस.पी, साइक्लोन, बैग फिल्टर |
| 10 | मेसर्स बिरला कार्पो. लि. (सीमेन्ट डिपोजन), बिरला विकास, सतना | सीमेन्ट | एस.टी.पी. | बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि |
| 11 | मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., मनकहरी, जिला सतना | सीमेन्ट | एस.टी.पी. | बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि |
| 12 | मेसर्स मैहर सीमेन्ट, सरलानगर, मैहर, सतना | सीमेन्ट | एस.टी.पी. | बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि |
| 13 | मेसर्स रिलायन्स सीमेन्ट प्रा. लि., भरीली, तहसील मैहर, जिला सतना | सीमेन्ट | एस.टी.पी. | बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि |
| 14 | मेसर्स के.जे.एस. सीमेन्ट लि., राजनगर, तहसील मैहर, जिला सतना | सीमेन्ट | एस.टी.पी. | बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि |
| 15 | मेसर्स भिलाई जे.पी. सीमेन्ट, बाबूपुर, जिला सतना | सीमेन्ट | एस.टी.पी. | बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि |
| 16 | मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि. (घार सीमेन्ट प्रोजेक्ट) ग्राम टोकी, जिला घार | सीमेन्ट | एस.टी.पी. | बैग हाउस, ई.एस.पी., इत्यादि |
| 17 | मेसर्स प्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (मेम्ब्रेन सेल यूनिट-1 एवं 2) नानदा, जिला उज्जैन | क्लोरो अल्कली | फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट | स्क्रबर्स |
| 18 | मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल कास्टिक सोडा यूनिट, जिला अनूपपुर | क्लोरो अल्कली | ई.टी.पी, एस.टी.पी | क्लोरीन लाइम स्क्रबर |
| 19 | मेसर्स सोम डिस्टीलरीज प्रा. लिमिटेड, सेहतगंज, जिला रायसेन | डिस्टीलरी | ई.टी.पी., इवॉपोरेशन, इंसीनरेटर | 2 ईएसपी, वायलर साइक्लोन एवं बैग फिल्टर, |
| 20 | मे. जगपिन ब्रेवरीज लिमि. (पूर्व नाम- कॉक्स इंडिया लिमि.), डिस्टीलरी यूनिट, नौगाँव, जिला खारपुर | डिस्टीलरी | एम.ई.ई., ड्रायर | बैग डस्ट कलेक्टर |

| | | | | |
|----|--|----------------|--|---|
| 21 | मेसर्स ग्वालियर एल्कोबू प्रा. लि., रायक., जिला ग्वालियर | डिस्टीलरी | मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, सीपीयू, स्लज डिसेन्टर एवं आर.ओ. | डस्ट कलेक्टर, ई.एस.पी., मल्टीसाइक्लोन |
| 22 | मेसर्स ग्वालियर डिस्टिलरीज लिमिटेड, ग्राम डिडी, इटावा रोड, जिला भिण्ड | डिस्टीलरी | एमईई, सीपीयू, ड्रायर, आरओ | साइक्लोन, बैग फिल्टर |
| 23 | मेसर्स जयपाल डिस्टीलरी प्रा. लि., सबलपुरा, बडवाह, जिला सरगोन | डिस्टीलरी | सी.पी.यू., ड्रायर | मल्टी साइक्लोन, डस्ट कलेक्टर |
| 24 | मेसर्स एसोसिएटेड एल्कोहल एंड ब्रेवरीज लि. सोडी, बडवाह, जिला सरगोन | डिस्टीलरी | मल्टी इफेक्टएवोपरेटर, ड्रायर | मल्टी साइक्लोन, डस्ट कलेक्टर बैग फिल्टर |
| 25 | मेसर्स ग्रेट गैलियन लि., मेजबाया लेबड, जिला- धार | डिस्टीलरी | मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, ड्रायर | ई.एस.पी. |
| 26 | मेसर्स ओएसिस डिस्टिलरी लि. ग्राम-बोराली, तहसील-बदनाबर जिला -धार | डिस्टीलरी | ई.टी.पी., मल्टीइफेक्ट एवोपरेटर, ड्रायर | पल्स जेट बैग हाउस |
| 27 | मेसर्स गुलशन पोलियॉल्स, प्लाट नं. 9-11, एमपीएकेसीएन, इण्डस्ट्रीयल एरिया बोरगाँव, जिला छिन्दवाड़ा | डिस्टीलरी | ई.टी.पी., एम.ई.ई., ड्रायर | ई.एस.पी. |
| 28 | मेसर्स विन्ध्याचल डिस्टीलरीज प्रा.लि. पीनुलेडी, जिला राजगढ़ | डिस्टीलरी | एम.ई.ई., ड्रायर, एस.टी.पी. | ई.एस.पी. |
| 29 | मेसर्स डी.सी.आर. डिस्टिलरी, ग्राम-मेहर, जिला सागर | डिस्टीलरी | एम.ई.ई., ड्रायर | सायक्लोन, बैग फिल्टर्स |
| 30 | मेसर्स न्युपिन लेबोरेटरीज लिमिटेड, ओ.ओ. मण्डीदीप, जिला रायसेन | फार्मास्यूटिकल | ई.टी.पी., आर.ओ., एम.ई.ई. | इंसिनिरेटर, स्कबर |

| | | | | |
|----|--|----------------|--|-----------------------------|
| 31 | मेसर्स ईप्का लेबोरेटरीज लि. ग्राम सेजवाता, जिला रतलाम | फार्मास्यूटिकल | प्राथमरी, सेकेण्ड्री एवं टर्शरी ट्रीटमेंट, एम.ई.ई., ए.टी.एफ.टी | बैग फिल्टर एवं स्कबर |
| 32 | मेसर्स गर्वन्हुमेंट ओपियम अल्केलाईड वर्क्स, जिला नीमच | फार्मास्यूटिकल | फिजीको केमीकल एवं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट | बैग फिल्टर एवं स्कबर |
| 33 | मेसर्स सन फार्मा लि. (मेसर्स रेनवेक्सी लि.) मालनपुर, भिण्ड | फार्मास्यूटिकल | ईटीपी, एमईई, ड्रायर आरओ | स्कबर |
| 34 | मेसर्स टेवा ए.पी.आई. इण्डिया लि., मालनपुर, जिला भिण्ड | फार्मास्यूटिकल | ईटीपी, एमईई, ड्रायर, आरओ | स्कबर |
| 35 | मेसर्स सिमबोयोटिक फार्मा, एस.ई.शेड. पीथमपुर, जिला घार | फार्मास्यूटिकल | ई.टी.पी, कार्बन फिल्टर एमईई | बैग फिल्टर |
| 36 | मेसर्स ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स, एस.ई.शेड. पीथमपुर, जिला घार | फार्मास्यूटिकल | प्राथमरी ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, रीवर्स-ओस्मोसिस, मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर, | स्कबर |
| 37 | मेसर्स इप्का लेबोरेटरीज लि. पोलोघाउण्ड, जिला इंदौर | फार्मास्यूटिकल | ईटीपी, एमईई, ड्रायर, एमबीबीआर, आरओ | बैग फिल्टर |
| 38 | मेसर्स सिमबोयोटिक फार्मा, राउ, जिला इंदौर | फार्मास्यूटिकल | ईटीपी, एमईई, ड्रायर, एमबीबीआर, आरओ | बैग फिल्टर |
| 39 | मेसर्स सन फार्मास्यूटिकल्स (फार्मूलेशन एवं बल्क ड्रग प्लांट) लि., देवास | फार्मास्यूटिकल | ई.टी.पी., आर.ओ., एम.ई.ई., ड्रायर | बैग फिल्टर |
| 40 | मेसर्स युनिकेम लेबोरेटरीज लि., प्लॉट नं. 197, सेक्टर 1, पीथमपुर, जिला- घार | फार्मास्यूटिकल | ई.टी.पी., आर.ओ. प्लांट, रिवर्स ओस्मोसिस | स्कबर व 35 मीटर चिमनी |
| 41 | मेसर्स थिंक फार्मा क.लि इंडस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, जिला घार | फार्मास्यूटिकल | ई.टी.पी. | बैग फिल्टर, स्कबर, सायक्लोन |
| 42 | मेसर्स एनालटेक लेब प्रा. लि. इंडस्ट्रीयल एरिया, पीथमपुर, जिला घार | फार्मास्यूटिकल | ई.टी.पी., एम.ई.ई., आर ओ प्लांट | बैग फिल्टर, स्कबर, सायक्लोन |

| | | | | |
|----|---|----------------|---------------------------------|---|
| 43 | मेसर्स मेडिलक्स लेबोरेटरीज प्रा.लि.प्लॉट नं. 98-99, सेक्टर 1, पीथमपुर, जि.घार | फार्मास्यूटिकल | ई.टी.पी. आर.ओ., एम.ई.ई., ड्रायर | बेग फिल्टर |
| 44 | बालाजी स्टेराइड एण्ड होमोस प्रा. लि. एसईजेड, पीथमपुर, जिला घार | फार्मास्यूटिकल | ई.टी.पी. आर.ओ., एम.ई.ई., ड्रायर | स्कबर, सायक्लोन |
| 45 | मेसर्स नेपा लिमिटेड, नेपालगर, जिला बुरहानपुर (बंद) | पल्प एण्ड पेपर | ई.टी.पी. | उद्योग लम्बे समय से बंद है। |
| 46 | मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल मेन प्लांट, अमलाई, जिला शहडोल | पल्प एण्ड पेपर | ई.टी.पी. | ई.एस.पी, बेट स्कबर |
| 47 | मेसर्स सेक्युरिटी पेपर मिल, जिला होशंगाबाद | पल्प एण्ड पेपर | ई.टी.पी. | बेट स्कबर, मल्टी सायक्लोन, डस्ट कलेक्टर |
| 48 | मेसर्स रामदेव शुगर प्रा.लि., बनसोडी, जिला होशंगाबाद | शुगर | ई.टी.पी. | मल्टी साइक्लोन, वेन्चुरी स्कबर, चिमनी |
| 49 | मेसर्स भीजी शुगर एण्ड पावर प्रा.लि., जिला बैतूल | शुगर | ई.टी.पी. | मल्टी साइक्लोन, वेन्चुरी स्कबर |
| 50 | मेसर्स पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर लि., ग्राम-साखरी, भितरवार, जिला म्वालिघर | शुगर | ई.टी.पी. | वेन्चुरी स्कबर, मल्टीसाइक्लोन |
| 51 | मेसर्स ओलम एग्रो इंडिया लि., घटवा, जिला बडवानी | शुगर | ई.टी.पी. | बेट स्कबर |
| 52 | मेसर्स नवलसिंग सहकारी शक्कर कारखाना, जिला बुरहानपुर | शुगर | ई.टी.पी. | बेट स्कबर |
| 53 | मेसर्स दुर्गा खांडसारी शुगर, पानसेमल, जिला बडवानी | शुगर | ई.टी.पी. | बेट स्कबर, ई.एस.पी. |
| 54 | मेसर्स जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सोसायटी लि., कसरावद, जिला- खरगोन | शुगर | ई.टी.पी. | बेट स्कबर |

| | | | | |
|----|--|------|----------|--|
| 55 | मेसर्स मॉ रेवा शुगर प्रा. लि. नर्मदा नगर तहसील- कुशी जिला - धार | शुगर | ई.टी.पी. | डस्ट कलेक्टर, मल्ली सायकलोन तथा स्कबर |
| 56 | मेसर्स करेली शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, करेली, जिला नरसिंहपुर | शुगर | ई.टी.पी. | वेट स्कबर, ऐश हैण्डलिंग सिस्टम, |
| 57 | मेसर्स महाकौशल शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-बबई, तहसील गाडरवाडा, जिला नरसिंहपुर | शुगर | ई.टी.पी. | वेट स्कबर, |
| 58 | मेसर्स नर्मदा शुगर प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-पोडार, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर | शुगर | ई.टी.पी. | वेट स्कबर, ईएसपी |
| 59 | मेसर्स वशिका शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम बिलगुआ, जिला नरसिंहपुर | शुगर | ई.टी.पी. | वेट स्कबर, |
| 60 | मेसर्स रेवा कृपा शुगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, भिटीनी शहपुरा, जिला जबलपुर | शुगर | ई.टी.पी. | वेट स्कबर, |
| 61 | मेसर्स शक्ति शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर | शुगर | ई.टी.पी. | वेट स्कबर, |
| 62 | मेसर्स आकृति शुगर मिल प्रा.लि. ग्राम तुमडा, जिला नरसिंहपुर | शुगर | ई.टी.पी. | वेट स्कबर, |
| 63 | मेसर्स राज राजेश्वरी शुगर प्रा.लि., ग्राम मोहपानी, तहसील- गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर | शुगर | ई.टी.पी. | वेग फिल्टर |
| 64 | मेसर्स एन. पंजाब शुगर, ग्राम हिरनासेडी, तहसील चौरई, जिला खिन्डवाडा | शुगर | ई.टी.पी. | स्कबर |

| | | | | |
|----|---|------------|--|--|
| 65 | मेसर्स कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित नारायणपुरा, राधीगड, जिला गुना | शुगर | ई.टी.पी. | बेचुरी स्कबर |
| 66 | मेसर्स सतपुडा थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट-6, 7, 8, 9 एवं 10, 11 सारणी, जिला बैतुल | थर्मल पावर | ई.टी.पी. ऐश पोण्ड इफ्ल्यूएन्ट - रियूज इन ऐश स्लरी प्रिपेरेशन। एसटीपी | ईएसपी, बेग फिल्टर |
| 67 | मेसर्स हिन्दालको इण्डस्ट्रीज लि. (महान एल्युमिनियम प्रोजेक्ट) वरगवा, जिला सिंगरीली | थर्मल पावर | ऐश पोण्ड इफ्ल्यूएन्ट-वाटर रिसाईकिलिंग प्लांट, ईटीपी | ईएसपी |
| 68 | मेसर्स एचईजी लिमिटेड (सीटीपीपी 30 एवं 32 मेगावाट), औ.क्षे. मण्डीदीप, जिला रायसेन | थर्मल पावर | प्राथमरी सेटलिंग टैंक | बायलर-ईएसपी कोल हेडलिंग प्लांट - साइक्लोन, बेग फिल्टर, डस्ट सप्रेसन सिस्टम, वाटर स्प्रे सिस्टम, विन्ड ब्रेकिंग शेल्स |
| 69 | मेसर्स वर्डमान फेब्रिक्स (सीटीपीपी 30 मेगावाट) जी. क्षे. सतलापुर, मण्डीदीप, जिला रायसेन | थर्मल पावर | प्राथमरी सेटलिंग टैंक | बायलर-ईएसपी कोल हेडलिंग प्लांट- साइक्लोन, बेग फिल्टर, डस्ट सप्रेसन सिस्टम, वाटर स्प्रे सिस्टम, विन्ड ब्रेकिंग शेल्स |
| 70 | मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (25 एवं 40 मेगावाट), नागदा, जिला उज्जैन | थर्मल पावर | प्राथमरी | ई.एस.पी. |
| 71 | मेसर्स जे.पी.बीना थर्मल पावर प्लांट, ग्राम-सिरचोपी, बीना, जिला सागर | थर्मल पावर | ई.टी.पी. | ई.एस.पी. |
| 72 | मेसर्स सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, ग्राम डोगलीया, जिला खंडवा | थर्मल पावर | ई.टी.पी. | ई.एस.पी. |
| 73 | मेसर्स बी.एल.ए. पावर लि. ग्राम निवारी, तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर | थर्मल पावर | ई.टी.पी. | ई.एस.पी., बेग हाउस, तथा जल छिडकाव |
| 74 | मेसर्स झाबुजा पावर लि., ग्राम बरेला, तहसील धंसौर, जिला-सिधनी | थर्मल पावर | ई.टी.पी. ई.एस.पी. एवं बेग हाउस, तथा जल छिडकाव | ई.एस.पी., बेग हाउस, तथा जल छिडकाव |

| | | | | |
|----|---|------------|----------------------------------|---|
| 75 | मेसर्स अमरकंटक थर्मल पावर स्टेशन, यूनिट-5 (1X210 मेगावाट), चचाई, जिला अनूपपुर | थर्मल पावर | ई.टी.पी, एस.टी.पी | ई.एस.पी, साइक्लोन, बैग फिल्टर |
| 76 | मेसर्स संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन यूनिट-1, यूनिट-2 (4X210 मेगावाट) यूनिट-3 (500 मेगावाट) बिरसिंहपुर पाली, जिला उमरिया | थर्मल पावर | ई.टी.पी, एस.टी.पी | ई.एस.पी, साइक्लोन, बैग फिल्टर |
| 77 | मेसर्स एम.बी.पावर म.प्र. प्रा. लि. जैतहरी, जिला अनूपपुर | थर्मल पावर | ई.टी.पी, एस.टी.पी | ई.एस.पी, साइक्लोन, बैग फिल्टर |
| 78 | मेसर्स सासन पावर लिमिटेड सिद्धिमुर्द, ग्राम शासन जिला सिंगरौली (म.प्र.) 3960 मेगावाट | थर्मल पावर | एस.टी.पी., ई.टी.पी. | ई.एस.पी, साइक्लोन, बैग फिल्टर |
| 79 | मेसर्स एन.टी.पी.सी लिमिटेड, बिन्ध्यांचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट सिंगरौली, 4760 मेगावाट | थर्मल पावर | एस.टी.पी., ई.टी.पी. | ई.एस.पी, साइक्लोन, बैग फिल्टर |
| 80 | मेसर्स जे.पी. निगरी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट निगरी, तह. सरई, जिला सिंगरौली, 1320 मेगावाट | थर्मल पावर | एस.टी.पी., ई.टी.पी. | ई.एस.पी, साइक्लोन, बैग फिल्टर |
| 81 | मेसर्स एस्सार पावर लि. बघीरा, तह. साडा, सिंगरौली(म.प्र.)1200 मेगावाट | थर्मल पावर | एस.टी.पी., ई.टी.पी. | ई.एस.पी., बैग फिल्टर |
| 82 | मेसर्स मध्यभारत एग्रो प्रोडक्ट, यूनिट नं.-1, ग्राम-रजीआ, सागर | फर्टिलाइजर | सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था | डस्ट सप्रेसन सिस्टम, 03 स्टेज वैचुरी स्कबर |
| 83 | मेसर्स मध्यभारत एग्रो प्रोडक्ट, यूनिट नं. 3 (एस. एस.पी. प्लांट), ग्राम सोरई, जिला सागर | फर्टिलाइजर | सेटलिंग टैंक व चक्रीकरण व्यवस्था | बैग फिल्टर्स, सायक्लोन, 03 स्टेज बेन्च्युरी स्कबर |

| | | | | |
|----|---|--------------------------------|--|---|
| 84 | मेसर्स रामा फार्फेट लि., एसएसपी डिबीजन, इंदौर | फर्टिलाइजर | न्यूट्रलाइजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, फिल्टर बेड, उपचारित दूषित जल का उत्पादन प्रक्रिया में पुर्नचक्रण | सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में डबल कन्वर्शन एवं डबल एब्जॉर्शप्शन कंटेक्ट प्रोसेस। एस. एस.पी. हेतु-03 स्टेज वैचुरी स्कबर |
| 85 | मेसर्स सैतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर, निमरानी, जिला खरगोन | फर्टिलाइजर | न्यूट्रलाइजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, फिल्टर बेड, उपचारित दूषित जल का उत्पादन प्रक्रिया में पुर्नचक्रण | सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट में डबल कन्वर्शन एवं डबल एब्जॉर्शप्शन कंटेक्ट प्रोसेस। एस.एस.पी. हेतु-03 स्टेज वैचुरी स्कबर |
| 86 | मेसर्स कोरोमण्डल इंटरनेशनल लि., निमरानी, जिला खरगोन | फर्टिलाइजर | न्यूट्रलाइजेशन टैंक, सेटलिंग टैंक, उत्पाद प्रक्रिया में पुर्नचक्रण | एस.एस.पी. प्लांट में 04 स्टेज वैचुरी स्कबर |
| 87 | मेसर्स मध्यभारत फॉस्फेट प्रा. लि. ए.के.सी.एन औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, जिला-झाबुजा | फर्टिलाइजर | सेटलिंग टैंक व चक्कीकरण व्यवस्था | सायक्लोन, पल्सजेट वैग फिल्टर, थ्री स्टेज वैचुरी स्कबर |
| 88 | मेसर्स कृष्णा फास्फेम लि. (यूनिट-1 एस.एस.पी.प्लांट) ए.के.सी.एन औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर, झाबुजा | फर्टिलाइजर | सेटलिंग टैंक व चक्कीकरण व्यवस्था, सेप्टिक टैंक, सोकपिट | सायक्लोन, पल्सजेट वैग फिल्टर, थ्री स्टेज वैचुरी स्कबर |
| 89 | मेसर्स इन्द्रा इण्डस्ट्रीज लिमि. बदनावर, साँदला, जिला घार | फर्टिलाइजर | सेटलिंग टैंक व चक्कीकरण व्यवस्था | थ्री स्टेज वैचुरी स्कबर |
| 90 | मेसर्स एन.एफ.एल. बिजयपुर, जिला गुना | फर्टिलाइजर | ई.टी.पी., एस.टी.पी | अमोनिया एवं यूरिया। एवं 2 हेतु प्रिलिंग टापर, हीट रिक्लररी यूनिट, प्रायमरी रीफार्मर, फ्लू गैस रीफार्मर, |
| 91 | मेसर्स ट्रेन्ट केमिकल इण्डस्ट्रीज, प्लांट नं. 184 ए., के. सी.एन औद्योगिक क्षेत्र, मेघनगर जिला झाबुजा | डार्ई एण्ड डार्ई इंटरमीडिएट | क्लेक्शन टैंक, न्यूट्रलाइजेशन टैंक, फिल्टर प्रैस, एजीटेटेड थर्मल फिल्म एवोपरेटर, स्ट्रे ड्रायर मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर, सीबेज ट्रीटमेंट प्लांट | सायक्लोन, वैग फिल्टर्स, स्कबर्स, |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|--|--|
| 92 | मेसर्स कृष्णा फास्केम लि., (युनिट-2) (एच एसिड), ए.के. वी.एन औद्योगिक क्षेत्र, मेधनगर, जिला-झाबुआ | डाई एण्ड डाई इंटरमीडिएट | क्रिस्टलाइजराईजर, फिल्टर प्रैस, स्ट्रिपर, मल्टी इफेक्ट एवोपरेटर एवं स्प्रे ड्रायर | डस्ट कलेक्टर, जलकली स्कबर, नाइट्रिक एसिड स्कबर, बेसल स्कबर |
| 93 | मेसर्स त्रिमुला इंडस्ट्रीज प्रा. लि., 700 टीपीए एवं 365 टन/दिन एस.एम.एस, गोदबाली, जिला सिंगरीली | इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट | एस.टी.पी. | ई.एस.पी., बैग फिल्टर |
| 94 | मेसर्स कमल स्पंज स्टील एण्ड पावर लि., सगमा, जिला सतना (उद्योग बंद है) | स्पंज आयरन | सेप्टिक टैंक सोकपिट | ई.एस.पी. |
| 95 | मेसर्स भारत ओमान रिफाइनरी लि. अगासोद, बीना, जिला सागर | रिफाइनरी | ई.टी.पी. | लो नॉक्स बर्नर, केप्टिव पावर प्लांट में ई.एस.पी. |

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी छापने योग्य किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 मई 2017—ज्येष्ठ 3, शक 1939

पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मई 2017

क्र. एक 5-2-2015-18-5.—मध्यप्रदेश जैव अनासथ अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 20 सन् 2004) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा लोकहित में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्लास्टिक बैगों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग या इस अधिनियम के मध्यप्रदेश राज्य में प्रकाशन के दिनांक से पूर्ण प्रतिबंध लगाती है.

F 5-2-2015-18-5.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Madhya Pradesh Jiv Anasathya Apashishtha (Niyantran) Adhiniyam, 2004 (No. 20 of 2004), the State Government, hereby, in the public interest completely ban the production, storage, transportation, sale and use of plastic carry bags in the entire State of Madhya Pradesh from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सजीव शर्मा, अपर सचिव.

Lined writing area for text entry.





महाराष्ट्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, सोपान-452016

☎ 020-26121119
www.mppcb.org